रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/94

REGISTERED NO. DL—33001/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 1, 1994 (आश्विन 9, 1916)

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1, 1994 (ASVINA 9, 1916)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	761
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	905
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1775
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों जिनमें (सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होने हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	927
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	863
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	4043
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	135
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

1—261G1/94

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	761
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	905
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1775
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	927
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	863
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	4043
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.	135
PART V—Supplement showing statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 1994

सं० 147(1)–प्रेज 94—राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री गौरीमलैय्याह,
पुलिस रिजर्व उप-निरीक्षक,
आर्म्ड रिजर्व,
करीमनगर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 26 सितम्बर, 1992 को सूचना प्राप्त हुई कि पी० डब्ल्यू० जी० के सशस्त्र नक्सलवादी, अच्चमपल्ली, थाना–वीना–वांका, जिला–करीमनगर में शरण लिए हुए हैं । श्री जी० मलैय्याह, रिजर्व उप-निरीक्षक ने तत्काल पुलिस कार्मिकों को एकत्र किया और नक्सलवादियों के छिपने के ठिकाने की ओर चल पड़े । पुलिस कार्मिकों को अनेक टुकड़ियों में विभाजित किया गया । श्री मलैय्याह अपने अन्य साथियों के साथ उस मकान की तरफ गए तो उग्रवादियों ने पुलिस कार्मिकों पर अपने स्वचालित शस्त्रों से गोलियां चलायीं । मलैय्याह तथा अन्यों ने आत्म-रक्षा में जवाबी गोलियां चलाई । गोली लगने से कुछ उग्रवादी जख्मी हो गए, जो कि घातक सिद्ध हुई । इस बीच उग्रवादियों ने दो हथगोले फैंके । एक हथगोला श्री मलैय्याह और उनके दल से कुछेक मीटर की दूरी पर फटा जबकि दूसरा, उनके बिल्कुल समीप गिरा लेकिन सौभाग्य से फटा नहीं । इसके बावजूद पुलिस दल विचलित नहीं हुआ और उन्होंने लगातार नक्सलवादियों को उलझाये रखा । इस पर, नक्सलवादी गोलियां चलाते हुए, चुपके से घर से बाहर निकल आये और समीप की झाड़ियों, शिलाखंडों, मक्का के खेतों की आड़ ले ली । वहां से नक्सलवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलाना जारी रखा । नक्सलवादी पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलाते हुए अपनी पोजीशन बदलते जा रहे थे । श्री मलैय्याह ने भी अपनी पोजीशन बदली और नक्सलवादियों को उलझाए रखा । लगभग 3½ घंटे तक दोनों तरफ से गोली-बारी होती रही । इस मुठभेड़ के दौरान श्री मलैय्याह ने अपनी ए० के०–47 राईफल से 246 गोलियां चलाई ।

तलाशी के दौरान, उग्रवादियों की नौ लाशें बरामद हुई । मुठभेड़ स्थल से दो ए० के०–47 राइफलें, एक .303 राइफल, एक 8 मि० मी० राइफल, .12 बोर की 3 डी० बी० बी० एल० बन्दूकें, 9 हथगोले तथा भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री गौरी मलैय्याह, रिजर्व उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 सितम्बर, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 148–प्रेज 94—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी, को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री मोहित सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
जिला भभुआ,
बिहार ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

17/18 सितम्बर, 1991 को श्री ए० इन्दवार, पुलिस उपाधीक्षक, कैमूर, को यह सूचना मिली कि कट्टर अपराधी,

महेन्द्र चमार और उसका गिरोह (अरविन्द कुमार तिवारी नामक अपहृत लड़के सहित जिसकी थाना चनपुर में दर्ज मामला संख्या 88/91, दिनांक 14-9-91 में तलाश थी, थाना दुर्गावती, जिला भभुआ, के अन्तर्गत गांव मौजा नई बस्ती के किसी घर में छिपे हुए हैं। इस सूचना के प्राप्त होने पर, श्री इन्दवार ने 75 सदस्यों वाले एक बड़े पुलिस दल का गठन किया, उसको कई दलों में विभाजित करके गांव को सभी ओर से घेर लिया। तब उन्होंने उस घर का दरवाजा खटखटाया जहां अपहरणकर्त्ता छिपे हुए थे और उन्हें पुलिस दल के समक्ष आत्मसमर्पण कर देने की चेतावनी दी। तथापि, अपहरण कर्ताओं ने आत्मसमर्पण करने की बजाए पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं और एक पुलिस कर्मी को घायल कर दिया। श्री इन्दवार ने भी अपने कर्मियों को जवाब में गोली चलाने का आदेश दिया। अपहरणकर्त्ताओं ने खेतों की ओर भागना शुरू किया। भागते समय उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चलाना जारी रखा।

पुलिस उपाधीक्षक ने निरीक्षक शिव शंकर राय, उप-निरीक्षकों बच्चा सिंह और राजकुमार सहित भागते हुए अपराधियों का पीछा किया। 5 से 7 कि० मी० तक पीछा करने के बाद पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व वाला पुलिस दल गांव भभुआरा के निकट पहुंच गया जहां उन्होंने हाजरा पुल तक जाने के लिए एक बस को रोका ताकि भागते हुए उग्रवादियों का पीछा किया जा सके। करीब 10.30 बजे पूर्वाह्न पुल के करीब पहुंचने पर पुलिस उपाधीक्षक ने चांद, चेनपुर, और भभुआ थानों से अतिरिक्त कुमुक बुलाने के लिए संदेश भी भेज दिया। 20 मिनट के बाद पुलिस उपाधीक्षक ने अपराधियों को पुल की ओर आते देखा। पुलिस बल ने तुरन्त मोर्चा सम्भाल लिया और अपनी ओर आते हुए अपराधियों की ओर निशाना तान लिया, जिससे अपराधी अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर हो गए और उन्होंने कैमूर पहाड़ी के दक्षिण की ओर भागना शुरू कर दिया। तब तक, निरीक्षक उमा नाथ पाण्डे, उप-निरीक्षक राम कृपाल शर्मा अपने बलों सहित घटनास्थल पर पहुंच गए। दोनों ओर से एक बार फिर गोलीबारी हुई। उप-निरीक्षक राम कृपाल शर्मा, प्रभारी अधिकारी, ने भागते हुए अपराधियों का पीछा करना जारी रखा और एक अपराधी को गोली मार कर गिरा दिया। अपराधियों ने स्वयं को पुलिस के घेरे में देखा तो धान के खेतों में गायब हो गए। पुलिस दल गोलियां चलाते हुए चलते रहे और उन्हें दो अपराधियों के शव मिले। उप-निरीक्षक राम कृपाल शर्मा अपने दल सहित आगे बढ़ते गए तो बांस की झाड़ियों में से उन पर गोलियां चलाई गई। पुलिस दल द्वारा जवाबी गोलीबारी की गई। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में, पुलिस ने महेन्द्र चमार, गिरोह के सरदार को तो मार डाला परन्तु कांस्टेबल मोहित सिंह घटनास्थल पर ही मारे गए। साथ ही हवलदार केदार सिंह जख्मी हो गए। इस बीच उप-निरीक्षक राम कृपाल शर्मा, पुरूषोत्तम सिंह, मुरारी प्रसाद अपने बल सहित अन्य अपराधियों पर गोलियां चलाते रहे। पुलिस उपाधीक्षक ने भी अपने दल को इन अपराधियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। दोनों ओर से करीब आधे घंटे तक गोलीबारी होती रही पर उसके बाद दूसरी ओर से गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। पुलिस ने जब क्षेत्र की तलाशी ली तो चार और अपराधियों के शव पाए गए।

पुलिस ने सर्विस रिवाल्वरों से कुल मिलाकर 25 राउण्ड, राईफलों से 455 राउण्ड चलाए तथा अपराधियों द्वारा लगभग 1000 राउण्ड चलाए गए। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 9 अपराधियों का सफाया किया जबकि एक अपराधी बचकर भाग निकला। कांस्टेबल मोहित सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया जबकि हवलदार केदार सिंह और कांस्टेबल सिंहासन चौधरी घायल हो गए। पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस दल ने श्री अरविन्द तिवारी को अपहरण कर्त्ताओं के चंगुल से छुड़ाने में सफलता प्राप्त की। घटनास्थल से .315 बोर की पांच राईफलें दो डी० बी० बी० एन० बन्दूकें, एक देशी और बंदूक बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री मोहित सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17-9-1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 149-प्रेज 94—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री प्रमोद कुमार मिश्रा, (मरणोपरान्त)
पुलिस, उप-निरीक्षक,
जिला छतरा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

12 अक्तूबर, 1992 को लगभग 1500 बजे, छतरा जिला के कुंडा पुलिस स्टेशन के कार्यालय अधिकारी, उप-निरीक्षक, श्री पी० के० मिश्रा, पुलिस स्टेशन के समीप

सोम बाजार (हाट) में नक्सलवादियों के बारे में सूचना एकत्र कर रहे थे। उनके साथ सहायक उप-निरीक्षक राज किशोर सिंह भी थे और दोनों ही सादा कपड़ों में और बिना हथियारों के थे।

उसी समय, उन्हें पता चला कि कुछ आक्रमणकारियों ने बाजार के दक्षिणी छोर पर कुछ लोगों पर हमला किया। श्री मिश्रा सादा कपड़ों में और बिना हथियारों के थे, लेकिन वे तुरंत घटना स्थल पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति (नामतः नरेश सिंह) जमीन पर पड़ा हुआ है और दूसरा व्यक्ति उसकी छाती पर मार रहा था और उसकी गर्दन काट रहा था। श्री लखन सिंह नामक एक अन्य व्यक्ति, नरेश सिंह को, आक्रमणकारी पर अपनी लाठी से हमला करके, हमलावर के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। नजदीक खड़े एक दूसरे आक्रमणकारी ने लखन सिंह पर गोली चलायी जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गए। एक अन्य आक्रमणकारी ने जमीन पर पड़े हुए नरेश सिंह की पीठ में गोली मारकर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया और फिर उन्होंने नरेश सिंह और लखन सिंह की गर्दन को काटना शुरू कर दिया। उसी क्षण श्री प्रमोद कुमार मिश्रा, उप-निरीक्षक, जो निहत्थे थे, एक सशस्त्र हमलावर पर छलांग लगाई जो एक व्यक्ति की गर्दन काटने की कोशिश कर रहा था, और उसे दबोच लिया तथा उसकी भुजाली छीन डाली। पास खड़े दूसरे आक्रमणकारी ने श्री मिश्रा पर गोली चलायी और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया।

सहायक उप-निरीक्षक राज किशोर सिंह जिनके साथ उप-निरीक्षक मिश्रा थे, कुमुक बुलाने के लिए तत्काल पुलिस स्टेशन गए और वापिस घटनास्थल पर आए और जवाबी गोलियां चलाई तथा भाग रहे उग्रवादियों का पीछा किया जो पास के घने जंगल में छिप गए।

वापस आने पर, पुलिस दल ने वहां से तीन लाशें बरामद की जोकि मांझी पाड़ा गांव के श्री नरेश सिंह तथा लखन सिंह और श्री पी० के० मिश्रा उप-निरीक्षक की थी।

श्री मिश्रा ने निहत्थे होने के बावजूद घटनास्थल पर जाने के लिए विलक्षण साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया तथा सशस्त्र हमलावर को दबोच लिया और पुलिस बल की सच्ची परम्पराओं के निर्वहन के लिए अपना बहुमूल्य जीवन न्यौछावर कर दिया।

इस मुठभेड़ में श्री प्रमोद कुमार मिश्रा, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य साहस, वीरता और उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 अक्तूबर, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 150 –प्रेस/94—राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री संजय कुंडु,
भारतीय पुलिस सेवा सहायक,
पुलिस अधीक्षक,
डबवाली,
जिला—सिरसा।

श्री मोहिंदर सिंह,
सहायक पुलिस उप-निरीक्षक,
कलांवाली,
जिला—सिरसा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 21 फरवरी, 1993 को लगभग 12.00 बजे दोपहर को सूचना प्राप्त हुई कि दो आतंकवादी भारी मात्रा में शस्त्रों से लैस, सुरजीत सिंह उर्फ सीता सिंह निवासी–ग्राम फुल्लो के सरसों के खेत में छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही, श्री कुंडु, श्री मोहिन्दर सिंह, सहायक उप-निरीक्षक सहित उपलब्ध बल के साथ तत्काल घटनास्थल की ओर चल पड़े और उस सरसों के खेत को चारों तरफ से घेर लिया जिसमें आतंकवादी छिपे हुए थे। आतंकवादियों ने, जो भारी मात्रा में गोलाबारूद सहित बहुत अधिक हथियारों से लैस थे, दो ए० के०–47 असाल्ट राईफलों से, पुलिस दल पर गोलियां चलायी। श्री मोहिन्दर सिंह सहित, श्री कुंडु के नेतृत्व में पुलिस दल ने जवाब में गोलियां चलाईं; किन्तु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। श्री कुंडु छापा मारने वाले दल के साथ एक बुलेटप्रूफ ट्रैक्टर में बैठकर सरसों के खेत में गए और सीधे उस जगह की ओर गए जहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे। आतंकवादियों ने ट्रैक्टर की तरफ गोलियां चलायी। श्री कुंडु ने खिड़की खोली और अपनी ए० के०–47 बाहर निकाली, लेकिन खतरा महसूस करने पर आतंकवादियों ने अपनी ए० के०–47 से खिड़की की तरफ गोलियों की बौछार कर दी। कुछ छर्रे श्री कुंडु के दायें हाथ में लगे। एक आतंकवादी ने लेटकर पोजीशन ली और ड्राईवर की सीट के नीचे/ब्रेक के पास वाली जगह से गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप एक गोली श्री मोहिन्दर सिंह के दाएं हाथ में लगी। श्री कुंडु द्वारा चलायी गयी गोलियों में से एक गोली आतंकवादी हरचरन सिंह की ए० के०–47 राईफल के ब्रिजब्लाक पर लगी और उसकी राईफल जाम हो गयी। श्री कुंडु द्वारा चलायी गयी गोलियों की एक अन्य बौछार ने आतंकवादियों को जख्मी और खामोश कर दिया। श्री कुंडु और श्री मोहिन्दर सिंह जोकि जख्मी हो गए थे, को घटनास्थल से हटाया गया।

क्षेत्र की तलाशी लेने पर, दो आतंकवादियों के शव पाए गए जिनकी शिनाख्त श्याम सिंह और हरचरन सिंह के रूप में की गई और उनके कब्जे से दो ए० के०-47 राईफल, एक 12 बोर की डी. बी. बी० एल० बंदूक, ए० के०-47 की 4 मैगजीन तथा भारी मात्रा में बिना चलाए कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री संजय कुंडु, सहायक पुलिस अधीक्षक तथा मोहिन्दर सिंह सहायक उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 फरवरी, 1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 151-प्रेज 94—राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री मुहम्मद अकील,
सहायक पुलिस अधीक्षक,
कुरुक्षेत्र ।

श्री सुभाष यादव,
पुलिस उपाधीक्षक,
कुरुक्षेत्र ।

श्री डले सिंह, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
कुरुक्षेत्र ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 15 मार्च, 1993 को श्री मुहम्मद अकील, सहायक पुलिस अधीक्षक, को गुप्त रूप से सूचना प्राप्त हुई कि हरदीप सिंह, सज्जन सिंह और एक अन्य खूंखार अपराधी थाना झांसा के अन्तर्गत गांव पिपली माजरा के एक श्री मोहिन्दर सिंह नामक व्यक्ति के "डेरे" में ठहरे हुए हैं। श्री अकील तुरन्त झांसा पुलिस थाने गए जहां श्री सुभाष यादव, पुलिस उप-अधीक्षक, मौजूद थे और उन्होंने एक योजना बनाई तथा वे उक्त "डेरा" में छापा मारने के लिए चल पड़े परन्तु पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही आतंकवादी पास के खेतों में भाग गए। श्री अकील, श्री यादव और इन्सपेक्टर, सी० आई० ए० कुरुक्षेत्र, के अधीन बलों को ब्रीफ करके आतंकवादियों का घेराव करने के लिए तैनात किया गया। जिस समय श्री अकील और श्री यादव खोजी कुत्तों की मदद से खेतों की तलाशी ले रहे थे तो सूचना प्राप्त हुई कि गांव मण्डी के निकट आतंकवादियों को खेतों में देखा गया है। इस बात का आभास करते हुए कि आंतकवादी धर्मगढ़ और सूरजगढ़ गाँवों में घुस सकते हैं, श्री अकील सहायक पुलिस अधीक्षक और श्री यादव, पुलिस उप-अधीक्षक, एक बुलेट प्रूफ जिप्सी में गांव धर्मगढ़ पहुंचे जबकि इन्सपेक्टर सी० आई० ए०, कुरुक्षेत्र के नेतृत्व में पुलिस बल जिसमें कांस्टेबल डले सिंह भी शामिल थे, खेतों में आतंकवादियों का पीछा करते रहे। कांस्टेबल डले सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना आगे गए और आतंकवादियों पर गोली चलानी शुरू कर दी जिससे उनमें से एक घायल हो गया परन्तु जैसे ही वह घायल आतंकवादी पर गोली चलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, दूसरे आतंकवादी ने कांस्टेबल डले सिंह पर अपनी एसाल्ट राईफल से गोली चला दी जिससे घटना-स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। सहायक पुलिस अधीक्षक की जिप्सी को आते देखकर आतंकवादियों ने जिप्सी पर गोली चला दी परन्तु अपनी जान की परवाह किए बिना श्री अकील बुलेट प्रूफ जिप्सी के ऊपर रेंगते हुए चढ़ गए और आतंकवादियों पर गोली चला दी जबकि अपनी जिन्दगी की परवाह किए बिना श्री यादव जिप्सी से नीचे आए और आतंकवादियों पर गोली चलाकर उनमें से एक व्यक्ति को घटनास्थल पर ही मार डाला। शेष दोनों आतंकवादी गोलियां चलाते हुए गांव सूरजगढ़ की ओर भागते रहे। श्री अकील और श्री यादव ने एक दीवार के साथ मोर्चा संभाल लिया और गोलियां चलाना शुरू कर दिया, परन्तु इसका कोई प्रभाव न देखते हुए, अपने अन्य कर्मियों सहित दोनों अधिकारी एक मकान की छत पर चढ़ गए। पुलिस बल को निर्देश देने के बाद श्री अकील नीचे उतरे, और अपनी जिप्सी में सवार होकर आतंकवादियों को सामने की ओर से घेर लिया, जबकि श्री यादव ने छत से आतंकवादियों पर गोलीबारी की और एक अन्य आतंकवादी को मार गिराया। तीसरे आतंकवादी की तलाश में श्री अकील अपनी जिप्सी में बैठकर खेतों में गए। घायल आतंकवादी एक ट्यूबवेल के कोठे से बाहर निकल आया और श्री अकील के नेतृत्वधीन पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। अपनी जान की चिंता किए बिना श्री अकील ने आतंकवादी पर गोलियां चलाईं और उसको घटनास्थल पर ही मार डाला। तीनों आतंकवादियों की हरदीप सिंह उर्फ काला हरियानवी, सज्जन सिंह, दोनों बी० एस० टी० एफ० के ले० जनरल तथा गुरमीत सिंह के रूप में पहचान की गई। मृतकों से दो ए०के०-56 राईफलें, एक ए०के०-74 राईफल, एक .38 बोर रिवाल्वर, बड़ी मात्रा में गोलाबारूद, एक बम, एक हथ गोला तथा सायनाइड केपसूल बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री मुहम्मद अकील, सहायक पुलिस अधीक्षक, सुभाष यादव, पुलिस उपाधीक्षक, तथा श्री जिलेसिंह, कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 मार्च, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 1994

सं० 152-प्रेस/94—राष्ट्रपति, जम्मू-कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री चेन सिंह, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
जिला—जम्मू ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 25 नवम्बर, 1992 को श्री चेन सिंह, जम्मू और कश्मीर बैंक, सब्जी मंडी, नरवल में अपनी ड्यूटी पर थे तो कुछ सशस्त्र उग्रवादी, बैंक लूटने के इरादे से एक मारुती वैन में वहां पहुंचे । सुरक्षा गार्ड, कांस्टेबल चैनसिंह, जो कि .303 की राईफल से लैस था, ए०के०-47 राईफल से लैस एक उग्रवादी की ओर झपटा और राईफल की मैगजीन पकड़ ली । वह उग्रवादियों से भिड़ गया जिसके परिणामस्वरूप ए०के०-47 राईफल की भरी हुई मैगजीन नीचे गिर गई और उग्रवादी घटनास्थल से भाग खड़ा हुआ। इसी बीच एक अन्य उग्रवादी ने अपनी माउजर पिस्तोल से, सुरक्षा गार्ड, कांस्टेबल श्री चैन सिंह पर गोलियां चला दी और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया । इस घटना में बैंक का गार्ड श्री नत्था सिंह भी गम्भीर रूप से जख्मी हो गया । सुरक्षा गार्ड कांस्टेबल श्री चेन सिंह द्वारा दिखाई गई वीरता और सूझबूझ के परिणामस्वरूप, उग्रवादी भाग गए और बैंक में उपलब्ध 4.92 लाख रुपए, उग्रवादियों द्वारा लूटे जाने से बच गए ।

इस मुठभेड़ में श्री चेन सिंह कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 नवम्बर, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 1994

सं० 153-प्रेस/94—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री गंगा सिंह,
हैड कांस्टेबल,
30वीं बटालियन,
एस० ए० फ०, जगदलपुर ।

श्री एलादी पोट्टी,
कांस्टेबल,
30वीं बटालियन,
एस० ए० एफ०, जगदलपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

20 मई, 1991 को श्री एल्फार टोपो, स्टेशन अधिकारी, के नेतृत्व में एक वाहन के चालक और क्लीनर सहित 9 सदस्यों वाला एक पुलिस दल बड़े डोंगर सेक्टर में गश्त लगा रहा था । पुलिस दल गश्त लगाते हुए बांछापाई मतदान केन्द्र तक पहुंच गया । जहां पर मतदान पेटियों सहित चुनाव दल ठहरा हुआ था चूंकि उनको ले जाने वाला वाहन आया नहीं था । पुलिस दल द्वारा मतदान पेटियों सहित चुनाव कराने वाले 8 सदस्यों वाले दल को वहां से ले जाने के लिए वह बड़े नगर के लिए चल पड़ा । पुलिस दल और चुनाव दलों सहित वह वाहन जैसे ही गांव से लगभग 4 कि० मी० की दूरी पर पहुंचा तो नक्सलवादियों द्वारा सड़क पर बिछाई गई सुरंग फट गई और वाहन के टुकड़े-टुकड़े हो गए जिससे 8 व्यक्ति घटना स्थल पर ही मारे गए और अन्य घायल हो गए । घायल व्यक्तियों को भी मार डालने के उद्देश्य से नक्सलवादियों ने भारी गोली-बारी शुरू कर दी । ऐसी विकट परिस्थिति में, हैड कांस्टेबल गंगा सिंह और कांस्टेबल एलादी पोटी ने वीरता पूर्वक लड़ाई करके अद्वितीय साहस, लगन और कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया । दोनों ने मोर्चे संभाल लिए और जवाबी गोलीबारी की । इस जवाबी गोलीबारी से नक्सलवादी अचम्भे में पड़ गए क्योंकि उनको इसकी आशा नहीं थी तथा इस प्रकार हुई जवाबी गोलीबारी से नक्सलवादी कुछ देर के लिए शांत हो गए । इस स्थिति का लाभ उठाते हुए, हैड कांस्टेबल गंगा सिंह और कांस्टेबल एलादी पोट्टी ने अपने घायल साथियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया । नक्सलवादियों

की भारी गोलीबारी के बीच इन दोनों वीर कार्मिकों ने न केवल घायल व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, बल्कि विस्फोट के कारण मारे गए पुलिस कार्मिकों के शस्त्रों को भी एकत्र कर लिया जिससे कि नक्सलवादी उनको उठाकर न ले जा सकें/दोनों ने नक्सलवादियों के साथ लगभग दो घंटे तक गोलीबारी की और उनके सभी प्रयासों को विफल कर दिया । इन कार्मिकों के दृढ़प्रतिरोध को देखकर, नक्सलवादी घटनास्थल से हट गए और वे जंगल की ओर भाग गए । इसके बाद श्री गंगा सिंह और श्री एलादी ने चौकसी रखनी जारी रखी तथा सभी संभव तरीकों से घायलों की मदद की । इन्होंने उन व्यक्तियों को, जो गम्भीर रूप से घायल नहीं हुए थे, बड़े डोंगर जाकर पुलिस चौकी को सूचित करने और राहत भी बुला लाने के लिए समझाया । राहत बल के वहां पहुंचने तक दोनों पुलिस कार्मिकों वहां रुके रहे और घायलों की मदद करते रहे तथा अत्याधिक कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए जो कुछ शेष बचा था, उसकी रक्षा की ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री गंगा सिंह, हैड कांस्टेबल, और एलादी पोट्टी, कांस्टेबल, 30वीं बटालियन, एस० ए० एफ० जगदलपुर, ने अदम्य वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 मई, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 1994

सं० 154-प्रेज/94—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री ए० के० इरानडे, (मरणोपरान्त)
पुलिस उप-निरीक्षक,
ग्रेटर बम्बई पुलिस बल ।

श्री जी० ए० गवाने,
हैड कांस्टेबल,
ग्रेटर बम्बई पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 11 मई, 1992 को श्री अशोक किशन इरानडे पुलिस उप-निरीक्षक तथा श्री गोविन्द आत्माराम गवाड़े, हैड कांस्टेबल, विलेज रोड, भांडूप (पश्चिम) बम्बई में मेयर की बैठक में बन्दोबस्त ड्यूटी पर थे, तो यातायात नियंत्रण शाखा के उप निरीक्षक श्री मोहन जाधव ने श्री रानाडे को सूचित किया कि उषा नगर में गोली चलने की एक घटना हुई है और हमलावर एक फिएट मोटर कार नम्बर जी० जे० 15-ए-9385 में विलेज रोड, भांडूप (पश्चिम) की ओर भाग रहे थे । हमलावरों ने उषा नगर में हीरा सिंह नामक एक व्यक्ति को मार डाला था । इस पर, श्री गवाड़े सहित, श्री इरनाड़े ने तुरन्त कार्रवाई की और कथित मोटर कार को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर ली और उसके ड्राईवर को, गाड़ी रोकने के लिए मजबूर किया । हमलावरों/आतंकवादियों ने श्री इरनाड़े और श्री गवाड़े पर गोलियां चलाई, जो क्रमशः पेट और गर्दन पर लगी और वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । यद्यपि दोनों जख्मी थे तो भी वे तुरन्त कार की तरफ गए और श्री श्री इरनाड़े ने एक आतंकवादी से ए०के०-56 राईफल छीन गावाड़े ने मल्कुत ढंग से उनकी सहायता की जो कि आतंकवादी पर कूद पड़े और उस पर पूरे जोर से लात लगाई । श्री इरनाड़े ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से छह राउन्ड गोलियां चलाई और एक आतंकवादी को घायल कर दिया जिसकी बाद में जख्मों के कारण मृत्यु हो गई । उसकी शिनाख्त जगतार सिंह अमरजीत सिंह सन्धु के रूप में की गई । श्री इरनाड़े जो गर्दन में गोली लगने से गम्भीर रूप से जख्मी हो गए थे, वहीं पर गिर पड़े और बाद में, जख्मों के कारण अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई । श्री गवाड़े, जो पेट में गोली लगने से जख्मी हो गए थे, को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और उन्हें हिन्दुजा अस्पताल बम्बई में एक बड़ा आपरेशन करने के बाद ही बचाया जा सका । घटनास्थल से निम्नलिखित हथियार और गोलीबारूद बरामद किया गवा ।

(i) 23 राउन्ड से भरी हुई मैगजीन सहित एक ए०के०-56 राईफल ।

(ii) 29 राउन्ड से भरी हुई, ए०के०-56 राईफल की एक अन्य मेगजीन ।

(iii) एक थैले रखे हुए 32 राउन्ड (बिना चले 84 राउन्ड) ।

(iv) 6 खाली कारतूसों सहित एक .38 बोर का रिवाल्वर (वेबले) ।

(v) 38 बोर की रिवाल्वर के 12 बिना जले कारतूस ।

इस मुठभेड़ में श्री ए० के० इरानडे उप निरीक्षक और श्री जी० ए० गवाड़े, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(क) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 मई, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 1994

सं० 155-प्रेज/94—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री बी० एस० सोनाजे, (मरणोपरान्त)
नायक,
थाना—वाकोला,
बम्बई

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है

दिनांक 4-3-92 को करीब 10.00 बजे अपर पुलिस आयुक्त, उत्तरी क्षेत्र, बम्बई को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यापारी से धन ऐंठने के उद्देश्य से नंजा और उसके साथी अमर नगर हटमेंट्स में जाएंगे। अमर पैलेस होटल के निकट धन दिया जाएगा। यह पता चला कि व्यापारी पर बहुत दबाव है और वह पुलिस के साथ सहयोग नहीं करेगा। तत्काल पुलिस स्टाफ को एक सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में (जिसमें कांस्टेबल बी० एस० सोनाजे भी शामिल थे) अमर नगर भेजा गया। पुलिस दल ने बच कर भाग निकलने के सभी संभावित रास्तों को बन्द कर दिया। करीब 1620 बजे निरीक्षक बी० पी० कदम और उनके साथियों ने आतंकवादी सुक्खा को अमर पैलेस होटल आते देखा। उप-निरीक्षक जार्ज और उनके अन्य साथियों ने कार द्वारा उसका पीछा शुरू कर दिया। सुक्खा बांई बोर मुड़ा और खींडीपाड़ा हटमेंट्स में घुस गया। उप-निरीक्षक जार्ज ने बांई से उसके आगे आए और उप-निरीक्षक लक्ष्मण दुबे कार से बाहर निकल कर आये और सुक्खा को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। इस बीच अन्य दो पुलिस कर्मियों ने भी उसको घेर लिया। सुक्खा ने चेतावनी की अनसुनी करके अपनी 9 मि० मी० की पिस्तौल से गोलियां चलाई जो उप-निरीक्षक दुबे और उप-निरीक्षक भानुप्रताप बर्गे की छाती में लगी परन्तु वे घायल होने से बच गए क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थीं। दोनों उपनिरीक्षकों ने तुरन्त जवाबी गोलियां चलाई और उसे मार गिराया। जिस समय गोलीबारी चल रही थी तो साथ में बने हटमेंट्स से एक और आतंकवादी बाहर निकल कर आया तथा 9 मि० मी० की पिस्तौल से अंधा-धुन्ध गोलियां चलाने लगा। उसने चीन में निर्मित एक बम निकालकर निरीक्षक कदम और उप-निरीक्षक जार्ज की ओर फैंका। आतंकवादी द्वारा चलाई गई गोली निरीक्षक कदम और उप-निरीक्षक जार्ज की छाती पर लगी परन्तु चूंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी इसलिए गोली छाती के अन्दर नहीं घुस सकी। इसके बावजूद निरीक्षक कदम और उप-निरीक्षक जार्ज ने आतंकवादी पर जवाबी गोलीबारी की और उसको मार गिराया, जिसकी बाद में नंजा के रूप में पहचान की गई।

अपने सरदार को मरते देखकर, पास के हटमेंटों में छिपे तीन अन्य आतंकवादियों ने पुलिस दल पर ए० के०-56 राईफलों से गोलीबारी करनी शुरू कर दी। पुलिस कर्मियों ने जवाबी गोलीबारी की। फिर आतंकवादी पीछे हट गए और उनमें से दो ने पहाड़ी पर बनी एक झोंपड़ी में शरण ले ली। तीसरा आतंकवादी दूसरी दिशा में बचकर भाग निकला, जिसका पुलिस कर्मियों द्वारा पीछा किया गया। दल के अन्य सदस्यों सहित कांस्टेबल सोनाजे जो ए० के०-56 राईफल और मीडियम मशीन गन से की जा रही गोलीबारी के बीच झोंपड़ी की ओर आगे बढ़ रहा था, उस झोंपड़ी के अन्दर घुसने के एक रास्ते का पता लगाने में सफल हो गया जिसमें आतंकवादी छिपे हुए थे। वह आगे की ओर बढ़ा और उसने पीछे आते हुए पुलिस कार्मिकों को भी कवरिंग फायर प्रदान किया। पुलिस का घेरा तोड़ने का प्रयास करते हुए दोनों आतंकवादी अपनी ए० के०-56 राईफलों से अंधाधुन्ध गोलियां चलाते हुए अचानक बाहर निकल आए। तथापि, कांस्टेबल सोनाजे उनके निकट पहुंच गए और अपनी पिस्तौल से उन पर गोलियां चलाई। उनके द्वारा चलाई गई गोलियों में से एक गोली एक आतंकवादी की टांग में लगी लेकिन आतंकवादी द्वारा की गई जवाबी गोलीबारी से कांस्टेबल सोनाजे गम्भीर रूप से घायल हो गए और वहीं गिर गए। बाद में अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। शेष अन्य दो आतंकवादियों को अन्य पुलिस कार्मिकों ने मार डाला। मुठभेड़ में, कुल मिलाकर पांच आतंकवादी मारे गए। तलाशी लेने पर घटनास्थल से दो ए० के०-56 राईफलें, एक मशीन गन, चीन में बने दो बम, भरी हुई दो मैगजीनें, एक कारतूस की पेटी, और सैकड़ों जीवित कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री बी० एस० सोनाजे नायक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4-3-1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर, 1994

सं० 156-प्रेज 94—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और पद

श्री आर० एल० धनवाड़े,
पुलिस उप-निरीक्षक,
ग्रेटर बम्बई, पुलिस बल।

श्री डी० एम० अग्रवाल,
पुलिस उप-निरीक्षक,
ग्रेटर बम्बई, पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 20-12-91 को 4.35 बजे सुबह, सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात गिरोह बन्द और फरार—प्रकाश मिसल उर्फ शेंदी, एक सफेद फियेट कार में बैठकर सान्ताक्रूज से माहीम की ओर जा रहा है । इस सूचना के मिलते ही, सर्वश्री आर० एल० धनवाड़े तथा डी० एम० अग्रवाल उप-निरीक्षक, पुलिस दल सहित, तत्काल रवाना हो गये । उन्होंने अपने वाहन माहीम चर्च के नजदीक खड़े कर दिए । एक कांस्टेबल को, पुलिस दल को सचेत करने और संदिग्ध कार को रोकने के लिए, जंक्शन पर तैनात कर दिया । लगभग 5.30 बजे पूर्वाह्न, कांस्टेबल ने, सफेद फिएट कार देखने पर, पुलिस दल को इशारा कर दिया । फिर उसने, कार को रुकने का इशारा किया किन्तु कार तेजी के साथ शिव सेना भवन की ओर चली गयी । श्री धनवाड़े ने इस कार का पीछा किया । पुलिस को देखकर, अपराधी ने अपनी दिशा बदल दी और काजल रोड की तरफ गया । रवीन्द्र नाट्य मन्दिर के सामने, पुलिस दल, अपराधियों की कार के नजदीक पहुंचने में सफल हो गया और उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी । अपराधी ने अपनी रिवाल्वर से दो गोलियां चलाई, जोकि पुलिस वाहन की बांई खिड़की पर लगी जहां कि उप-निरीक्षक अग्रवाल बैठे हुए थे किन्तु वह सौभाग्य से बच गए । इसी बीच, दूसरे अपराधी ने जो कार की पिछली सीट पर बैठा था पुलिस की तरफ कोई कठोर चीज फेंकी, जिससे पुलिस वाहन का पिछला शीशा क्षतिग्रस्त हो गया । खतरे को देखकर सर्वश्री धनवाड़े तथा अग्रवाल ने अपने-अपने रिवाल्वर निकाल लिए । अपराधियों की कार जब प्रभा देवी मंदिर के नजदीक पहुंची तो अपराधी के सहयोगी ने, पुलिस दल पर एक और गोली चलाई । अपनी सर्विस रिवाल्वर से श्री धनवाड़े ने एक तथा उप-निरीक्षक अग्रवाल ने दो गोलियां चलाई । इससे, अपराधियों की कार का पिछला शीशा चकनाचूर हो गया किन्तु अपराधियों ने कार भगाना जारी रखा । अपराधियों की कार जब टाटा प्रैस के नजदीक पहुंची तो वे बांई तरफ की पतली गली में मुड़ गए । इसी समय पुलिस ने अपराधियों की कार से आगे निकलने का प्रयास किया, किन्तु अपराधियों की कार बांई तरफ से पुलिस वाहन की बांई तरफ के हिस्से से टकरायी । इस टक्कर के कारण अपराधियों की कार आंशिक रूप से फुटपाथ पर चढ़ गई और रुक गई । अपराधी कार से बाहर निकल आए और उन्होंने पुलिस दल पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलाना शुरू कर दिया । सर्वश्री धनवाड़े तथा अग्रवाल, तुरन्त वाहन से उतर पड़े, और 10-15 फीट दूर खड़ी एक कार के पीछे आड़ ली । सर्वश्री धनवाड़े तथा अग्रवाल ने अपराधियों की तरफ गोलियां चलायीं और दोनों को जख्मी कर दिया । किन्तु दोनों अपराधी फिर से अपनी कार में घुसे और भागने का प्रयत्न करने लगे । वे ऐसा नहीं कर सके । और गोलियों से हुए जख्मों के कारण वे कार में ढेर हो गए कार में कोई हलचल न देखकर, पुलिस दल सावधानी पूर्वक कार के नजदीक गया और उन्हें के० ई० एम० अस्पताल ले गए जहां उन्हें दाखिल करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री आर० एल० धनवाड़े, उप-निरीक्षक तथा डी० एम० अग्रवाल, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20-12-1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 1994

सं० 157-प्रेज 94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

श्री रोहित चौधरी,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
बटाला ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

28-6-1993 को रोहित चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बटाला, को सूचना प्राप्त हुई कि नामी कट्टर उग्रवादी शमशेर सिंह उर्फ शेरा और अमरजीत सिंह उर्फ बिल्ला अपने एक साथी सहित थाना श्री हरगोबिन्दपुर के अन्तर्गत श्री बख्शी सिंह नामक व्यक्ति के ट्यूबवैल पर थे । अपने निजी सुरक्षा स्टाफ सहित श्री चौधरी तुरन्त छिपने के संदिग्ध स्थान की ओर रवाना हो गए । उन्होंने वायरलैस के माध्यम से निकट के पुलिस थानों से भी कुमुक बुला भेजी । वहां पहुंचने पर श्री चौधरी ने बल को ब्रीफ किया और गांव को घेर लिया । श्री दिलावर सिंह सहित श्री चौधरी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक पुलिस उपाधीक्षक सहित ट्यूबवैल की ओर बढ़े । जैसे ही वे ट्यूबवैल के निकट पहुंचे, तो उग्रवादियों ने श्री चौधरी के दल पर भारी गोलीबारी करनी शुरू कर दी । पुलिस कार्मिकों ने तुरन्त मोर्चे ले लिए और जवाबी गोलीबारी की । श्री चौधरी ने अपने बन्दूकधारी से एल० एम० जी० लेकर उग्रवादियों पर भारी गोलीबारी की । आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी से पुलिस उपाधीक्षक घायल हो गए । ऐसा होते देख, श्री चौधरी ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना बड़े साहसी तरीके से उग्रवादियों की भारी गोलीबारी के बीच घायल पुलिस उपाधीक्षक तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की ।

पुलिस कार्मिकों द्वारा की गई कवरिंग फायर की सहायता से, श्री चौधरी घायल अधिकारी को एक सुरक्षित स्थान पर ले आए और इस प्रकार उसकी जान बचाई।

उसके बाद, श्री चौधरी पुनः अपने दल में शामिल हो गए और छिपे हुए उग्रवादियों पर बड़े ही प्रभावकारी ढंग से गोलीबारी की। उग्रवादियों ने हताश होकर पुलिस की घेराबन्दी तोड़ने का प्रयास किया परन्तु उनका प्रयास विफल कर दिया गया। कुछ समय बाद, उग्रवादियों ने पुनः पुलिस का घेरा तोड़ने का प्रयास किया और भारी गोलीबारी करते हुए विभिन्न दिशाओं में भागे। श्री चौधरी ने एक उग्रवादी का पीछा किया, जो एक जी० पी० एम० जी० से गोलियां चलाते हुए एक दिशा में भागने का प्रयास कर रहा था। उग्रवादी ने श्री चौधरी को अपनी बन्दूक का निशाना बनाते हुए गोली चलाई, परन्तु वह बाल-बाल बच गए। तब श्री चौधरी ने अपनी एल० एम० जी० से उग्रवादी पर गोली चलाई और उसे मार गिराया, जिसकी शमशेर सिंह उर्फ शेरा (एक नामी उग्रवादी और के० एल० एफ० का स्वयं-भू ले० जनरल) के रूप में पहचान की गई।

श्री दिलावर सिंह ने अन्य उग्रवादी का पीछा किया, जिसने अपनी ए० के०-47 राईफल द्वारा भारी गोलीबारी करके उनको मार डालने का प्रयास किया, परन्तु वह बाल-बाल बच गए। श्री दिलावर सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उग्रवादी का पीछा करना जारी रखा और अन्ततः उग्रवादी को मार डालने में सफलता पाई जिसकी बाद में अमरजीत सिंह उर्फ बिल्ला (एक नामी कट्टर उग्रवादी तथा के०एल०एफ०का स्वयं-भू उप प्रधान के रूप में पहचान की गई।

इस बीच तीसरे उग्रवादी ने पुलिस दलों पर गोलियां चलाते हुए बच कर भागने का असफल प्रयास किया। थाना सदर बटाला के थाना प्रभारी और थाना घुमान के उप-निरीक्षक ने एक बुलेट-प्रूफ ट्रैक्टर में भागते हुए उग्रवादी का पीछा किया और उसे मार डाला। इस उग्रवादी की पहचान नहीं की जा सकी। तलाशी लेने पर मृत उग्रवादियों से एक जी० पी० एम० जी०, 2 ए० के०-47 राईफलें और उनकी चार मैगजीनें तथा एक सर्विस रिवाल्वर बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री रोहित चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28-6-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 158-प्रेज 94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री जसमिन्दर सिंह (मरणोपरान्त)
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना प्रभारी—पुलिस स्टेशन नेहियांवाला,
भटिन्डा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 23-4-1993 को सूचना प्राप्त हुई कि उग्रवादियों ने एक विशेष पुलिस अधिकारी तथा एक होमगार्ड की हत्या कर दी है जोकि थाना-दयालपुरा के गांव कोठा गुरू का, में बैंक ड्यूटी पर थे। इस सूचना के प्राप्त होने पर, पास के पुलिस स्टेशनों/मुख्यालय से विभिन्न पुलिस दल, गांव कोठा गुरू का की ओर गए और तलाशी अभियान शुरू कर दिया।

इसी बीच, यह संदेश प्राप्त हुआ कि गांव पुहला के नजदीक कुछ उग्रवादियों ने भटिन्डा के उपायुक्त की कार को रिमोट कंट्रोल बम से उड़ाने की कोशिश की, जब वे उस घटना स्थल का दौरा करने गांव कोठा गुरू का की ओर जा रहे थे। इस घटना के बाद, उग्रवादियों को तलाश करने के लिए, सभी पुलिस दलों को विभिन्न दिशाओं में फैला दिया गया।

लगभग 3.45 बजे अपराह्न श्री अमरीक सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, उप-मंडल भटिन्डा की, गांव ढिलवां के नजदीक उग्रवादियों से मुठभेड़ हो गयी, और उन्होंने इस बारे में, अन्य पुलिस दलों को सूचित कर दिया। आतंकवादी, श्री अमरीक सिंह के दल पर तीन हथगोले फैंक कर भागने में सफल हो गए।

इस संदेश के मिलने पर, उप-निरीक्षक जसमिन्दर सिंह, थाना प्रभारी, थाना-नैहियांवाला, तथा उनका दल गांव ढिलवां के नजदीक पहुंचे। उन्होंने भागते हुए उग्रवादियों को देखा। उन्होंने उग्रवादियों का पीछा किया और उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा। इस पर उग्रवादियों ने उप-निरीक्षक जसमिन्दर सिंह तथा उनके दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पुलिस कार्मिकों ने सुरक्षात्मक मोर्चा संभाला और उग्रवादियों को उलझाए रखा। भारी गोलीबारी के बावजूद, उप-निरीक्षक जसमिन्दर सिंह उग्रवादियों के नजदीक पहुंचने में सफल हो गए। उग्रवादियों को पकड़ने के प्रयास में वे उग्रवादियों पर झपट पड़े किन्तु दुर्भाग्य से एक गोली उनके सीने में लगी और वे गंभीर रूप से जख्मी हो गये तथा बाद में जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

श्री अमरीक सिंह, उग्रवादियों का पीछा करते रहे, जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तो उग्रवादी ट्रैक्टर को छीन कर गांव गिद्दर की तरफ भाग गए। श्री अमरीक सिंह और उनका दल उग्रवादियों का पीछा करता रहा। पुलिस दल, जब उस गली में पहुंचा जिसमें कि उग्रवादी घुसे थे, तो उग्रवादियों द्वारा पुलिस दल पर एक हथ गोला फैंका गया, किन्तु सौभाग्य से बच गए। श्री अमरीक सिंह ने उग्रवादियों पर गोलियां चलायीं। उग्रवादियों ने फिर से एक ट्रैक्टर छीना और गांव नाथपुरा की ओर चले गए। लगातार हो रही गोलीबारी और बम-हमलों के बावजूद अमरीक सिंह और उनका दल अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उग्रवादियों का पीछा करता रहा और अन्ततः वे उग्रवादियों के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गए। इसी बीच दूसरे दल भी पीछा करने में साथ मिल गए और उग्रवादियों ने खेतों में पोजीशन ले ली। क्षेत्र की घेराबन्दी कर दी गई और तब एक भीषण मुठभेड़ हुई।

डेढ़ घंटे तक दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होती रही। उसके बाद, उग्रवादियों की तरफ से गोलियों का चलना बन्द हो गया। तलाशी के दौरान उग्रवादियों के, गोलियों से छलनी हुए दो शव बरामद हुए। बाद में, मारे गए उग्रवादियों में से एक की, प्रगट सिंह, जो कि खूंखार उग्रवादियों की सूची में था और के० एल० एफ० का स्वयं-भू लेफ्टि० जनरल था, के रूप में शिनाखत की गई, तथापि दूसरे उग्रवादी की शिनाखत नहीं हो सकी। तलाशी के दौरान, मुठभेड़ वाले स्थान से, 1 ए० के०–47 राइफल, एक .315 बोर की राइफल तथा बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री जसमिन्दर सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23-4-93 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 159–प्रेज 94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और पद

श्री जसपाल सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना प्रभारी,
सरहिन्द।

श्री वीर आत्मा राम,
सहायक पुलिस उप-निरीक्षक,
पुलिस स्टेशन,
सरहिन्द।

सेवाओं का विवर जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 1 जुलाई, 1991 को 3 आतंकवादियों द्वारा श्री पवन कुमार बंसल नामक उद्योगपति का गोविंदगढ़ से अपहरण कर लिया गया। आतंकवादियों ने उसे छोड़ने के लिए उसके माता-पिता से फिरौती की भारी रकम की मांग की। पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक खास सूचना प्राप्त हुई कि श्री पवन कुमार बंसल को, थाना बस्सी पठाणा के गांव बहादरगढ़ के सामने वाले गांव आलियां के एक बगीचे में रखा गया है।

दिनांक 2 जुलाई, 1991 को, बल को एकत्र किया गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटियाला, की एकछत्र कमान तथा पर्यवेक्षण में पुलिस दल बनाए गए और सुरक्षा बलों द्वारा बगीचे की चारों तरफ से घेराबन्दी कर ली गयी। पुलिस दलों में से एक को, जिसका नेतृत्व उप-निरीक्षक जसपाल सिंह कर रहे थे और जिसमें सहायक उप-निरीक्षक वीर आत्मा राम तथा अन्य कार्मिक शामिल थे, उस स्थान पर घुसने का आदेश दिया गया था जहां कि आतंकवादियों ने बंधक को रखा हुआ था। लगभग 6 बजे शाम को कार्रवाई शुरू की गई और आतंकवादियों ने देखा कि पुलिस उनके छिपने के ठिकाने की ओर आ रही है तो उन्होंने स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। आतंकवादियों द्वारा चलाई जा रही गोलियों का सामना करते हुए पुलिस कार्मिकों ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह नहीं की और आतंकवादियों पर गोलियां बरसाते हुए और आगे बढ़े। जबाबी गोलीबारी में, एक आतंकवादी, जो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, कुछेक गज तक दौड़ा और गिर पड़ा, किन्तु वह अपने स्वचालित शस्त्र से पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलाता रहा। उप-निरीक्षक जसपाल सिंह तथा सहायक उप-निरीक्षक वीर आत्मा राम के नेतृत्व वाला दल उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के बावजूद और आगे बढ़ा और उग्रवादियों को काफी नजदीक से घेर लिया। अन्ततः वे दोनों आतंकवादियों को मारने में सफल हो गए, जिनकी बाद में, सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा और कुलतार सिंह के रूप में शिनाख्त की गई। तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से एक ए० के०–47 राईफल, .38 बोर की रिवाल्वर तथा बड़ी संख्या में जिंदा चले/खाली कारतूस बरामद किए गए। तथापि, तीसरा आतंकवादी, पास के खेतों में काम कर रहे किसानों/मजदूरों की आड़ लेकर भागने में सफल हो गया। इस प्रकार सर्वश्री जसपाल सिंह, वीर आत्मा राम तथा अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए महान प्रयासों से श्री पवन कुमार बंसल को आतंकवादियों के चंगुल से मुक्त कराया जा सका।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री जसपाल सिंह, उप-निरीक्षक, वीर आत्मा राम, सहायक उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता,

साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 जुलाई, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 160-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद
श्री धरम सिंह
पुलिस निरीक्षक
थाना प्रभारी, थाना धरमपुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने पर, निरीक्षक धरम सिंह के नेतृत्व में, एक पुलिस दल द्वारा गिल कलां, कर्मवाला तथा जड़के गांवों की तलाशी ली गई। दिनांक 3-6-92 को तलाशी लेने के बाद लगभग 11.15 बजे पूर्वाह्न जब यह दल सड़क के रास्ते गांव जियोन्द की तरफ जा रहा था तो निरीक्षक धरम सिंह ने देखा कि दो आदमी संदिग्धावस्था में स्कूटर पर जा रहे हैं। निरीक्षक ने उन्हें रुकने का इशारा किया किन्तु स्कूटर के पीछे बैठे व्यक्ति ने अपनी ए० के० 47 राईफल से पुलिस दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और पुलिस दल पर गोलियां चलाता हुआ स्कूटर से गंडा सिंह की ढाणी की तरफ चला गया। पुलिस दल ने उनका पीछा किया और आत्मरक्षा में जवाबी गोलियां चलाई। संदिग्ध व्यक्तियों ने गंडा सिंह की ढाणी के समीप अपना स्कूटर छोड़ खेतों की तरफ भागना शुरू कर दिया। निरीक्षक धरम सिंह ने उन्हें फिर से, आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा किन्तु उग्रवादी पुलिस दल पर गोलियां चलाते हुए भागते रहे। श्री धरम सिंह तथा उनके दल ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना लगातार गोलियां चला रहे उग्रवादियों का तेजी से पीछा किया, इससे उग्रवादियों को पक्का खाल के पीछे छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद उग्रवादियों ने पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस कार्मिकों ने सुरक्षात्मक पोजीशन ले ली और आत्मरक्षा में जवाबी गोलियां चलाई। दोनों तरफ से हो रही इस भारी गोलीबारी में श्री धरम सिंह ने बड़ी युक्ति से क्षेत्र की घेराबंदी की और उग्रवादियों को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा और अपने कार्मिकों को घेरा कसने का निदेश दिया। लगातार हो रही गोलीबारी में वह स्वयं रेंगते हुए उग्रवादियों की तरफ बढ़े और अन्ततः उग्रवादियों के नजदीक पहुंच गए। तब उन्होंने उग्रवादियों पर सधे हुए निशाने से गोलीबारी की और एक उग्रवादी को मार गिराया। कुछ देर इन्तजार करने के बाद, क्षेत्र की तलाशी ली गयी, और वहां से गोली लगने से मारे गए एक उग्रवादी का शव बरामद हुआ, जिसकी बाद में, के० सी० एफ० (पंजवार) के कट्टर उग्रवादी रणजीत सिंह के रूप में शिनाख्त की गयी। तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से, एक ए० के० 47 रायफल, 2 मैगजीन, ए० के० 47 के 31 बिना चले कारतूस, ए० के० 47 के 30 खोल और एक बजाज चेतक स्कूटर बरामद किया गया। तथापि, दूसरा उग्रवादी भागने में सफल हो गया।

इस मुठभेड़ में श्री धरम सिंह, निरीक्षक ने अदम्य वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3-6-92 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 161-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और पद

श्री मोहकम सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
गुप्तचर, भटिन्डा।

श्री मुकन्द सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
थाना प्रभारी, थाना मौर।

श्री इकबाल सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
भटिन्डा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 21-9-92 को मौर क्षेत्र में खूंखार उग्रवादियों की उपस्थिति की विश्वस्त सूचना मिलने पर, श्री मोहकम सिंह, पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर) ने उग्रवादियों को पकड़ने के लिए पूरे क्षेत्र की तलाशी का कार्य शुरू किया। लगभग दिन में 10.00 बजे जब श्री मोहकम सिंह, मुकन्द सिंह निरीक्षक और कांस्टेबल इकबाल सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस दल के साथ, धन्ना सिंह नम्बरदार के कपास के खेतों के नजदीक पहुंचे तो वहां छिपे हुए उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। श्री मोहकम सिंह के

निर्देशन में, पुलिस दल ने पोजीशन ली और जवाबी गोली-बारी शुरू कर दी। उग्रवादी कपास के खेत में बनी हुई एक खाई के पीछे छिप गये और पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलाना जारी रखा। तब, श्री मोहकम सिंह, पुलिस अधीक्षक, ने अपने आदमियों को रेंगते हुए आगे बढ़ने और उग्रवादियों की खाईयों को उड़ा देने का निर्देश दिया। श्री मोहकम सिंह पुलिस अधीक्षक एकदम आगे थे और उनके पीछे-पीछे कांस्टेबल इकबाल सिंह थे, और वे गोलियों की बौछार का सामना करते हुए रेंगते हुए खाई की तरफ बढ़ते गए। इस प्रक्रिया में, कांस्टेबल इकबाल सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए और जख्मों के कारण उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। श्री मोहकम सिंह पुलिस अधीक्षक बाल-बाल बचे। तथापि, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और रेंगना जारी रखा तथा खाई के नजदीक पहुंच गए। निरीक्षक मुकन्द सिंह ने अपने जीवन को दाव पर लगाकर एक उग्रवादी को धर दबोचा और श्री मोहकम सिंह, पुलिस अधीक्षक ने तुरन्त अचूक निशाना लगाकर आतंकवादी को वहीं मार गिराया और निरीक्षक मुकन्द सिंह जोकि उग्रवादियों का शिकार बनने वाले थे, के जीवन को भी बचा लिया। मारे गए आतंकवादी की शिनाख्त जिले के कुख्यात उग्रवादी कुलविन्दर सिंह कूबे के रूप में की गई। मुठभेड़ स्थल के पास एक जोड़ी जूती (जूते) तथा चादरा (धोती) पाए गए। श्री मोहकम सिंह ने दूसरे उग्रवादियों को खोजने के काम के लिए खोजी कुत्ते मंगवाए और बुलेट प्रूफ जिप्सी में बैठकर खोजी कुत्तों के पीछे-पीछे चल दिए। इस पर, छिपे हुए उग्रवादियों ने फिर से पुलिस दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। श्री मोहकम सिंह, पुलिस अधीक्षक ने एक उग्रवादी पर गोली चलाई और उसे वहीं मार गिराया जिसकी बाद में डा० दर्शन सिंह के रूप में शिनाख्त की गई। इस मुठभेड़ में, कांस्टेबल इकबाल सिंह ने, उग्रवादियों से वीरता पूर्वक लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया और सर्वश्री मोहकम सिंह, पुलिस अधीक्षक, मुकन्द सिंह, निरीक्षक, ने उग्रवादियों पर काबू पाने और उनके छिपने के ठिकानों पर उन्हें मारने तथा भारी संख्या में हथियार और गोला-बारूद पकड़ने में अनुकरणीय साहस, और सूझबूझ का परिचय दिया

इस मुठभेड़ में श्री मोहकम सिंह, पुलिस अधीक्षक, श्री मुकन्द सिंह, निरीक्षक तथा श्री इकबाल सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21-9-92 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 162-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री इन्दरजीत सिंह,
कांस्टेबल,
तरनतारन।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

4 अक्तूबर, 1991 को श्री परमदीप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, भीखीविंड, को सूचना प्राप्त हुई कि थाना भीखीविंड के अन्तर्गत गांव छंग के निकट बाबा रोड़े शाह की मजार में कट्टर सूचीबद्ध उग्रवादी करज सिंह समरा सहित कुछ उग्रवादी छिपे हुए हैं। श्री परमदीप सिंह ने तुरन्त थाना प्रभारी, भीखीविंड से संपर्क स्थापित किया और बल सहित उस स्थान को गए और गांव छंग के क्षेत्र को घेर लिया। उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलाईं। पुलिस दल ने आत्म-सुरक्षा में जवाबी गोलियां चलाईं। पुलिस की प्रभावकारी गोली-बारी के कारण उग्रवादी सरदूल सिंह नामक एक व्यक्ति के फार्म हाऊस की ओर भागे और उसके अन्दर घुस गए। पुलिस ने उनका पीछा किया और फार्म हाऊस को घेर लिया। फार्म हाऊस के अन्दर छिपे उग्रवादियों पर की गई भारी गोलीबारी अप्रभावी रही क्योंकि वे वहां आड़ में छिपे हुए थे। थाना खेमकरण और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 70वीं बटालियन से कुमुक बुलाई गई। चूंकि सूरज डूब चुका था, इसलिए फार्म हाऊस के चारों ओर कड़ा घेरा डाला गया ताकि उग्रवादी अंधेरे का लाभ उठाकर बच कर भागने न पावें।

5-10-91 को करीब 6 बजे पूर्वाह्न श्री परमदीप सिंह और उनके दल के सदस्य एक बी० पी० ट्रैक्टर में बैठकर उत्तर दिशा की ओर से फार्म हाऊस की ओर बढ़े जबकि श्री गुरदयाल सिंह और उनके दल के सदस्य एक बी० पी० ट्रैक्टर में सवार होकर पश्चिम दिशा की ओर से फार्म हाऊस की ओर बढ़े। दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई। फिर भी, सर्वश्री परमदीप सिंह और गुरदयाल सिंह, उग्रवादियों के मोर्चे का पता लगाने में सफल हो गए तथा उनके मोर्चे के निकट पहुंच कर उन्होंने अपनी ए० के०-47 राईफलों से गोलियां चला कर दो उग्रवादियों को मार डाला। चूंकि उग्रवादियों की ओर से अभी भी गोलियां चल रही थीं, तथा बी० पी० ट्रैक्टर से चलाई गई गोलियां लाभदायक सिद्ध नहीं हो रही थीं। अतः पंजाब पुलिस के कांस्टेबल इन्दरजीत सिंह और के० रि० पु० बल के हैड-कांस्टेबल रत्न सिंह को फार्म हाऊस की छत पर भेजा गया। उन्होंने एक छेद में से अन्दर हथगोले फेंके और दो और उग्रवादियों को निष्प्रभाव कर दिया। मारे गए दोनों उग्रवादियों की बाद में पहचान करज सिंह समरा निवासी गांव समरा और अमर जीत सिंह निवासी गांव धुन के रूप में हुई जोकि सूचीबद्ध

कट्टर उग्रवादी थे। इसके अलावा, वहां से निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारूद भी बरामद किया गया :—

(i)	जी० पी० एम० जी०	1
(ii)	जी० पी० एम० जी० की ड्रम मैगजीनें	2
(iii)	ए० के०—47 राईफल	1
(iv)	ए० के०—74 राईफल	1
(v)	डी० वी० बी० एल बंदूक	2
(vi)	दाकी-टाकी सैट	1
(vii)	ए० के०—47 के कारतूस	185

इस मुठभेड़ में श्री इन्दरजीत सिंह, लांस कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5-10-1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 163-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री रूपिन्दर सिंह (मरणोपरांत)
पुलिस उप-अधीक्षक,
बटाला।

श्री कश्मीर सिंह, (मरणोपरांत)
सहायक पुलिस उप-निरीक्षक,
बटाला।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

27-1-92 को यह विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर कि थाना कादियां के अन्तर्गत गांव करनामा में कट्टर आतंकवादी और खालिस्तान कमांडो फोर्स (वासन सिंह जफ्फर वाल ग्रुप) का स्वयं-भू उप-प्रमुख सुखविन्दर सिंह और उसके साथी छिपे हुए हैं, श्री रूपिन्दर सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक ने तुरन्त श्री जे० पी० सिंह, पुलिस अधीक्षक/प्रचालन, बटाला को सूचित किया और तलाशी अभियान चलाने और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक पुलिस पार्टी का गठन किया। गांव का घेरा डाल लेने के बाद पुलिस उपाधीक्षक, रूपिन्दर सिंह ने प्रत्येक घर की तलाशी लेनी शुरू की और जिस समय वे चरनजीत सिंह नामक व्यक्ति के घर की छत की तलाशी लेने जा रहे थे तो पड़ोसी के घर में छिपे आतंकवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी करनी शुरू कर दी। श्री रूपिन्दर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गए। यद्यपि, वे बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी ए० के०—47 राईफल से आतंकवादी पर जवाबी गोलीबारी की और तीन में से एक आतंकवादी को घायल करने में सफल हो गए। आतंकवादी अंधाधुन्ध गोलीबारी करते हुए और पुलिस दल पर राकेट छोड़ते हुए पास के खेतों की ओर भागे। सहायक उप-निरीक्षक कश्मीर सिंह और सहायक उप-निरीक्षक अजीत सिंह ने, दोनों के स्वयं गम्भीर रूप से घायल होने के बावजूद भागते हुए आतंकवादियों का बहादुरी के साथ पीछा किया। श्री कश्मीर सिंह, सहायक उप-निरीक्षक, द्वारा की गई अचूक गोलीबारी के परिणामस्वरूप घायल आतंकवादी मारा गया, जिसकी बाद में सूची-बद्ध कट्टर आतंकवादी सुखविन्दर सिंह, के रूप में पहचान की गई, जिसकी सौ हत्याओं के लिए तलाश थी। मारे गए आतंकवादी से 25 बिना प्रयोग हुए कारतूसों वाले ड्रम मैगजीन सहित एक जी० पी० एम० बन्दूक, एक राकेट लांचर इत्यादि बरामद किए गए। उक्त अभियान में श्री रूपिन्दर सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक और श्री कश्मीर सिंह, सहायक पुलिस निरीक्षक सहित 7 पुलिस कार्मिकों ने सर्वोच्च कुर्बानी दी। राज्य सरकार अन्य सभी को उचित रूप से मुआवजा दिया गया है।

इस मुठभेड़ में श्री रूपिन्दर सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक और श्री कश्मीर सिंह, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27-1-1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 164-प्रेज 94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक-सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री प्रेम दास,
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना प्रभारी,
थाना, गुरदासपुर शहर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

7 जून, 1993 को, उप-निरीक्षक प्रेम दास, थाना प्रभारी, थाना गुरदासपुर शहर ने एक पुलिस दल सहित कहनुवां रोड, बाई पास गुरदासपुर, के नाले पर बने एक पुल के निकट नाका-बन्दी की । करीब 10.30 बजे रात को उन्होंने तेज रफ्तार में एक मारूति कार आते हुए देखी । उन्होंने सर्च लाईट के द्वारा कार को रूकने का संकेत दिया, परन्तु कार में बैठे लोगों ने नाका दल पर गोलियां चला दी । एक गोली उप-निरीक्षक प्रेम दास के बहुत पास से होती हुई निकली जो जिप्सी के बोनट पर जा लगी । उप-निरीक्षक प्रेम दास और अन्य पुलिस कार्मिकों ने तुरन्त पोजीशन संभाल कर आत्म-सुरक्षा में गोलियां चलाई । इस बीच, दो व्यक्ति कार से बाहर आए और पास में बने एक ट्यूबवैल में छिप गए । उप-निरीक्षक प्रेम दास ने तुरन्त पुलिस नियंत्रण कक्ष और थाना गुरदासपुर शहर को घटना की सूचना दी । उन्होंने अन्य व्यक्तियों के साथ आतंकवादियों का पीछा किया और ट्यूबवैल को घेर लिया ।

इस बीच, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गुरदासपुर केन्द्रीय रिजर्व बल की 34वीं बटालियन के पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस उप-अधीक्षक, कमांडो अपने स्टाफ सहित घटना स्थल पर पहुंच गए । स्थिति का जायजा लेने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गुरदासपुर ने पुलिस दलों को उस क्षेत्र को सभी ओर से घेर लेने का आदेश दिया । पूरी घेराबन्दी करने के बाद, गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा, लेकिन आतंकवादियों ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी । लगभग तीन घंटे तक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही लेकिन पुलिस दल आतंकवादियों को पकड़ने अथवा मार डालने में सफल नहीं हो सका । तब, एस० एस० पी०, गुरदासपुर ने उप-निरीक्षक प्रेम दास के नेतृत्व में एक अग्रिम दल ट्यूबवैल के निकट भेजने का फैसला किया । जब उप-निरीक्षक प्रेम दास अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ ट्यूबवैल के निकट पहुंचे तो आतंक-वादियों ने इस दल पर गोलियों की बौछार कर दी । उप-निरीक्षक प्रेम दास और उनके दल ने तुरन्त पोजीशन ले ली और आत्म सुरक्षा में जवाबी गोलीबारी की । । पुलिस दल की भारी गोलीबारी के कारण, एक आतंकवादी ट्यूबवैल से बाहर निकल आया और पुलिस दल पर गोलियां चलाते हुए एक बाग की ओर भागने लगा । उप-पुलिस अधीक्षक, कमांडों के दल ने उस क्षेत्र को पहले ही उस ओर से घेरा हुआ था ।

उप-निरीक्षक प्रेम दास के दल और आतंकवादियों के बीच 20 मिनट तक रूक-रूक कर गोलीबारी होती रही । उसके बाद उप-निरीक्षक प्रेम दास ने एक कांस्टेबल के साथ ट्यूब-वैल को पिछली तरफ से घेरने का निर्णय लिया; जबकि शेष दल को कवरिंग फायर करते रहने का आदेश दिया । जब उप-निरीक्षक प्रेम दास ट्यूबवैल के निकट पहुंचे तो आतंकवादी ने अन्दर से एक एसाल्ट राईफल से फायर किया । एक गोली उप निरीक्षक प्रेम दास के सिर के पास से होती हुई निकली और वे घायल होने से बच गए । उन्होंने घुटनों के बल झुक कर पोजीशन ली और अपनी एस० एल० आर० से आतंकवादी पर गोलियां चलाई । एक गोली आतंकवादी को लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा । दूसरा आतंकवादी बाद में एक अन्य पुलिस बल के साथ मुठभेड़ में मारा गया । बाद में मृत आतंकवादियों की शिनाख्त जोगिन्दर सिंह उर्फ हरबंस सिंह (बब्बर खालसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, दिल्ली इकाई का प्रमुख) और जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश के मकबूल अहमद के रूप में की गई । तलाशी के दौरान घटना स्थल से दो ए० के०-47 राईफलें, ए० के०-47 की 6 मैगजीनें, ए० के०-47 के करीब 200 जीवित/खाली कारतूस तथा एक मारूति कार बरामद की गई

इस मुठभेड़ में श्री प्रेम दास, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 मई, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 165-प्रेज 94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री विक्रावर सिंह,
पुलिस उपाधीक्षक,
श्री हरगोबिन्दपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

28 जून, 1993 को श्री रोहित चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बटाला को सूचना मिली कि कट्टर आतंकवादी शमशेर सिंह उर्फ शेरा और अमरजीत सिंह उर्फ बिल्ला अपने

एक साथी सहित थाना श्री हरगोबिन्दपुर के अंतर्गत श्री बख्शीश सिंह नामक व्यक्ति के ट्यूबवैल में छिपे हुए हैं। श्री चौधरी अपने निजी सुरक्षा स्टाफ के साथ तुरन्त छिपने के संदिग्ध स्थान की ओर रवाना हो गए। उन्होंने वायरलैस के द्वारा समीप के थानों से कुमुक भी बुला ली। वहां पहुंचने पर, श्री चौधरी ने बल को ब्रीफ किया और गांव को घेर लिया। श्री चौधरी, श्री दिलावर सिंह और के० रि० पु० बल के एक पुलिस उपाधीक्षक ट्यूबवैल की ओर बढ़े। जैसे ही वे ट्यूबवैल के निकट पहुंचे उग्रवादियों ने श्री चौधरी के दल पर भारी मात्रा में गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस दल ने तुरन्त पोजीशन लेकर जवाबी गोलीबारी आरम्भ कर दी। श्री चौधरी ने अपने गनमैन से एल० एम० जी० ले ली और आतंकवादियों पर भारी गोलीबारी की। आतंकवादियों की गोलीबारी से के० रि० पु० बल के पुलिस उप-अधीक्षक घायल हो गए। यह देखकर, श्री चौधरी अपनी निजी सुरक्षा की चिंता न करते हुए भारी गोलीबारी के बीच साहस का परिचय देते हुए होशियारी के साथ पुलिस उपाधीक्षक के पास पहुंच गए। पुलिस कार्मिकों की कवरिंग फायर के सहारे श्री चौधरी घायल अधिकारी को सुरक्षित स्थान पर लाने में सफल हो गए और इस प्रकार उनकी जान बचा ली।

उसके बाद, श्री चौधरी पुनः अपने दल में शामिल हो गए और छिपे हुए आतंकवादियों पर बड़े ही प्रभावकारी ढंग से गोलीबारी करने लगे। निराश होकर आतंकवादियों ने पुलिस का घेरा तोड़ने का प्रयास किया लेकिन उनके इस प्रयास को विफल कर दिया गया। कुछ देर बाद, आतंकवादियों ने पुनः पुलिस घेरे को तोड़ने का प्रयास किया और विभिन्न दिशाओं में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। श्री चौधरी ने एक आतंकवादी का पीछा किया जो जी० पी० एम० जी० से गोलियां चलाते हुए एक दिशा में बच कर भागने का प्रयास कर रहा था। उस आतंकवादी ने श्री चौधरी को अपनी गोलियों का निशाना बनाया, परन्तु वे बाल-बाल बच गए। तब श्री चौधरी ने अपनी एल० एम० जी० से उस आतंकवादी पर गोलियां चलाई और उसको मार गिराया। उसकी पहचान शमशेर सिंह उर्फ शेरा (एक सूची बद्ध कट्टर आतंकवादी और के० एल० एफ० का स्वयं-भू ले० जनरल) के रूप में की गई।

श्री दिलावर सिंह ने एक अन्य आतंकवादी का पीछा किया, जिसने अपनी ए० के०-47 राईफल से गोलियां चलाकर उन्हें मारने की कोशिश की, परन्तु अधिकारी बाल-बाल बच गए। श्री दिलावर सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना आतंकवादी का पीछा करना जारी रखा और अन्ततः उस आतंकवादी को मारने में सफल हो हुए, जिसकी बाद में अमर जीत सिंह उर्फ बिल्ला (एक सूचीबद्ध आतंकवादी और के० एल० एफ० का स्वयं-भू उप-प्रमुख) के रूप में पहचान की गई।

इस बीच, तीसरे आतंकवादी ने पुलिस दल पर गोलियां चलाते हुए बच निकलने की नाकाम कोशिश की। थाना सदर बटाला के थाना प्रभारी और थाना घुमान के उप-निरीक्षक ने भागते हुए आतंकवादी का एक बुलेट-प्रूफ ट्रेक्टर से पीछा किया और उसे मार गिराया। इस आतंकवादी की पहचान नहीं हो सकी। तलाशी के दौरान, मृत आतंकवादी से एक जी० पी० एम० जी०, चार मैगजीनों सहित दो ए० के०-47 राईफलें तथा एक सर्विस रिवाल्वर बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री दिलावर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 जून, 1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 166-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बलदेव सिंह शेखों,
पुलिस, उप-अधीक्षक,
फिरोजपुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 23 मई, 1993 को, फिरोजपुर के पुलिस उप-अधीक्षक, श्री बलदेव सिंह को सूचना मिली कि थाना सदर, फिरोजपुर के झोक हरिहर गांव में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। उन्होंने तुरन्त ही सदर फिरोजपुर तथा ममडोट के थाना प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करके, एक योजना बनाई और उन्हें निदेश दिया कि बल को तैयार रखें ताकि उन्हें बाद में बताए जाने वाले स्थान की ओर भेजा जाए। दिनांक 24-5-93 को दोपहर एक बजे, अन्तिम पुष्ट सूचना मिलने पर, पुलिस पार्टियों को उस क्षेत्र में बंद पड़ी चमड़े की एक फैक्टरी की ओर रवाना किया गया। पुलिस दल को चार भागों में विभाजित किया गया और उप-निरीक्षक दर्शन सिंह (पूर्व दिशा की ओर), उप-निरीक्षक मेजर सिंह (पश्चिम दिशा की ओर), निरीक्षक, अवतार सिंह (दक्षिण दिशा की ओर), पुलिस उप-अधीक्षक, बलदेव सिंह (उत्तर दिशा की ओर) की देखरेख में कारखाने की चारों ओर तैनात किया गया। बल को तैनात करने के बाद श्री बलदेव सिंह ने, ए० एल० आर० और एल० एम० जी० से लैस एक कांस्टेबल के साथ, कारखाने के मुख्य दरवाजे के समीप एक नलकूप की छत पर

मोर्चा सम्भाला । उसके बाद पुलिस उप-अधीक्षक ने, ऊंची आवाज में, उग्रवादियों को बाहर आने और आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया । परन्तु उग्रवादियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी । पुलिस पार्टियों ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई । एक आतंकवादी पुलिस पर गोली चलाता हुआ बाहर आया उसे श्री बलदेव ने गोली से मार गिराया । दूसरे उग्रवादी को जोकि पश्चिम दिशा की ओर भाग रहा था, वहां पर तैनात उप-निरीक्षक मेजर सिंह द्वारा मार गिराया गया । श्री बलदेव सिंह जो उग्रवादियों की गोलीबारी का सामना कर रहे थे और चमत्कारी ढंग से बच गए । पुलिस उप-अधीक्षक ने जवाब में गोली चलाई और एक अन्य आतंकवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया । मारे गए आतंकवादियों से, दो ए० के०-47 राईफलें, .32 बोर की एक रिवाल्वर, एक एस० बी० बी० एल० बंदूक, दो छड़ी बम और विभिन्न बोर के 155 कारतूस तथा हथियार बरामद किए गए । कुल मिलाकर तीन आतंकवादी मारे गए जिनमें दो, पुलिस उप-अधीक्षक श्री बलदेव सिंह द्वारा मारे गए ।

इस मुठभेड़ में श्री बलदेव सिंह शेखों, पुलिस उप-अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 मई, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 167-प्रेज/94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अवतार सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
थाना प्रभारी,
थाना धरमकोट,
जिला—फिरोजपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 31 अक्तूबर, 1992 को निरीक्षक अवतार सिंह, थाना प्रभारी, थाना-धरमकोट, को उजागर सिंह नामक एक व्यक्ति के परित्यक्त फार्म हाउस में आतंकवादियों के छिपने के बारे में सूचना प्राप्त हुई । उनको यह भी पता चला कि आतंकवादी वहां स्वयं-भू लेफ्टि० जनरलों और एरिया कमांडरों की अन्तर-जिला बैठक में भाग लेने के लिए एकत्र हुए हैं, जिसकी अध्यक्षता गुरदास सिंह मंसूरवाल के० सी० एफ० (अफगवाल गुट) का उप-प्रधान करेगा । इसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर, को भी दी गई और उनके साथ विचार-विमर्श भी किया गया । पुलिस दलों को उनके छिपने के ठिकानों की ओर तुरन्त रवाना कर दिया गया । करीब 5.30 बजे पूर्वाह्न (1-11-1992) को पूरे फार्म हाउस को घेर लिया गया । तीन दलों ने फार्म हाउस को बाईं, दाईं और पिछले ओर से कवर किया जबकि निरीक्षक अवतार सिंह और उनके दल ने सामने की तरफ से मोर्चा संभाला लिया । तब निरीक्षक अवतार सिंह ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण कर देने के लिए ललकारा और उन्हें बताया गया कि पूरे फार्म हाउस को घेर लिया गया है, परन्तु उग्रवादियों ने पुलिस दलों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी । पुलिस दलों ने आत्म-रक्षा में गोलियां चलाई । करीब 15 मिनट के बाद, निरीक्षक अवतार सिंह एक कांस्टेबल सहित चार दीवारी के साथ बने एक स्नानागार की छत पर चढ़ गए और एक वाटर टैंक के बराबर में मोर्चा संभाल लिया । उन्होंने एक उग्रवादी को पेड़ के पीछे से छिपकर जी० पी० एम० जी० से गोलियां चलाते हुए देखा । निरीक्षक अवतार सिंह ने अपनी ए० एल० आर० से उग्रवादी पर गोलियों की बौछार की और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । इस बीच एक अन्य उग्रवादी रसोई की ओर से गोलियां चलाते हुए मुख्य द्वार की ओर भागता हुआ गया । यह देखकर, निरीक्षक अवतार सिंह ने उग्रवादी पर गोली चलाकर उसे मार गिराया ।

इस दौरान, एक सहायक उप-निरीक्षक और दो कांस्टेबलों ने फार्म हाउस की दक्षिण दिशा से एक छोटे से द्वार से फार्म हाउस में प्रवेश किया और उस उग्रवादी पर गोलियां चलायीं जो बरामदे से गोलियां चला रहा था तथा उसे मार गिराया । तत्पश्चात्, दो उग्रवादी बरामदे से गोलियां चलाते हुए बाहर आए और उन्होंने बाहरी दीवार के साथ जगह ले ली । कांस्टेबल देविन्दर सिंह, संतोख सिंह और लखविन्दर कुमार ने उन्हें मार गिराया । मृत आतंकवादियों की बाद में (1) गुरदास सिंह मंसूरवाल, (2) वासन सिंह मैनी, (3) अंगराज सिंह, (4) रघबीर सिंह उर्फ भीरा, और (5) गुरदेव सिंह रौन्ता के रूप में पहचान की गई । तलाशी लेने पर घटनास्थल से पांच इंम सहित एक जी० पी० एम० जी० और 37 जीवित कारतूस, 6 ए० के०-47 राइफलें और उनकी 18 मैगजीनें, 675 कारतूस, 5 हथगोले, 20 पैकेट विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक तार के दो पैकेट और 10 फ्यूज बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री अवतार सिंह, पुलिस निरीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5

के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता दिनांक 1 नवम्बर, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 168—प्रेज 94—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री सतिन्दर सिंह
पुलिस उपाधीक्षक,
गुप्तचर,
जालंधर ।

श्री गुरनाम सिंह,
कांस्टेबल,
जालंधर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 26-11-92 को जालंधर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि गांव बरोली कलां, थाना—आदमपुर, में मनोहर सिंह फौजी नामक व्यक्ति के घर में अवैध संगठन बी० टी० एफ० के० के कुछ खूंखार आतंकवादियों ने शरण ली हुई है । जालंधर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक, गुप्तचर, को उक्त घर पर छापा मारने का निर्देश दिया। एक कमांडो दस्ते सहित बल को तीन भागों में बांट दिया गया ताकि पुलिस दलों को कवरिंग फायर प्रदान किया जा सके। श्री सतिन्दर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (गुप्तचर) और निरीक्षक रघुबीर सिंह को दाईं और बाईं ओर तैनात की गई पुलिस पार्टियों की कमांड करने और उन पर नियंत्रण रखने का कार्य सौंपा गया । गांव को चारों ओर से घेर लेने के बाद, रात को करीब 10.30 बजे, आतंकवादियों को आत्मसमर्पण कर देने के लिए ललकारा गया परन्तु आतंकवादियों ने पुलिस दलों पर अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी । पुलिस कार्मिकों ने तुरन्त आत्म रक्षा में गोलियां चलाई। पूरी रात गोलीबारी होती रही ।

27 नवम्बर, 1992 को प्रातः आतंकवादियों को समर्पण कर देने के लिए एक बार फिर से ललकारा गया परन्तु उन्होंने श्री सतिन्दर सिंह और निरीक्षक रघुबीर सिंह के नेतृत्व वाले पुलिस दलों पर गोलीबारी और तेज कर दी जिन्होंने चुनौती का डट कर मुकाबला किया। इस बीच, आतंकवादियों ने बचकर भागने का प्रयास किया जिसे विफल कर दिया गया । बचकर भागने का प्रयास करते हुए उनमें से एक आतंकवादी घायल हो गया और वह पुनः घर में घुस गया । इस बीच, एक अन्य आतंकवादी ने बचकर भागने का प्रयास किया, श्री सतिन्दर सिंह ने उस पर गोली चलाई और उसको घायल कर दिया और वह भी फिर से घर में घुस गया और पुलिस बल पर गोलियां चलाने लगा ।

इसके बाद, श्री सतिन्दर सिंह, निरीक्षक रघुबीर सिंह और कांस्टेबल गुरनाम सिंह बहादुरी के साथ आगे बढ़े और मनोहर सिंह फौजी और बलदेव सिंह के घरों की छत पर चढ़ने में सफल हो गए । उन्होंने छतों में छेद कर दिए और उनमें से घर के अन्दर हथ-गोले फेंके । दोनों ओर से गोलीबारी होने के दौरान कांस्टेबल गुरनाम सिंह की आंख पर गंभीर चोट लगी और वह गिर गए । इस बीच आतंकवादियों ने घर को आग लगा दी और देखते ही देखते घर की छत पर मौजूद पुलिस कर्मी उठती हुई लपटों में फंस गए। श्री सतिन्दर सिंह ने घायल कांस्टेबल गुरनाम सिंह को अपनी कमर पर उठाया और अपने रिवाल्वर से गोली चलाते हुए छत से नीचे उतरने में सफल हो गए। निरीक्षक रघुबीर सिंह कच्चे बने हुए कम ऊंचाई वाले घर की छत पर कूद गए । घायल कांस्टेबल रघुबीर सिंह को तुरन्त अस्पताल ले जाया गया ।

उसके बाद दमकलों ने आग बुझाई और सर्व/श्री सतिन्दर सिंह और रघुबीर सिंह द्वारा घर की तलाशी लेने पर घटना-स्थल से दो ए० के०-47 राईफलों, 4 मैगजीनों, एक मैगजीन सहित एक ए० एल० आर०, 455 बोर का एक रिवाल्वर और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद सहित आतंकवादियों के दो शव बरामद किए गए जिनकी पहचान बाद में हजूरा सिंह और ओंकार सिंह लाली के रूप में की गई ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री सतिन्दर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक और गुरनाम सिंह, कांस्टेबल ने, अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26-11-1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 169-प्रेज/94—राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मन मोहन किस्कू,
राईफल-मैन,
पहली बटालियन,
टी० एस० आर०,
पश्चिमी त्रिपुरा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 8 मई, 1992 को देर रात में सूचना प्राप्त हुई कि ए० टी० टी० एफ० के 10–12 उग्रवादियों का एक सशस्त्र गिरोह टुईणामा गांव के पास के घने जंगल में एक अकेली झोपड़ी में डेरा डाले हुए है। श्री विश्वास एस० डी० पी० ओ० और श्री एम० दास, ओ०/सी० कंचनपुर ने तत्काल एक तलाशी दल बनाया जिसमें बीस अन्य पुलिस कार्मिक तथा एक होम गार्ड था, जो शस्त्रों से सुसज्जित थे।

9 मई, 1992 को प्रातः, तलाशी दल, लक्षित स्थान के नजदीक पहुंचा और क्षेत्र को घेर लिया। उसके बाद जब तलाशी दल आगे बढ़ रहा था तो सर्वश्री विश्वास दास और किस्कू ने, आगे आकर झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे दल का स्वयं नेतृत्व किया। उग्रवादियों को पुलिस की भनक लग गई और उन्होंने पुलिस पर गोली चलायी। पुलिस ने भी तत्काल जवाबी गोलियां चलाई। गोलीबारी के बावजूद श्री किस्कू झोपड़ी की तरफ बढ़ते रहे और इस प्रक्रिया में उग्रवादियों द्वारा चलायी गयी गोलियों के कारण वे गोली लगने से गम्भीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी होने के बावजूद श्री किस्कू गोलियां चलाते रहे और गोलीबारी बंद होने के बाद उन्होंने क्षेत्र की तलाशी के कार्य में भी भाग लिया। इस छोटी सी मुठभेड़ में पुलिस ने तीन उग्रवादियों को गोलियों से मार गिराया जबकि गिरोह के शेष सदस्य घने जंगलों की आड़ में भाग गए।

क्षेत्र की तलाशी के दौरान पुलिस ने 7 देशी एस० बी० एम० एल० बंदूकें, एक एस० बी० एम० एल० पिस्तौल, एक एच०ई० .36 सक्रिय हथगोला, एक हेलमेट, दो कटार और ए० टी० टी० एफ० से संबंधित अन्य वस्तुएं बरामद हुईं। पुलिस दल ने उग्रवादियों के चंगुल से एक अपहृत महिला व उसके बच्चे को भी छुड़ाया।

इस मुठभेड़ में श्री मन मोहन किस्कु, राईफलमैन, ने अदम्य वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 मई, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 170-प्रेज/94—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री राम मगन पान्डेय
पुलिस उप-निरीक्षक
सिविल पुलिस
जिला बदायूं।

श्री सत्यपाल सिंह मलिक
पुलिस उप-निरीक्षक
सिविल पुलिस
जिला बदायूं।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 15 जनवरी, 1991 को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात जयवीरा गिरोह के 7–8 सशस्त्र सदस्य हजरत गंज गांव की उत्तर दिशा के निकट गन्ने के खेतों में छिपे हुए हैं और 15 वर्षीय धर्मेन्द्र नामक लड़के को, जिसे 15/16–12–90 को अपहृत किया था, छोड़ने के बदले में 1 लाख रुपए की फिरौती की रकम का इन्तजार कर रहे हैं। यह सूचना मिलने पर, अपराधियों को पकड़ने तथा बंधक को मुक्त कराने के लिए सर्वश्री राम मगन पान्डेय, उप-निरीक्षक तथा सत्यपाल सिंह मलिक, उप-निरीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस दल, पुलिस जीप तथा निजी मोटर साईकिलों द्वारा घटना स्थल पर पहुंचा। घटना स्थल पर पहुंचने पर, दल ने घटना स्थल की भौगोलिक स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद दल को दो भागों में विभाजित किया। पहले दल को, एक उप-निरीक्षक के नेतृत्व में गन्ने के खेत की उत्तर दिशा तैनात में कर दिया गया, जबकि सर्वश्री राम मगन पान्डेय, उप निरीक्षक तथा सत्यपाल सिंह मलिक, उप-निरीक्षक तथा अन्य कांस्टेबलों के दूसरे दल को खेत की पश्चिम दिशा की ओर तैनात कर दिया गया। लगभग 11.00 बजे पूर्वाह्न, पुलिस दल ने उस स्थान की ओर बढ़ना शुरू किया और चुपके से यह सुना कि यदि पैसा नहीं लाया गया तो धर्मेन्द्र को मार डालेंगे। पुलिस दल ने यह सुनने पर, बदमाशों को आत्मसमर्पण करने और बंधक को उन्हें सौंप देने की चेतावनी दी किन्तु बदले में, अपराधियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस दल ने गोलियां चलाने में संयम बरता, जबकि उप-निरीक्षक राम मगन पान्डेय तथा सत्यपाल सिंह मलिक ने अपनी अपनी जगह ली और अपने जीवन को पूरी तरह दांव पर लगाकर, वीरता पूर्वक गोलियां की बौछार का सामना करते हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी ओर बढ़े। उस प्रक्रिया में श्री पान्डेय, पेट में गोली लगने से जख्मी हो गए, किन्तु विचलित हुए बिना श्री पान्डेय और श्री मलिक बदमाशों के नजदीक पहुंचे और गोली

चलाना शुरू कर दिया । दोनों ओर से हुई गोली बारी में, जयवीर सिंह, संदान तथा हरबाबू नामक तीन बदमाश मार गिराये गए, जबकि गिरोह के अन्य चार सदस्य भागने में सफल हो गए । अपहृत धर्मेन्द्र को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया गया और मारे गए बदमाशों के कब्जे से, बड़ी संख्या में जीवित/खाली कारतूसों सहित तीन छोटी बंदूकें बरामद की गईं ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री राममगन पान्डेय, पुलिस उप-निरीक्षक तथा सत्यपाल सिंह मलिक, पुलिस उप-निरीक्षक अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 जनवरी, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 171-प्रेज/94-- राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारी का नाम और पद

श्री सुधीर कुमार त्यागी,
उप-निरीक्षक,
देहरादून ।

श्री गजेन्द्र सिंह,
कांस्टेबल,
देहरादून ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

दिनांक 15 सितम्बर, 1990 को लगभग 11.00 बजे दिन में श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक, को यह सूचना मिली कि स्वचालित हथियारों से लैस 6 सिक्ख उग्रवादी, स्टेट बैंक आफ पटियाला, हरिद्वार रोड़, देहरादून, में डकैती डालने के लिए घुस आये हैं। बैंक के सुरक्षा गार्ड ने गोली चलाई और उग्रवादियों में से एक को जख्मी कर दिया, जब कि अन्य अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 11 व्यक्तियों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिनमें से चार की जख्मों के कारण मृत्यु हो गई । खतरे की घंटी के बजने पर, अपराधी एक मारुति वैन, नम्बर यू० एम०यू० 8008 में बैठकर भाग निकले। इस सूचना के मिलने ही, श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री ब्रह्मपाल सिंह, निरीक्षक, श्री सुधीर कुमार त्यागी, उप-निरीक्षक, वीरपाल सिंह, उप-निरीक्षक, जगवीर सिंह अत्री, उप-निरीक्षक तथा कांस्टेबल गजेन्द्र सिंह के साथ अपराधियों का पीछा करने के लिए चल दिये । कुछ दूर जाने पर उन्होंने पाया कि जिस गाड़ी से अपराधी भाग रहे थे वह कुंआ वाले मंदिर के पास, जंगल के सामने लावारिस खड़ी हुई है । श्री राजेन्द्र सिंह ने, उपलब्ध बल को दो दलों में विभाजित कर दिया और पहले दल का नेतृत्व उन्होंने स्वयं संभाला । इस दल में श्री ब्रह्म पाल सिंह, निरीक्षक, सुधीर कुमार त्यागी, उप-निरीक्षक, वीरपाल सिंह, उप-निरीक्षक तथा कांस्टेबल गजेन्द्र सिंह शामिल थे जबकि दूसरे दल का नेतृत्व श्री जगवीर सिंह अत्री, उप-निरीक्षक द्वारा किया गया ।

लगभग 12.30 बजे अपराह्न, श्री राजेन्द्र सिंह और उनके दल ने देखा कि कुछ अपराधी झाड़ियों में छिपे हुए हैं । उन्होंने अपराधियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा । अपराधियों में से एक ने अपने साथियों को जोर से आवाज लगाई और पुलिस दल पर गोलियां चलाने को कहा । तत्काल ही अपराधियों ने पुलिस दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी । अपराधियों द्वारा की गई गोलीबारी के कारण श्री एस० के० त्यागी, उप-निरीक्षक तथा श्री गजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल गंभीर रूप से जख्मी हो गए । इस बीच, श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, निरीक्षक ब्रह्मपाल सिंह तथा उप-निरीक्षक वीरपाल सिंह ने पोजीशन ली और अपराधियों पर भारी गोली बारी शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप अप-राधियों में भगदड़ मच गयी । श्री जगवीर सिंह अत्री, जोकि क्षेत्र की घेराबन्दी कर रहे थे, भाग रहे अपराधियों में से एक को पकड़ने में कामयाब हो गए, जिसने अपने आपको गुरदीप सिंह, निवासी अमृतसर, और के० एल० एफ० का सदस्य बताया । गुरदीप सिंह से की गई पूछताछ के बाद गिरोह के सरगना, के० एल० एफ० के स्वयंभू लेफ्टि० जन० रविन्दर सिंह उर्फ भोला को गिरफ्तार कर लिया गया ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री सुधीर कुमार त्यागी, उप-निरीक्षक तथा गजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 सितम्बर, 1990 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 172-प्रेज 94—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री शैलेन्द्र सागर,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
झांसी ।

श्री शिव प्रसाद शर्मा,
पुलिस निरीक्षक,
झांसी ।

श्री ओ० पी० एस० गहलोत,
पुलिस उप-निरीक्षक,
झांसी ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

कुछ अपराधियों ने श्री विजय सेठी, प्रापर्टी डीलर का अपहरण किया । उन अपराधियों ने 50 लाख रू० की फिरौती मांगी, जो अततः 3 लाख रू० पर तय हुई और जिसे श्रीमती सेठी द्वारा होटल मधुबन, मथुरा में दिया जाना था । इस व्यवस्था के बारे में पुलिस को सूचित किया गया, और पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी, श्री शैलेन्द्र सागर के नेतृत्व में जाल बिछाया । 6-8-91 को श्रीमती सेठी लगभग 11.00 बजे होटल मधुबन पहुंची और लगभग 1600 बजे दो व्यक्ति होटल में पहुंचे और श्रीमती सेठी के बारे में पूछताछ की तथा उसके कमरे में गए और फिरौती की राशि से भरे ब्रीफकेश को लिया और एक कार में बैठकर चले गए । श्री शैलेन्द्र सागर ने, सर्व श्री शिव प्रसाद शर्मा और श्री ओ० पी० एस० गहलोत, उप-निरीक्षक के साथ, जो पहले दिन होटल में पहुंच गए थे, कारा का पीछा किया । अपराधी गोकुल रेस्तरा और बार में गए, जहां ब्रीफकेश को रेस्तरा के बगीचे में बैठे व्यक्तियों के एक ग्रुप को दे दिया गया । पुलिस पार्टी जब वहां पर पहुंची तो उसने अपहृत व्यक्ति विजय सेठी को पहचान लिया और उनमें से कुख्यात अपराधी बृज मोहन शर्मा की शिनाख्त कर ली । उसके बाद श्री सागर ने उपलब्ध बल को, गिरोह को तीन दिशाओं से घेरने के लिए तैनात किया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा । बृज मोहन ने तत्काल श्री सागर पर गोली चलाई और अपने साथियों के साथ उसने राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ भागना शुरू कर दिया । गोलीबारी से विचलित हुए बिना, सर्व श्री सागर, शर्मा और गहलोत ने अत्यधिक सतर्कता दिखाई और अपने जीवन को भारी खतरे में डालते हुए डकैतों का पीछा किया और लगभग दो घंटे तक चली इस गोलीबारी में बृज मोहन शर्मा सहित चार अपराधी मारे गए । मुठभेड़ के स्थान से दो लाख रूपयों से भरा हुआ ब्रीफकेस और उनके हथियार बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री शैलेन्द्र सागर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शिव प्रसाद शर्मा, निरीक्षक और ओ० पी० एस० गहलोत, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 अगस्त, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 173-प्रेज-94—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश, पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
स्टेशन आफिसर पुलिस चौकी निगोही,
जिला शाहजहांनपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया है ।

जिला शाहजहांनपुर की पुलिस चौकी निगोही के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत तराई क्षेत्र आतंकवादियों की शरणगाह था और के० सी० एफ० (पंजवार ग्रुप) के सवेन्द्र सिंह और पप्पू का गिरोह इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय था । 6-4-93 को एक मुखबिर ने निगोही के एस० ओ०, श्री आर० के० सिंह को सूचित किया कि घातक हथियारों से लैस 5-6 आतंकवादी, जोगेन्द्र सिंह के झाला में स्थानीय सिखों से धन ऐंठ रहे हैं । सूचना प्राप्त होते ही, श्री सिंह ने तत्काल पर्याप्त बल एकत्र किया और उग्रवादियों को पकड़ने के लिये चल पड़े । गांव घनशानपुर पहुंचने पर, जहां आतंकवादियों को अन्तिम बार देखा गया था, श्री सिंह ने बल को दो ग्रुपों में विभाजित किया, एक ग्रुप का नेतृत्व उप निरीक्षक मोहम्मद बाबर ने किया, जिसे झाला की तरफ जाने और दक्षिणी और पूर्वी दिशा को कवर करने के लिये कहा गया, जबकि श्री सिंह के नेतृत्व में दूसरा दल एक सूखे नाले से जोगिन्द्र सिंह के झाले की तरफ बढ़ा । मुखबिर ने एस० ओ० को संकेत किया कि सशस्त्र उग्रवादी लगभग 100 कदम दूर, और झाला के दक्षिणी किनारे पर पश्चिम सेट के ठीक

नजदीक उपस्थित हैं। श्री सिंह ने उग्रवादियों को घेरने और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिये मजबूर करने की रणनीति बनाई। तदनुसार ही श्री सिंह ने दो कांस्टेबलों को उत्तर की ओर बढ़ने को कहा जबकि एक उप निरीक्षक को झाला की पश्चिम दिशा में घेरा डालने को कहा गया। श्री सिंह ने सामने से स्वयं दस्ते का नेतृत्व किया। श्री सिंह रबी की फसल के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े, लेकिन उग्रवादियों ने अचानक उन्हें देख लिया और उन पर गोलियां चलाईं, लेकिन श्री सिंह विचलित नहीं हुए और आगामी खतरे के बावजूद आगे बढ़े और नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गये और तब उन्होंने अपनी एस० एल० आर० से आतंकवादियों पर गोलियां चलाईं, जिससे एक आतंकवादी जख्मी हो गया, जिसकी बाद में जख्मों के कारण मृत्यु हो गई। इसी बीच जोगेन्द्र सिंह के झाले से अन्य उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाईं। श्री आर० के० सिंह और उनके दल ने रबी की फसल की आड़ का लाभ उठाते हुए जवाबी गोलियां चलाईं। मुठभेड़ में एक आतंकवादी दक्षिण की तरफ भागा जहां उसका सामना उप निरीक्षक श्री दिवाकर से हुआ, जिन्होंने जोगिन्द्र सिंह के झाले के अन्दर तक उसका पीछा किया। यह देखने पर श्री सिंह ने झाले के ईर्द-गिर्द घेरा कड़ा कर दिया और उग्रवादी को आत्मसमर्पण करने के लिये ललकारा, जिसने चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और खिड़की से लगातार गोलियां चलाता रहा। श्री आर० के० सिंह ने उस कमरे की ओर रेंगते हुए जाने का निश्चय किया जहां से गोलियां चलाई जा रही थीं लेकिन उग्रवादियों ने श्री सिंह की गति-विधि देख ली और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। श्री सिंह सौभाग्य से बच गये और पूरी शक्ति के साथ जवाबी गोलियां चलाईं जिससे एक उग्रवादी गम्भीर रूप से जख्मी हो गया। उसके बाद श्री सिंह के नेतृत्व वाले दल ने झाले में प्रवेश किया जहां उन पर उग्रवादियों ने गोलियों की बौछार कर दी। पुलिस पार्टी ने आड़ ली और अपने स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाईं, जिससे दो उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारे गये। मारे गये तीन उग्रवादियों की शिनाख्त सरवेन्दर सिंह उर्फ पप्पू, सतनाम सिंह उर्फ सत्ता और गुरमीत सिंह उर्फ मित्ता के रूप में की गई, जिनके कब्जे से 28 कारतूसों के साथ एस० बी० बी० एल० गन, मेगजीन और 42 सक्रिय कारतूसों सहित एक 303 बोर की राईफल, और मेगजीन और 9 सक्रिय कारतूसों सहित एक 315 बोर की राईफल बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6-4-93 से दिया जायेगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर, 1994

सं० 174-प्रेज 94.—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री मेहमा सिंह,
निरीक्षक,
107वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया है।

कुछ सूचना प्राप्त होने पर 9-11-92 को सौरा में (अवान्ते भवन) सीमा सुरक्षा बल द्वारा श्री एम० एस० चौहान, उप-कमान्डेन्ट के नेतृत्व में एक संयुक्त सी० ए० टी० अभियान आयोजित किया गया। जब पार्टी लगभग 1100 बजे इलाहीबाग से बगत-ए-सौरा की तरफ जा रही थी तो सी ए० टी० ने एक उग्रवादी को देखा जो एक मकान के अन्दर जा रहा था और सीमा सुरक्षा बल के कुछ कार्मिकों ने उसे गिरफ्तार करने के लिये उसका पीछा किया। तथापि, उग्रवादी घर के अन्दर प्रवेश करने में सफल हो गया। जब सीमा सुरक्षा बल की पार्टी ने घर के निवासियों को बाहर निकालने का प्रयास किया तो, भारी संख्या में घर के अन्दर और आस-पास के मकानों में छिपे उग्रवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी की, जिसमें हथगोलों और यू० एम० जी० का प्रयोग भी किया गया। इसके परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा बल के कुछ कार्मिक जख्मी हो गये और उनके वाहन क्षतिग्रस्त हो गये। श्री एम० एस० चौहान ने तुरन्त अत्यधिक सतर्कता और सूझबूझ से कार्य किया और उग्रवादियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों पर फैंके गये एक हथगोले को, जो फटने ही वाला था, उठाया और शीघ्र ही वापस आतंकवादियों पर फैंक दिया, जिससे उन्होंने अपने आदमियों की बहुमूल्य जानें बचाईं। उग्रवादियों पर वापस फैंका गया हथगोला फट गया और इससे उग्रवादियों का विरोध खत्म हो गया। इस कार्यवाही के प्रभारी अधिकारी ने कुमुक के लिये सन्देश भेजा। सूबेदार मेहमा सिंह, जो कमान्डों का प्रभारी था, अपने कार्मिकों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और उग्रवादियों को आत्मसमर्पण के लिये मजबूर करने के लिये परिसर के अन्दर जाने के लिये स्वयं आगे आए। वे अपने कार्मिकों के साथ, उग्रवादियों द्वारा उन पर की जा रही भारी गोलीबारी की परवाह न करते हुए तथा अपने जीवन के लिये उत्पन्न भारी खतरे के बावजूद घर में घुसे और एक उग्रवादी को मारने तथा अन्य उग्रवादियों को घर से बाहर निकालने के लिये मजबूर करने में सफल हो गये। श्री एम० एस० चौहान, डिप्टी कमांडेंट, मेहमा सिंह, निरीक्षक और पार्टी के अन्य सदस्यों ने मकान पर और भारी गोलीबारी की। यह लड़ाई लगभग 5 घण्टे तक चली और इसके परिणाम-स्वरूप एच० यू० एम० के प्रमुख सहित 7 कुख्यात उग्रवादी मारे गये और 4 ए० के०-56 राईफलें, 16 मैगजीन और 13 राउण्ड गोला बारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री मेहमा सिंह, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9-11-92 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 175-प्रेज/94 —राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री एस० सी० मिश्रा, (मरणोपरान्त)
निरीक्षक,
स्टेशन मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, बांदीपुर

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

15/16 सितम्बर, 1993 के बीच की रात को यह सूचना मिलने पर कि० एच० एम० गिरोह के 10 खूंखार उच्च पदस्थ उग्रवादी, श्रीनगर-बांदीपुर रोड पर गांव —बाजीपुरा में छिपने के तीन ठिकानों पर उपस्थित हैं, तो उग्रवादियों का सफाया करने के लिए दिनांक 16 सितम्बर, 1993 को सीमा सुरक्षा बल के एक छापामार दल को भेजा गया । छापामार दल को तीन ग्रुपों में विभाजित किया गया, पहले ग्रुप का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल की 173 वीं बटालियन के कमांडेंट ने, दूसरे का जे० ए० डी० (जी) बांदीपुर ने तथा तीसरे का सूबेदार (जी) एस० सी० मिश्रा ने किया प्रत्येक दल को उग्रवादियों के छिपने के ठिकानों पर अलग अलग छापे मारने का काम सौंपा गया था । और सूबेदार जी एस० सी० मिश्रा के नेतृत्व वाले दल को उग्रवादियों के छिपने के मुख्य ठिकाने पर छापा मारना था ।

जब, श्री एस० सी० मिश्रा के नेतृत्व वाला दल, लक्षित स्थान के नजदीक पहुंचा तो मकान के अन्दर से उग्रवादियों द्वारा उन पर भारी गोलीबारी की गई । स्थिति का जायजा लेने और अपने दल को युक्तिपूर्ण ढंग से तैनात करने के बाद, श्री मिश्रा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए छिपने के ठिकाने के खुले हुए दरवाजे की तरफ रेंगते हुए आगे बढ़े और अपनी ए० के०-56 राईफल से भारी गोलीबारी की और दो उग्रवादियों को घटना स्थल पर ही मारने में सफल हो गए । उनके पेट में गोली लगने से वे स्वयं गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । उन्होंने जख्मों के कारण मृत्यु होने से पूर्व इस प्राणान्तक पीड़ा की परवाह न करते हुए, वे प्रभावी ढंग से जवाबी गोलियां चलाते रहे और एक आतंकवादी को मार गिराया । श्री मिश्रा को मृत, देखकर बाकी उग्रवादियों ने खुले दरवाजे से भागने की कोशिश की और उनमें से दो, वहां पर पहले से तैनात छापामार दल के द्वारा मारे गए । इसी बीच अन्य छापामार दल भी वहां पहुंच गया तथा तीन और उग्रवादियों को मारने में सफल हो गए। सीमा सुरक्षा बल के छापामार दल ने 8 खूंखार आतंकवादियों का सफाया करने में सफलता प्राप्त की, जिनमें से तीन, श्री एस० सी० मिश्रा, निरीक्षक, द्वारा मार गिराये गये थे, जिन्होंने बल की सर्वोच्च परम्परा को बनाए रखते हुए राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया । निम्नलिखित हथियार और गोला बारूद की बरामद किया ।

(1)	ए० के० —56 राईफल	7
(2)	ए० के० —56 की मैगजीन	13
(3)	पिस्तौल	1
(4)	ए० के०—56 राईफल के सक्रिय कारतूस	191
(5)	पिस्तौल की मैगजीन	1
(6)	पिस्तौल की बिना चली गोलियां	6
(7)	हथगोला	1
(8)	व्हाईट बम	1
(9)	पोर्टोफोन (वी० एच० एफ०)	1

इस मुठभेड़ में श्री एस० सी० मिश्रा, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15-9-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर, 1994

सं० 176-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एस० पी० आजाद (मरणोपरान्त)
सहायक कमान्डेन्ट
69वीं बटालियन, सी० सु० ब०

श्री हरमेश लाल
कांस्टेबल
76वीं बटालियन, सी० सु० ब०

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है

18-10-1992 को यह सूचना प्राप्त हुई कि-कुछ कट्टर उग्रवादी श्रीनगर के, तांगपुरा में, एक घर में शरण लिए हुए हैं। श्री एस० पी० आजाद तथा श्री ए० के० एक्का के नेतृत्व में एक कमान्डो पलाटून को उग्रवादियों को पकड़ने का काम सौंपा गया। अपने दल सहित श्री ए० के० एक्का ने घर को चारों तरफ से घेरने की जिम्मेदारी संभाली और श्री एस० पी० आजाद को उनके सहित, घर में घुसने और उग्रवादियों को पकड़ने का काम सौंपा गया। घेरा डालने के बाद, श्री आजाद ने उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा, किन्तु उग्रवादियों ने बिल्डिंग की पहली मंजिल से दो हथगोले फैंके और इसके बाद भारी गोलीबारी की। भारी गोलाबारी के बावजूद श्री आजाद और कांस्टेबल हरमेश लाल, घर की पहली मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो गए। विशेष तौर पर छिपने के लिए बनाई गयी एक नकली गुहा में छिपे होने के कारण, वे उग्रवादियों का पता नहीं लगा सके। अपनी निजि सुरक्षा की परवाह न करते हुए, श्री आजाद और कांस्टेबल हरमेश लाल छिपने के स्थान की ओर आगे बढ़े जहां से गोलियां आ रही थी। अचानक एक धमाका हुआ जिससे श्री आजाद के जबड़े, हाथ और छाती जख्मी हो गए। इस प्रक्रिया में कांस्टेबल हरमेश लाल का बांया पैर भी जख्मी हो गया। गंभीर रूप से जख्म होने के बावजूद श्री आजाद रेंगते हुए आगे बढ़े और उग्रवादियों पर गोलियां चलायीं और उनमें से एक को मार गिराया। इसी बीच कांस्टेबल हरमेश लाल भी आगे बढ़ा और एक उग्रवादी पर झपटा और उसे वहीं मार गिराया।

2. अन्य उग्रवादी बाहर निकल आये और श्री ए० के० एक्का के दल के साथ उलझ गए। श्री एक्का बिजली की गति से आगे बढ़े और जबाबी गोली चलायी तथा विद्रोहियों में से एक को वहीं मार गिराया। चौथा उग्रवादी श्री एक्का के दल द्वारा मार गिराया गया। सर्वश्री एस० पी० आजाद तथा हरमेश लाल को श्रीनगर अस्पताल ले जाया गया, किन्तु बाद में बहुत से जख्मों के कारण, श्री आजाद की आपरेशन थियेटर में ही मृत्यु हो गयी।

3. बाद में मारे गए उग्रवादियों की शिनाख्त 1 (रियाज अहमद उर्फ हैदर अली, 2) अब्दुल रशीद दार उर्फ फयाज, 3) अब्दुल कयूम दार उर्फ सैयद तथा 4 अब्दुल रहमान दार उर्फ मौलवी के रूप में की गई। तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से 3 मैग्जीनों सहित 2 ए० के० 56 राइफलें, एक छड़ी हथगोला तथा बड़ी संख्या में जीवित/खाली कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री एस० पी० आजाद, सहायक कमान्डेन्ट, और श्री हरमेश लाल कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18-10-1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 177-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जी० एस० भोमिया,
कमांडेंट,
8वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

26 फरवरी, 1992 को ऋषि नगर के क्षेत्रों से उग्रवादियों को खदेड़कर बाहर निकालने के लिए श्री जी० एस० भोमिया, कमांडेंट, 8वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था। श्री जी० एस० भोमिया की सम्पूर्ण कमांड के अधीन, सर्वश्री हेमन्त कुमार और अजीज खान, सहायक कमांडेंट द्वारा सैनिकों का नेतृत्व किया गया। उन्होंने बर्फ में 10 कि० मी० की दूरी पैदल जल कर तय की। वहां पहुंचने पर दिन निकलने से पहले उन्होंने गांव को घेर लिया। दिन निकलते ही उग्रवादियो ने गांव में से सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। श्री भोमिया ने स्वयं एक कमांडो प्लाटून का नेतृत्व किया और घरों की ओर गए जहां से कुछ उग्रवादी गोलियां चला रहे थे। श्री भोमिया ने मंजूर एहमद नामक एक व्यक्ति को पकड़ लिया जिसकी बाद में पाक-प्रशिक्षित एक उग्रवादी के रूप में पहचान की गई। उसकी निशानदेही पर एक मस्जिद से दो ए० के० राईफलें बरामद की गई।

श्री अजीज खान को प्रारम्भ में उत्तर-पूर्वी दिशा को कवर करने का कार्य सौंपा गया था । उसके बाद उन्हें एक मस्जिद से उग्रवादियों को बाहर निकालने का कार्य सौंपा गया । वह अपनी जान की परवाह किए बिना तुरन्त अपने साथियों के साथ उस क्षेत्र की ओर बढ़ गए और 3 ए० के०–56 राईफलों सहित तीन उग्रवादियों को पकड़ने में सफल हो गए ।

इस बीच, श्री हेमन्त कुमार ने उग्रवादियों की गोलीबारी के बीच घरों की तलाशी ली और एक पाक-प्रशिक्षित उग्रवादी को पकड़ने में सफल हो गए । गिरफ्तार किए गए उग्रवादी के–बताये पर श्री हेमन्त कुमार ने एक मस्जिद में छापा मार कर 4 ए० के०–56 राइफलें तथा एक हथगोला बरामद किया । उन्होंने गांव चाक ऋषिनगर के एक अन्य छिपने के ठिकाने की तलाशी ली और दो राकेटों सहित एक राकेट लांचर बरामद किया । चूंकि अधिकाधिक उग्रवादी गिरफ्तार किए जा चुके थे, इसलिए गांव के अन्दर से हो रही गोलीबारी रुक गई थी । मुठभेड़ लगभग छह घंटे तक चली । मुठभेड़ में कुल मिलाकर 10 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए तथा उग्रवादियों के पास से एक राकेट लांचर और 2 राकेट और एक बूस्टर, 7 ए० के०–56 राईफलें और उसकी 10 मैगजीनें तथा 187 राउंड, एक रिवालवर और एक हथगोला बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री जी० एस० भोमिया, कमांडेंट, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26-2-1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 178–प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री विशम्बर दयाल शर्मा,
उप-निरीक्षक,
19 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री कपिल देव दीक्षित,
कांस्टेबल,
19 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

20 सितम्बर, 1992 को उप-निरीक्षक बी० डी० शर्मा, नारबल चौकी के चौकी कमान्डर को पता चला कि श्रीनगर-नीयू सड़क पर एक पुलिया को उग्रवादियों ने उड़ा दिया है । उन्होंने बटालियन मुख्यालय को सूचित किया और सूचना की सत्यता का पता लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल के 8कार्मिकों (कपिल देव दीक्षित सहित) की एक गश्ती दल को लेकर चल पड़े । लगभग 16.30 बजे जब पार्टी नारबल से क्रास कन्ट्री रास्ते से होकर सड़क की तरफ जा रही थी तो उन्हें एक एम्बेस्डर कार (टैक्सी) दिखायी दी । जब वाहन लगभग 100 गज की दूरी पर था तो श्री शर्मा को, वाहन की खिड़की से एक धातु की ट्यूब की चमक दिखायी दी । उन्हें संदेह हुआ कि यह गन की नाल हो सकती है । उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और इस निर्णय पर पहुंचे कि हो सकता है उस वाहन में उग्रवादी सफर कर रहे हों । उन्होंने अपने कार्मिकों को मोर्चा सम्भालने के लिए कहा और श्री शर्मा, कांस्टेबल दीक्षित के साथ तुरन्त सड़क की तरफ गए और टैक्सी को रूकने का संकेत दिया । टैक्सी ड्राईवर ने वाहन को रोका लेकिन इंजन को चालू रखा । जब श्री शर्मा टैक्सी के नजदीक पहुंचे तो अन्दर बैठे एक उग्रवादी ने अपनी ए० के०–47 राईफल को श्री शर्मा की ओर तान दिया, इस पर श्री शर्मा ने अपनी राईफल को टैक्सी ड्राईवर के सिर की ओर ताना और दूसरे हाथ से उग्रवादी की राईफल पकड़ ली । इस बीच श्री दीक्षित ने मोर्चा सम्भाला और श्री शर्मा को आड़ पहुंचाई । जब यह गुत्थम-गुत्था हो रही थी तो दूसरी तरफ के पीछे के दरवाजे से सशस्त्र उग्रवादी चुपके से लुढ़क कर टैक्सी से बाहर निकल आए और उन्होंने श्री शर्मा पर गोलियां चलाना शुरू कर दी । इस पर कांस्टेबल दीक्षित ने, श्री शर्मा को आड़ पहुंचाने के लिए गोलियों का जवाब गोलियों से दिया । इसी बीच श्री शर्मा टैक्सी के भीतर बैठे उग्रवादी से राईफल छीनने में सफल हो गए । उसके बाद उग्रवादी कूदकर टैक्सी से बाहर आ गया और उसने भागने की कोशिश की । तथापि श्री शर्मा ने भाग रहे उग्रवादी पर गोलियां चलायीं और उसे मार गिराने में कामयाब हो गए । उसके बाद सर्व/श्री शर्मा और दीक्षित ने दो अन्य उग्रवादियों को मार गिराया । मृतक उग्रवादियों की शिनाख्त बाद में (I) मो० शफी खान्डे उर्फ शेख मुजामिल (II) अब्दुल अहद और (III) अब्दुल रहसीद के रूप में की गयी । तलाशी के दौरान, मुठभेड़ के स्थान से एक ए० के०–47 राईफल, 4 ए० के०–56 राइफल, 3 हथगोले और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया ।

इसी बीच पार्टी के अन्य कार्मिकों ने 4 उग्रवादियों को दबोच लिया ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री बिशम्बर दयाल शर्मा, उप-निरीक्षक और कपिल देव दीक्षित, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 सितम्बर, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 179-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जगजीत सिंह भल्ला,
सेकन्ड-इन-कमान्ड,
102 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

24 सितम्बर, 1992 को श्री भल्ला को, गांव नरान, जिला-राजोड़ी के नजदीक, छिपने के एक स्थान से अत्याधुनिक हथियारों से लैस 6 पाक प्रशिक्षित उग्रवादियों को गिरफ्तार करने का एक विशेष कार्य सौंपा गया । श्री भल्ला ने इस चुनौती भरे कार्य को तत्काल स्वीकार किया और सावधानी-पूर्वक योजना बनायी । श्री भल्ला अपने दल के साथ 24/25 सितम्बर, 1992 की मध्य रात्रि को उस क्षेत्र में पहुंचे । उग्रवादियों को भौंचक्का करने की दृष्टि से श्री भल्ला ने उनके छिपने के स्थान पर तेज गति से छापा मारने का निर्णय लिया । श्री भल्ला ने सामने से असाल्ट ग्रुप का नेतृत्व किया, उस घर पर गोलीबारी की जिसमें उग्रवादी छिपे हुए थे । भारी मात्रा में शस्त्रों से लैस उग्रवादियों को जवाबी कार्रवाई करने के लिए समय दिये बिना, श्री भल्ला स्वयं एक उग्रवादी पर झपट पड़े जिसने गोली चलाने के लिए अपनी ए० के०-47 राईफल उठा ली थी । श्री भल्ला ने उसके हथियार की नाल को ऊपर की ओर मोड़ दिया। इस कार्रवाई के दौरान उग्रवादी ने अपनी राईफल की मूठ से श्री भल्ला के सिर पर चोट मारी और अधिकारी को अक्षम कर देने की कोशिश की । लेकिन वे इससे विचलित नहीं हुए और अपने जख्मों और अत्यधिक दर्द की परवाह किए बिना श्री भल्ला ने भारी लड़ाकू शक्ति और सहन शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने अपनी 9 एम० एम० पिस्तौल उग्रवादी के सिर पर बार-बार मारी और उसकी राईफल को झपट लेने में कामयाब हो गए । इसी बीच एक दूसरे उग्रवादी ने एक हथगोला निकाला और उसे अपने मुंह से सक्रिय करने की कोशिश की । श्री भल्ला ने उग्रवादी के हाथ पर अपनी पिस्तौल मारी और हथगोले को नीचे गिरा दिया । इस प्रकार से श्री भल्ला ने दोनों उग्रवादियों को दबोच लिया । शेष चार उग्रवादियों को सीमा सुरक्षा बल के अन्य कार्मिकों ने दबोच लिया । गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की शिनाख्त (I) मो० इशाक उर्फ शेरजार खान (II) अब्दुल हामिद उर्फ जफर (III) मन्जूर अहमद उर्फ उमर मुश्तियार, (IV) मो० बकबूल उर्फ मो० अब्बास, (V) बरकत हुसैन उर्फ परवेज और (VI) मुंशी कटारिया उर्फ कबीर के रूप में की गयी। तलाशी के दौरान उग्रवादियों से 5 ए० के०-56 राईफलें, एक ए० के०-47 राईफल, दो रिवाल्वर, एक 38 बोर पिस्तौल, 18 ए० ई०-32 हथगोले, 18 राईफल हथगोले, बड़ी मात्रा में कारतूस और भारत/पाकिस्तानी मुद्रा बरामद की गयी ।

इस मुठभेड़ में श्री जगजीत सिंह भल्ला, सेकन्ड-इन-कमान्ड ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 सितम्बर, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 180-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री पी० एस० घूमन,
पुलिस उप निरीक्षक,
142वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री सुपरियन सोरंग,
कान्स्टेबल,
142वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

सिल्लूरा और लित्तर क्षेत्रों में कुछ उग्रवादियों की गति-विधियों के बारे में सूचना प्राप्त होने पर उग्रवादियों की

गतिविधियों का पता लगाने के लिए 1 सितम्बर, 1991 को लगभग 12 बजे एक उप निरीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष गस्ती दल भेजा गया । उप-निरीक्षक पी० एस० घूमन के नेतृत्व वाले दल ने जब गांव निल्लूरा पार किया तो धान के खेतों और ऊंचे मैदानों से उग्रवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी की । सीमा सुरक्षा बल की पार्टी ने तत्काल मोर्चा सम्भाला और आत्मरक्षा में जवाबी गोलियां चलायी और धान के खेतों में उग्रवादियों के मोर्चे की तरफ आगे बढ़ते रहे ।

उग्रवादियों द्वारा की गयी भारी गोलीबारी के कारण उप-निरीक्षक घूमन की पार्टी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली और इस कार्रवाई में कान्स्टेबल सुपरियन सोरंग गोली लगने से जख्मी हो गए । यह देखने पर उप-निरीक्षक घूमन ने तुरन्त आगे बढ़कर गोली चलायी और एक उग्रवादी को मार गिराया । इसी बीच कान्स्टेबल सुपरियन सोरंग, दायीं टांग में गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद, आगे बढ़े और उप-निरीक्षक घूमन के साथ मिलकर एक उग्रवादी को मारने में कामयाब हुए । उसके बाद, उप-निरीक्षक घूमन ने, उग्रवादियों की संख्या को देखते हुए कुमुक के लिए संदेश भेजा । उन्होंने अपने कमांडेंट एस० के० सेठ को यह भी सूचित किया कि उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी को सभी दिशाओं से घेर लिया है और जख्मी कान्स्टेबल को सुरक्षित स्थान पर ले जाना भी कठिन है । श्री सेठ एम० एम० जी० डिटेचमेन्ट और मेडीकल आफिसर सहित एक कम्पनी के साथ तुरन्त घटनास्थल की ओर गए । जब पार्टी रास्ते में निल्लूरा की तरफ जा रही थी तो गांव लाक्षीपोरा पर उग्रवादियों ने इस पर घात लगायी । श्री सेठ तत्काल एक प्लाटून के साथ आगे बढ़े और नियंत्रित गोलीबारी की तथा उग्रवादियों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया । उसके बाद श्री सेठ टुकड़ियों को आगे ले गए और गांव निल्लूरा पहुंचे । वहां पहुंचने पर श्री सेठ ने कमान्डो प्लाटून और एम० एम० जी० डिटैचमेन्ट के साथ उग्रवादियों पर गोलियां चलायीं । जब वे कीचड़ वाले धान के खेतों में आगे बढ़ रहे थे तो उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चलायीं लेकिन सौभाग्यवश वे बच गए। श्री सेठ ने तत्काल अपनी ए० के०–47 राईफल से जवाबी गोलियां चलायीं और एक उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया और उसकी राईफल जब्त कर ली । श्री सेठ, उग्रवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी के बीच जख्मी कान्स्टेबल सुपरियन सोरंग को वहां से बाहर निकाल लाए और उन्हें सैनिक अस्पताल, श्रीनगर ले गए । दाहिने पैर में नीचे के हिस्से में गोली लगने से हुए जख्म और दोनों हड्डियों में कम्पाउन्ड फ्रैक्चर हो जाने के कारण श्री सुपरियन सोरंग का आपरेशन किया गया और उनके दाहिने पांव के नीचे के हिस्से को काटना पड़ा । इसी बीच दोनों ओर से हुई भारी गोलीबारी के दौरान तीन और उग्रवादी मारे गए और देखा गया कि उनके शव दूसरे उग्रवादी आगे की पहाड़ी की तरफ ले गए । इस मुठभेड़ में कुल 11 उग्रवादी मारे गए (कुख्यात उग्रवादी अब्दुल रशीद बक्शी सहित, जो पुलवामा जिले के एच० एम० का जिला कमान्डर था)। तलाशी के दौरान, भारी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद तथा उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में बहुमूल्य दस्तावेज बरामद किए गए और 39 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री पी० एस० घूमन, उप-निरीक्षक और सुपरियन सोरंग, कान्स्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 सितम्बर, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 181–प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :–

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रनवीर सिंह, (मरणोपरान्त)
उप-कमान्डेन्ट,
137 वीं बटालियन,
सी० सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

13 मई, 1992 को लगभग 10.30 बजे पूर्वाह्न को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ उग्रवादी गांव कंगनवाला में पंजाब नेशनल बैंक में डाका डाल रहे हैं । सूचना प्राप्त होने पर, 137वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल के उप-कमांडेंट श्री रनवीर सिंह 11 कार्मिकों के साथ तुरन्त घटनास्थल की ओर रवाना हुए । वहां पहुंचने पर उन्हें यह मालूम हुआ कि उग्रवादी, बैंक भवन की पीछे की दीवार पर चढ़कर भाग गए ।

श्री सिंह ने, अपनी पार्टी के साथ, भाग रहे उग्रवादियों का पीछा किया । उग्रवादियों के भागने के रास्ते के विषय में गांव वालों से सूचना प्राप्त होने पर, सीमा सुरक्षा बल की पार्टी ने गांव–बथा, थाना–अहमदगढ़, जिला संगरूर का घेराव कर लिया । श्री सिंह ने, अपनी पार्टी के साथ, भागने के मुख्य रास्ते को बन्द कर दिया । कुछ समय के बाद श्री सिंह ने देखा कि दो व्यक्ति स्कूटर पर आ रहे हैं । उन्होंने उनसे रुकने के लिए कहा । सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को देखने पर, दोनों उग्रवादियों ने अपना स्कूटर छोड़ दिया और नजदीक के मकानों में घुस गए । श्री रनवीर सिंह ने उग्रवादियों का पीछा किया और उनमें से एक उग्रवादी को

से भरे एक कमरे में छिपते हुए देखा । समय गवाए बिना, श्री रनवीर सिंह उस कमरे की छत पर चढ़ गए और अपने सर्विस हथियार से गोली चलायी और एक छेद से कमरे में पांच हथगोले फेंके । उग्रवादियों ने जवाब में गोली चलाई । श्री रनवीर सिंह द्वारा एक उग्रवादी मारा गया । दूसरे उग्रवादी के विषय में कोई सुराग न मिलने पर कमरे में रखी गेहूं की भूसी को आग लगा दी गयी । उसके बाद फायर टेन्डर की सहायता से उस जगह की तलाशी ली गई । तलाशी के दौरान उग्रवादियों का एक शव गोलियों से छलनी किया हुआ और दूसरा शव जला हुआ बरामद किया गया । आगे तलाशी लेने पर मुठभेड़ के स्थान एक-एक ए० के०–47 राईफल, एक .32 बोर का रिवाल्वर, एक चीन निर्मित हथगोला और सक्रिय/खाली कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री रनवीर सिंह, उप कमान्डेन्ट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 मई, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 182-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अश्वनी कमार, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
172वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

30-3-1993 को लगभग 11.45 बजे सीमा सुरक्षा बल की 172 वीं बटालियन के कमांडेंट को एक संदेश प्राप्त हुआ कि मिंगली क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के एक गश्ती दल पर कुछ उग्रवादियों ने गोलियां चलाई । 36 अधिकारियों/कार्मिकों का एक कमान्डो दल (कांस्टेबल अश्वनी कुमार सहित) तीन वाहनों में तत्काल मिंगली की ओर रवाना हुआ । जब पार्टी मोहल्ला छानखन के नजदीक पहुंची तो 3-4 संदिग्ध व्यक्तियों को गलियों में भागते हुए देखा गया । कमांडो पार्टी के प्रभारी अधिकारी ने एस्कोर्ट पार्टी को संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करने और पकड़ने का आदेश दिया । कांस्टेबल अश्वनी कुमार और अन्य, तत्काल वाहन से कूद पड़े और उन्होंने उग्रवादियों का पीछा किया । पीछा करते हुए, सीमा सुरक्षा बल की पार्टी पर उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी की । पार्टी ने भी आत्म-रक्षा में गोलीबारी की । कांस्टेबल अश्वनी कुमार ने, जो पीछा करते हुए और लोगों से आगे बढ़ रहे थे, एक उग्रवादी को देखा जो एक आड़ में से सीमा सुरक्षा बल पर गोलियां चला रहा था । श्री कुमार ने उग्रवादी को उलझाए रखा लेकिन उनका मोर्चा ठीक स्थान पर नहीं था । अपने व्यक्तिगत जीवन की परवाह न करते हुए वे शीघ्रता से अनुकूल मोर्चे की ओर बढ़े और अपनी एम० एल० आर० से तेजी से गोलियां चलाते हुए उन्होंने उग्रवादी को मार गिराया तभी अन्य उग्रवादियों की एक गोली श्री कुमार के सिर पर लगी और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया । इस प्रकार से उन्होंने बल की परम्परा को बनाए रखते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया । दोनों ओर से हो रही गोलीबारी के दौरान, एक और उग्रवादी मारा गया । बाद में मृतक उग्रवादियों की शिनाख्त शौकत अहमद (हिज़ब-उल-मुजाहिद्दीन का स्वयंभू बटालियन कमांडर) और अफगान राष्ट्रिक बदर का भाई (हिज़ब-उल-मुज्जाहिद्दीन ग्रुप का विस्फोटक विशेषज्ञ, अनुदेशक) के रूप में की गयी तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से एक ए० के०–47 राईफल, 5 मैगजीनें और एक छड़ी हथगोला बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में कांस्टेबल अश्वनी कुमार ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30-3-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 183-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एम० एस० चौहान,
उप-कमांडेंट,
82वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

कुछ सूचना प्राप्त होने पर 9-11-92 को सौरा में (अवान्ते भवन), सीमा सुरक्षा बल द्वारा श्री एम० एस० चौहान, उप-कमांडेंट के नेतृत्व में एक संयुक्त सी० ए० टी० अभियान आयोजित किया गया । जब पार्टी लगभग 1100

बजे इलाहीबाग से बगत-ए-सौरा की तरफ जा रही थी तो सी० ए० टी० ने एक उग्रवादी को देखा जो एक मकान के अन्दर जा रहा था और सीमा सुरक्षा बल के कुछ कार्मिकों ने उसे गिरफ्तार करने के लिए उसका पीछा किया तथापि उग्रवादी घर के अन्दर प्रवेश करने में सफल हो गया। जब सीमा सुरक्षा बल की पार्टी ने घर के निवासियों को बाहर निकालने का प्रयास किया तो, भारी संख्या में घर के अन्दर और आस-पास के मकानों में छिपे उग्रवादियों ने उन पर भारी गोली बारी की, जिसमें हथगोलों और यू० एम० जी० का प्रयोग भी किया गया। इसके परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा बल के कुछ कार्मिक जख्मी हो गए और उनके वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। श्री एम० एस० चौहान ने तुरन्त अत्यधिक सतर्कता और सूझबूझ से कार्य किया और उग्रवादियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों पर फैंके गए एक हथगोले को जो फटने ही वाला था, उठाया और शीघ्र ही वापस आतंकवादियों पर फैंक दिया, जिससे उन्होंने अपने आदमियों की बहुमूल्य जानें बचायीं। उग्रवादियों पर वापस फैंका गया हथगोला फट गया और इससे उग्रवादियों का विरोध खत्म हो गया। इस कार्यवाही के प्रभारी अधिकारी ने कुमुक के लिए संदेह भेजा। सूबेदार मेहमा सिंह, जो कमान्डों का प्रभारी था, अपने कार्मिकों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और उग्रवादियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए परिसर के अन्दर जाने के लिए स्वयं आगे आए। वे अपने कार्मिकों के साथ, उग्रवादियों द्वारा उन पर की जा रही भारी गोलीबारी की परवाह न करते हुए तथा अपने जीवन के लिए उत्पन्न भारी खतरे के बावजूद घर में छिपे और एक उग्रवादी को मारने तथा अन्य उग्रवादियों को घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर करने में सफल हो गए। श्री एम० एस० चौहान, डिप्टी कमान्डेंट मेहमा सिंह, निरीक्षक और पार्टी के अन्य सदस्यों ने मकान पर भारी गोलीबारी की यह लड़ाई लगभग 5 घंटे चली और इसके परिणामस्वरूप एच० यू० एम० के प्रमख सहित 7 कुख्यात उग्रवादी मारे गए और 4 ए० के०-56 राईफलें, 16 मैगजीन और 13 राउन्ड गोला-बारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री एम० एस० चौहान, उप-कमांडेंट अदम्य वीरता साहस और उच्चकोटि का कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9-11-1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 184-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मुरलीधरन नायर, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
172वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

यह सूचना प्राप्त होने पर कि कुछ आतंकवादी थाना और जिला बारामूला के अन्तर्गत बाबा ऋषि धार्मिक स्थल पर छिपे हुए हैं, सीमा सुरक्षा बल की 172वीं बटालियन के कमांडेंट के पर्यवेक्षण में 1-7-1993 को एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया। कांस्टेबल मुरलीधरन नायर इस अभियान पार्टी का एक सदस्य था, जो तबीयत ठीक न होने पर भी इस कार्यवाही के लिए स्वयं आगे आये। जब घेरा डालने वाली पार्टी बाबा ऋषि धार्मिक स्थल के बैरक नं० 11 का घेरा डाल रही थी तो धार्मिक स्थल के उत्तर में पास की एक पहाड़ी पर मोर्चा सम्भाले हुए कुछ उग्रवादियों ने सुरक्षा बल पर गोलियां चलायीं। अन्दर वाली घेरा पार्टी को तत्काल बैरक नं० 11 के नजदीक पहुंचने के लिए कहा गया। कांस्टेबल मुरलीधरन नायर ने बैरक के कमरा नं० 1 में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखीं और मोर्चा सम्भालने के बारे में चुपके-चुपके कमरा नं० 1 की खिड़की की तरफ बढ़े। तथापि, साथ के कमरे में छिपे उग्रवादियों की गोलियों से वे जख्मी हो गए। हालांकि कांस्टेबल मुरलीधरन नायर घातक रूप से जख्मी हो गए थे (और बाद में उन्होंने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया), फिर भी वे अपने जीवन की परवाह न करते हुए निर्भीकता और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े और जवाब में गोलियां चलाते हुए उस कमरे में छिपे हुए एक आतंकवादी को मार डाला। कांस्टेबल नायर को इस निर्भीक कार्यवाही से आतंकवादी चकरा गए, जिन्होंने कुछ देर के लिए गोलीबारी बन्द कर दी। टुकड़ियों ने अपने आपको पुनः संगठित किया और आगे की कार्यवाही की और उग्रवादियों को बाहर निकालने में कामयाब हो गए। जब गोलियां चलनी बन्द हो गयी तो तीन और शव बरामद हुए और जख्मी उग्रवादियों को सिविल अस्पताल ले जाते समय उनमें से 5 उग्रवादी रास्ते में ही मर गये, जिससे मारे गए उग्रवादियों की संख्या बढ़ कर 9 हो गयी। इसके अतिरिक्त घटनास्थल से निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारूद बरामद हुआ :—

(क) ए० के०-47/56 राईफलें —02
(ख) ए० के०-47/56 राईफल की मैगजीन —05
(ग) 9 एम एम० पिस्तौल की मैगजीन —01
(घ) 9 एम० एम० के सक्रिय राउन्ड —05

(क) केप के बिना छड़ी हथगोला —01

(च) विद्युत डिटोनेटर —05

इस मुठभेड़ में श्री मुरलीधरन नायर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1-7-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 185-प्रेज 94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान रहे हैं :—

अधिकारी का नाम और पद
श्री फाबियन टिग्गा,
सैकण्ड-इन-कमांड,
17वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।
श्री जसवन्त सिंह,
हैड-कांस्टेबल (आर० ओ०),
17वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

4-7-1993 को लगभग 0900 बजे, थाना सौपोर, जिला बारामूला के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत गांव सागीपुरा में एक और तलाशी और घेराबन्दी अभियान चयाला गया था । सर्व/श्री टिग्गा, जसवन्त सिंह और अन्य कार्मिक घर की छत पर स्टोर-रूम की तरफ गए, जो सूखी घास से भरा हुआ था । जब उन्होंने स्टोर के नजदीक तलाशी ली तो श्री जसवन्त सिंह ने देखा कि ऐक उग्रवादी घास में छिपा हुआ है और उन्होंने श्री टिग्गा को सावधान किया लेकिन श्री टिग्गा ने मोर्चा सम्भालने से पहले उग्रवादियों ने अचानक उन पर गोली चलायी । श्री टिग्गा ने ए० के०-47 राईफल से जवाब में गोली चलायी और एक उग्रवादी मार गिराया ।

इसी बीच दूसरे उग्रवादी ने दूर से गोलियों की बौछार की, जो श्री टिग्गा की बुलेट प्रूफ जैकेट और पेट के नीचे वाले भाग में लगी, जिससे वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । श्री जसवन्त सिंह ने उग्रवादी को उलझाए रखा और उसे मार गिराया । दोनों ओर से हो रही इस गोलीबारी में श्री जसवन्त सिंह के स्कापुलर (स्कंध) पर भी गोली लगी । श्री जसवन्त सिंह और फाबियन टिग्गा को वहां से हटाया गया और उन्हें तत्काल सैनिक अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया ।

सीमा सुरक्षा बल में अन्य कार्मिक कार्यवाही करते रहे और गुलाम नबी भट्ट और बशीर अहमद नामक दो उग्रवादियों को पकड़ने में कामयाब हुए, जो दोनों जे० के० एल० एफ० गिरोह से संबंधित थे । मृतक उग्रवादियों की शिनाख्त वाहिद अहमद मीर उर्फ जहांगीर (जे० के० एल० एफ० का स्वयंभू क्षेत्रीय कमांडर) और नजीर अहमद दर, निवासी जिला बारामूला, के रूप में की गई । तलाशी के दौरान मुठभेड़ के स्थान से 3ए० के०-56 राइफलें, ए० के०-56 की 12 मैगजीन, 314 राउन्ड गोला-बारूद और कोरडेक्स सहित आई० ई० डी० का एक सेट बरामद किया गया था ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री फाबियन टिग्गा, सैकण्ड-इन-कमांड और जसवन्त सिंह, हैड कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4-7-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 186-प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम :

श्री अजीज खान,
सहायक कमान्डेन्ट,
8वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।
श्री हेमन्त कुमार,
सहायक कमान्डेन्ट
8वीं बटालियन
सीमा सुरक्षा बल

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

ऋषिनगर क्षेत्र से उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए, सीमा सुरक्षा बल की 8वीं बटालियन के कमान्डेन्ट श्री जी० एस० भोमिया द्वारा 26 फरवरी, 1992 को एक विशेष योजना बनायी गयी । टुकड़ियों का नेतृत्व सर्व/श्री हेमन्त कुमार और अजीज खान, सहायक कमान्डेन्ट द्वारा किया गया, जिसकी पूर्ण बागडोर श्री जी० एस० भोमिया के हाथ में थी । वे भारी हिमपात में 10 कि० मी० की दूरी को तय करने के लिए पैदल चल पड़े । वहां पहुंचने पर भोर होने से पहले गांव को घेर लिया । भोर होने पर उग्रवादियों ने गांव से सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों पर गोलीबारी की । श्री भोमिया, एक कमान्डो प्लाटून को लेकर स्वयं उन घरों की ओर गए जहां से उग्रवादी गोलीबारी कर रहे थे । श्री भोमिया ने मन्जूर अहमद नामक ऐक व्यक्ति को गिरफ्तार

किया, जिसकी बाद में पाक प्रशिक्षित उग्रवादी के रूप में शिनाख्त की गयी । उसकी सूचना के आधार पर एक मस्जिद से दो ए०के० राईफलें बरामद की गयी ।

प्रारम्भ में श्री अजीज खान को उत्तर-पश्चिमी दिशा को कवर करने का कार्य दिया गया था । बाद में उन्हें, उग्रवादियों को मस्जिद से भगाने का कार्य दिया गया । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना वे अपने कार्मिकों के साथ तत्काल उस क्षेत्र की तरफ बढ़े और 3 ए०के०–56 राईफलों सहित, 3 उग्रवादियों को पकड़ने में सफल हुए ।

इसी बीच श्री हेमन्त कुमार ने आतंकवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी के दौरान घरों की तलाशी ली और उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप एक पाक प्रशिक्षित उग्रवादी गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार उग्रवादी से सूचना प्राप्त होने पर, श्री हेमन्त कुमार ने एक मस्जिद पर गोलीबारी की और 4 ए०के०–56 राइफलें और एक हथगोला बरामद किया । उन्होंने गांव चाक ऋषिनगर में छिपने के एक अन्य स्थान का पता भी लगाया और दो रोकेटों सहित, एक राकेट लाउन्चर बरामद किया । जैसे-जैसे अधिक से अधिक उग्रवादी पकड़े गए, गाँव के अन्दर से गोली चलनी बन्द हो गयी । यह मुठभेड लगभग 6 घंटे तक चली । इस मुठभेड़ में कुल 10 उग्रवादी पकड़े गए और उनसे एक राकेट लाउन्चर और दो राकेट और एक ब्रस्टर, 10 मैगजीनों और 187 गोलियों सहित 7 ए०के०–56 राईफलें, एक रिवाल्वर और एक हथगोला बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अजीज खान, सहायक कमान्डेट और हेमन्त कुमार, सहायक कमान्डेन्ट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपराणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 फरवरी, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 187–प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री सुरेन्दरपाल सिंह,
कांस्टेबल,
183वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

28 जनवरी, 1993 को सीमा सुरक्षा बल की 183वीं बटालियन की एक पलाटून शहर से लगभग 18 कि० मी० दूर उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र कश्तीगढ़ में गश्त के लिए रवाना हुई । गश्ती दल में एक उप-निरीक्षक और 16 अन्य कार्मिक (कांस्टेबल सुरेन्दर पाल सिंह सहित) थे । सामान्य क्षेत्र में गश्त लगाने के बाद पार्टी कश्तीगढ़ की तरफ गयी। उग्रवादियों ने एक पहाड़ी के उपर से अचानक उन पर भारी गोलीबारी की । लगभग 5–6 उग्रवादी अपने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी कर रहे थे । सीमा सुरक्षा बल की पार्टी ने तत्काल मोर्चा सम्भाला और उग्रवादियों पर जवाबी गोलियां चलायी । जब भारी गोलीबारी हो रही थी तो कांस्टेबल सुरेन्दर पाल सिंह, अपने जीवन को खतरे में डाल कर गोलियों का सामना करते हुए तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने एक शिलाखंड के पीछे मोर्चा सम्भाला । विचलित हुए बगैर उन्होंने अपना सन्तुलन बनाए रखा और उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए अपनी एल० एम० जी० से सुविचारित ढंग से और गोलीबारी की । उग्रवादियों ने उन पर एक हथगोला फैंका, जो फटने ही वाला था । उन्होंने तुरन्त उस हथगोले को वापस उग्रवादियों पर फैंकने की मन्शा से उठाया । इस प्रक्रिया में स्थगोला फट गया और श्री सुरेन्दर पाल सिंह का बायां हाथ विस्फोट से उड़ गया और हथगोले के टुकड़े उनके चेहरे पर और दायीं आंख पर भी लगे । गम्भीर रूप से जख्मी हो जाने के बावजूद वे उग्रवादियों पर गोलियां चलाते रहे । लगभग 25 मिनट तक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही । बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया । उनका दायां हाथ काट दिया गया। उनकी दायीं आंख भी गम्भीर रूप से जख्मी हो गयी ।

इस मुठभेड़ में श्री सुरेन्दर पाल सिंह कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 जनवरी, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 188–प्रेज/94—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :

श्री ए० के० एक्का,
उप-कमांडेन्ट,
195वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 18–10–1992 को सूचना प्राप्त हुई कि श्रीनगर के तांगपुरा क्षेत्र के एक घर में कुछ उग्रवादी शरण

लिए हुए हैं । उग्रवादियों को पकड़ने के लिए श्री एम० पी० आजाद और श्री ए० के० एक्का के नेतृत्व में एक कमांडो प्लाटून को भेजा गया । दल के सदस्यों सहित श्री ए० के० एक्का ने घर को घेर लेने का कार्य अपने हाथ में लिया जबकि श्री एम० पी० आजाद सहित दल के कार्मिकों को घर के अन्दर घुस कर उग्रवादियों को गिरफ्तार करने का कार्य सौंपा गया । घर को घेर लेने के बाद श्री आजाद ने उग्रवादियों को आत्मसमर्पण कर देने के लिए ललकारा परन्तु उग्रवादियों ने घर की प्रथम मंजिल से पहले दो हथ-गोले फेंके और उसके बाद भारी गोलीबारी की । भारी गोलीबारी के बावजूद श्री आजाद और कांस्टेबल हरमेश लाल घर की प्रथम मंजिल पर पहुंचने में सफल हो गए । वहां वे उग्रवादियों का पता न लगा सके क्योंकि उग्रवादी छिपने के उद्देश्य से बनाई गई एक विशेष खाई में छिपे हुए थे । अपनी निजी सुरक्षा की चिन्ता किए बगैर श्री आजाद और कांस्टेबल हरमेश लाल उस छिपने के स्थान की ओर बढ़े, जहां से गोलियां चलाई जा रही थी । अचानक श्री आजाद पर गोलियां चलाई गई जो उनके जबड़े, हाथ और छाती पर लगीं । इस प्रक्रिया में कांस्टेबल हरमेश लाल की बांई टांग में भी चोट लग गई । गम्भीर रूप से घायल होने के बावजूद श्री आजाद रेंगते हुए आगे बढ़े और गोली चलाकर उनमें से एक उग्रवादी को मार डाला । इस बीच, कांस्टेबल हरमेश लाल भी आगे बढ़े और एक उग्रवादी पर झपट पड़े और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया ।

2. अन्य उग्रवादी बाहर आ गए और उन्होंने श्री ए० के० एक्का की पार्टी को उलझाए रखा । श्री एक्का बिजली की तरह आगे बढ़े और गोली चलाकर उनमें से एक उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मार डाला । चौथा उग्रवादी श्री एक्का के दल द्वारा मारा गया । सर्वश्री एस० पी० आजाद और हरमेश लाल को श्रीनगर के बेस अस्पताल में ले जाया गया लेकिन श्री आजाद ने भारी घावों के कारण आपरेशन थियेटर में दम तोड़ दिया ।

3. मारे गए उग्रवादियों की पहचान (1) रियाज अहमद उर्फ हैदर अली (2) अब राशीद डर उर्फ पयाज (3) अब कयूम डर उर्फ सईद और (4) अब रहमान डर उर्फ मौलवी के रूप में की गई । तलाशी के दौरान 3 मैगजीनों सहित 2 ए०के०-56 राईफलें, एक छड बम और बड़ी मात्रा में बिना चले/खाली कारतूस घटनास्थल से बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री ए० के० एक्का, उप-कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 अक्तूबर, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

5—261GI/94

सं० 189-प्रेस/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद :
श्री महादेवप्पा सज्जन,
कान्सटेबल,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई,
सी० सी० डब्ल्यू० ओ०,
धनबाद (बिहार) ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

26-27 फरवरी, 1993 की रात करीब 2 बजे पूर्वाह्न कान्सटेबल महादेवप्पा सज्जन ने घातक हथियारों से लैस 15-20 अपराधियों को श्री बी० एम० उपाध्याय, अपर मुख्य अभियन्ता, मुजौदियाह, के घर में आक्रमण करने के लिए अतिक्रमण करते हुए देखा । उनके आक्रमण को विफल करने के लिए कांसटेबल एम० सज्जन ने अकेले ही गिरोह के लोगों को ललकारा । तथापि, उस गिरोह के लोगों ने जल्द ही कान्सटेबल को काबू कर लिया । उसको रस्सी से बांध दिया गया, बुरी तरह पीटा गया और तथा अपर मुख्य अभियंता को किसी न किसी बहाने से बाहर बुलाने के लिए उसे मजबूर किया गया । कान्स्टेबल एम० सज्जन को उन्होंने तब खोला जब उसने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया । कांस्टेबल द्वारा आवाज दिए जाने पर श्रीमती उपाध्याय जाग गईं और उन्होंने अपने शयनकक्ष की खिड़की खोली । इस अवसर पर, जब अपराधी गिरोह अधिकारी द्वारा मुख्य द्वार खोले जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी कांस्टेबल ने स्वयं को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और शोर मचाता हुआ बंगले के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा । उसको घर में घुसने से रोकने के लिए उपद्रवियों ने एक देशी हथगोला फेंका जिससे उनको गंभीर चोटें लग गईं । अपने गंभीर घावों के बावजूद कांस्टेबल अपने पर्यवेक्षकों को सचेत करने के लिए के० औ० सु० बल के शिविर की ओर भागा । शिविर से कुमुक आ जाने पर डकैत भाग गए । कांस्टेबल एम० सज्जन को सिविल अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से विशेष इलाज के लिए केन्द्रीय अस्पताल ले जाया गया ।

इस मुठभेड़ में कांस्टेबल एम० सज्जन अपनी सुरक्षा को गंभीर खतरे में डालते हुए सशस्त्र उपद्रवियों के साथ बहादुरी से लड़े और खान अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों और उनकी सम्पत्ति को उपद्रवियों से बचाया । स्थानीय पुलिस ने इस मामले में अब तक सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है ।

इस मुठभेड़ में श्री महादेवप्पा सज्जन, कान्स्टेबल, ने अदम्य साहस, वीरता तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप

नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 फरवरी, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 190—प्रेज/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री दुर्गा बहादुर, (मरणोपरांत)
हैड-कांस्टेबल,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई,
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम,
जोरहाट ।

श्री पी० अरविन्दक्षन, (मरणोपरांत)
लांस नायक,
के० औ० सु० बल इकाई,
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम,
जोरहाट ।

श्री पी० श्री रामुलु, (मरनोपरांत)
कान्स्टेबल,
के० औ० सु० बल इकाई,
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम,
जोरहाट ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

1 मार्च, 1993 को लांस/नायक पी० अरविन्दक्षन और कांस्टेबल पी० श्री रामुलु सहित हैड-कांस्टेबल दुर्गा बहादुर, गोला पानी, ड्रिल साईट पर तैनात थे । करीब 16.40 बजे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों ने ए०के०-47 और हथगोलों से लैस 5/6 नागा आतंकवादियों की गति-विधियां देखीं । देखे जाने पर नागा विद्रोहियों ने आड ले ली और पुलिस दल पर गोली-बारी करनी शुरु कर दी । हैड-कांस्टेबल दुर्गा बहादुर के नेतृत्व में पुलिस ने जवाबी गोली-बारी की ओर इस प्रकार एक भंयकर मुठभेड़ शुरू हो गई । एक नागा विद्रोही ने हथगोला फैंक कर तेल प्रतिष्ठानों को नष्ट करने की कोशिश की लेकिन तेल परिसर को नष्ट करने से पहले उसको मार गिराया गया । मारे गए उग्रवादी की बाद में होकेतो सेमा के रूप में शिनाख्त की गई जोकि नागालैण्ड की एक घातक गैरकानूनी नैशनल सोशलिष्ट काऊंसिल का सदस्य था । नागा विद्रोही अधिक संख्या में होने और हथियारों से अच्छी तरह से लैस होने के कारण उन्होंने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तीनों कार्मिकों को मार डाला । विद्रोहियों में से भी एक और विद्रोही भी घायल हो गया था लेकिन मुठभेड़ के दौरान एक अन्य विद्रोही द्वारा उसको अलग ले जाया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री दुर्गा बहादुर, हैड-कांस्टेबल, श्री पी० अरविन्दक्षन, लांस नायक और श्री पी० श्री रामुलु, कान्स्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 मार्च, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 191—प्रेज/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री आर० डी० बर्मन,
कांस्टेबल,
93—बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 3 जून, 1992 को एस० एज० ओ०, रामपुरा के अधीन रामपुरा थाने के पुलिस बल सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 93वीं बटालियन की दो टुकड़ियों को जिनमें कांस्टेबल आर० डी० बर्मन भी शामिल थे, गांव जेओन्द में तलाशी लेने के लिए तैनात किया गया था । बल को दो दलों में बांट दिया गया । एक दल के० रि० पु० ब० के हैड कांस्टेबल के नेतृत्व में और दूसरा दल एस० एज० ओ० रामपुरा के नेतृत्व में था । दो युवकों को एक स्कूटर पर सवार आते देखकर पुलिस दल ने उनको रुकने का संकेत दिया । रुकने के बजाए युवकों ने स्कूटर को दांई ओर ट्यूबवैल की ओर मोड़ दिया । अन्य दो कांस्टेबलों सहित श्री आर० डी० बर्मन ने उन युवकों का पीछा करना शुरू कर दिया । पुलिस दल को अपना पीछा करते देखकर उन्होंने अपना स्कूटर वहीं छोड़ दिया और अपनी ए० के० 47 राईफलें निकालकर के० रि० पु० बल के कार्मिकों पर गोलियां चलाईं । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों ने जबाबी गोली बारी की और रामपुरा के एस० एज० ओ० को भी सतर्क कर दिया । एस० एज० ओ० उस दिशा की ओर बढ़े जिस दिशा की ओर आतंकवादी भाग रहे थे । उन्होंने उस क्षेत्र को घेर लिया और आतंकवादियों को आगे भागने से रोक दिया । आतंकवादियों ने मोर्चा सम्भाला और पुलिस दल पर गोलियां चलाईं । आतंकवादियों पर भी प्रभावकारी ढंग से गोलियां चलाई गईं । इसके फलस्वरूप, एक आतंक-वादी ने अपना मोर्चा छोड़ दिया और पास में खेत में बनी गारे की कच्ची दीवार की आड़ बना कर भागने का प्रयास किया । कांस्टेबल बर्मन ने भागते हुए आतंकवादी को देख लिया और उसका पीछा किया । भागते हुए आतंकवादी ने एक वृक्ष के पीछे अच्छी तरह से मोर्चा संभाल कर कान्स्टेबल बर्मन पर गोलियां चलाई जो बाल-बाल बचे । खेत में बनी

गारे की दीवार की आड़ लेकर कांस्टेबल बर्मन आगे बढ़े और आतंकवादी के मोर्चे के काफी निकट पहुंचे और अपनी एस० एल० आर० से भारी गोली बारी करके अंतः आतंकवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया । मारे गए आतंकवादी की बाद में के० सी० एफ० गुट के रंजीत सिंह के रूप में पहचान की गई, जो एक सूचिबद्ध आतंकवादी था, जिसके पास से एक ए० के०–47 राईफल, बिना चले और खाली कारतूसों सहित दो मैगजीनें बरामद किए गए । दूसरा आतंकवादी खेतों की आड़ में भागने में सफल हो गया ।

इस मुठभेड़ में श्री आर० डी० बर्मन, कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 जून, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 192–प्रेज/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बी० वी० रेड्डी, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
115वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

18 नवम्बर, 1992 को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ आतंकवादी एक हत्या करने के बाद जिला फरीदकोट के उप-खंड मुक्तसर में एक गांव के नजदीक छिपे हुए हैं । यह सूचना प्राप्त होने पर, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना का एक संयुक्त अभियान आयोजित किया गया । आतंकवादी घने कपास के खेतों में छिपे हुए थे और पंजाब पुलिस के कार्मिकों ने पहले से ही आतंकवादियों को उलझा रखा था । कपास की फसल बहुत घनी थी । पुलिस पार्टी बुलेट प्रूफ ट्रेक्टर और जिप्सी की मदद से खेतों में गयी । आतंकवादियों ने बुलेट प्रूफ जिप्सी पर गोलीबारी की और इसे गतिहीन कर दिया । स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों ने एक साथ मिलकर एक संयुक्त रणनीति तैयार की । घेरे को 4 दलों में विभाजित किया गया, जिनका नेतृत्व क्रमशः सेना की टुकड़ी, कमांडेंट, 84वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 127वीं बटालियन की एक कम्पनी के पुलिस अधीक्षक (डी०) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 115वीं बटालियन के डी० सी० ओ० द्वारा किया गया ।

घेरा डालने वाली पार्टियों को आतंकवादियों पर डाले घेरे को धीरे-धीरे कसने और आगे बढ़कर खेतों की दूरी कम करने और धीरे-धीरे आतंकवादियों के नजदीक जाने और उन्हें निष्क्रिय कर देने का निदेश दिया गया । कांस्टेबल बी० वी० रेड्डी, जो एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, और आगे बढ़े और उन्होंने नहर के ढलान में मोर्चा सम्भाला । आदेश प्राप्त होने पर उन्होंने अपनी आड़ छोड़ दी और नहर पार करके कपास के खेतों की तरफ गए और पंजाब पुलिस के दो सहायक उप-निरीक्षकों के साथ मिल गए और घनी फसल की तरफ बढ़ने लगे । लगातार गोलीबारी होने के बावजूद वे अपनी स्थिति बदलते रहे तथा उपलब्ध आड़ लेते रहे और आगे बढ़ते रहे ।

घनी कपास की फसल के कारण, लेटकर दूर तक देखना सम्भव नहीं था और आगे बढ़ने की गति बहुत कम लेकिन नियमित थी । दो सहायक उप-निरीक्षकों के साथ कांस्टेबल बी० वी० रेड्डी जैसे ही कपास के खेतों से गुजर रहे एक नाले की तरफ बढ़ रहे थे, तो छदमावरण आतंकवादी और उसके नजदिक छिपे एक अन्य आतंकवादी ने गोलियां चलायीं । श्री रेड्डी ने देखा कि गोलियां छिपे हुए आतंकवादी की तरफ से आ रही हैं तो उन्होंने उस पर जबाबी गोलियां चलाइ और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया, जिसके कब्जे से एक असाल्ट राईफल और 5 राउन्ड सक्रिय कारतूस बरामद हुए । इस गोलीबारी में कांस्टेबल रेड्डी भी गम्भीर रूप से जख्मी हो गए लेकिन वे विचलित हुए बिना आतंकवादी की तरफ बढ़ते गए लेकिन जख्मों के कारण आगे नहीं बढ़ सके और नीचे गिर पड़े । बाद में अस्पताल में जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया दूसरे आतंकवादी को दूसरे सहायक उप-निरीक्षकों ने मार गिराया । इस मुठभेड़ में कुल 10 आतंकवादी मारे गए, जिनके शव, बड़ी मात्रा में गोला बारूद के साथ तलाशी के दौरान बरामद हुए ।

सेवा की सर्वोत्तम परम्परा को बनाए रखे हुए आतंकवादियों के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए, कांस्टेबल रेड्डी ने सर्वोच्च बलिदान किया ।

इस मुठभेड़ में श्री बी० वी० रेड्डी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 नवम्बर, 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 193-प्रेज/94—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुरेश कुमार रावत,
कांस्टेबल,
72वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

10-7-1990 को लगभग 7.40 बजे अपराह्न एक खूंखार आतंकवादी रावेल सिंह उर्फ फौजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 10 लाख रु० की फिरौती के लिए बन्दूक की नोक पर, जिला पटियाला, थाना जुलकान से चावल विक्रेता का अपहरण किया ।

11-7-1990 को श्री एस० के० शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटियाला ने उस क्षेत्र में हर संभव अभियान चलाया जहां के बारे में यह अनुमान था कि आतंकवादी बंधक के साथ वहां चले गए हैं । लगभग 4.30 बजे अपराह्न जब पुलिस पार्टी आतंकवादी गिरोह की तलाश कर रही थी तो आतंकवादियों ने अपने स्वचालित शस्त्रों से उन पर गोलियां चलायी जो अपने बंधक संतोष कुमार के साथ गांव शेखूपुरा के नजदीक एक फार्म-हाऊस में शरण लिए हुए थे । यह सूचना प्राप्त होने पर श्री वी० के० कपिल, पुलिस अधीक्षक, (प्रचालक) पटियाला और अन्य पुलिस कार्मिकों (सहायक उप निरीक्षक, कुलदीप कुमार सहित) को साथ लेकर श्री एस० के० शर्मा तथा कांस्टेबल सुरेश कुमार रावत सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 72वीं बटालियन की एक कम्पनी फार्म हाऊस में पहुंची, जहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे । पुलिस पार्टी को देखने पर आतंकवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी की । प्रारम्भ में बहुत भारी गोलीबारी हो रही थी और उस दिशा की ओर बढ़ना कठिन था जहां आतंकवादियों ने लिंक रोड के साथ-साथ जंगली घास के पीछे एक खड्डे में मजबूत मोर्चा बना रखा था । 6.30 बजे तक गोलीबारी बिना किसी परिणाम के चलती रही । उस के बाद यह निर्णय लिया गया कि आतंकवादियों के मोर्चे के नजदीक जाकर अंतिम हमला किया जाए । श्री एस० के० शर्मा, सर्व श्री वी० के० कपिल, कुलदीप कुमार और एस० के० रावत और अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना रेंगते हुए आगे बढ़े और आतंकवादियों के नजदीक पहुंचे । श्री शर्मा ने एल० एम० जी० ग्रुप के साथ मोर्चा सम्भाला और आतंकवादियों पर भारी गोलीबारी की ताकि वे वहां से हिलने न पायें । आतंकवादियों ने भी पूरे जोश के साथ जवाबी गोलियां चलायीं । श्री शर्मा, सहायक उप निरीक्षक कुलदीप कुमार के साथ दाहिने तरफ से आगे बढ़े और आतंकवादियों पर गोलियां चलायीं जबकि श्री वी० के० कपिल ने, कांस्टेबल एस० के० रावत के साथ एल० एम० जी० से बांई दिशा से गोलियां चलायीं । अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ पाकर आतंकवादी ग्रुप के नेता ने सबसे पहले अपहृत व्यक्ति संतोष कुमार पर गोली चलाकर उसे मार दिया । उसके बाद वह अपने साथियों द्वारा की जा रही गोलीबारी की आड़ में आगे बढ़ा और उसने श्री शर्मा पर गोलियों की बौछार कर दी । श्री शर्मा और उनके अंगरक्षक कार्मिकों ने जवाबी गोलियां चलायीं । दोनों ओर से हो रही गोलीबारी में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक सहायक उप निरीक्षक और कांस्टेबल श्री एस० के० रावत जख्मी हो गये । श्री शर्मा ने अपने रिवाल्वर से जवाबी गोलियां चलायीं और उस उग्रवादी को मार गिराया । दूसरे जख्मी उग्रवादी अपने गिरोह के नेता की मौत से हतोत्साहित हो गए । जब गिरोह का नेता श्री शर्मा पर गोलियां चला रहा था तो श्री वी० के० कपिल ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना अपनी सर्विस रिवाल्वर से एक आतंकवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया । गम्भीर रूप से जख्मी होने के बावजूद सहायक उप-निरीक्षक कुलदीप कुमार और कांस्टेबल रावत अपने मोर्चे से हिले नहीं और वे आतंकवादियों पर गोलियां चलाते रहे । शेष आतंकवादी अपनी जानें बचाने के लिए गोलियां चलाते हुए भागने लगे और विभिन्न दिशाओं से पुलिस कार्मिकों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी में मारे गए । मुठभेड़ लगभग 5 घंटे तक चली, जिसमें सभी 5 उग्रवादियों का सफाया हो गया, बाद में उनकी शिनाख्त (1) रावेल सिंह उर्फ फौजी, (2) कुन्दन सिंह उर्फ कुन्दू (3) अवतार सिंह उर्फ घोंघा (4) निर्मल सिंह उर्फ निम्मा और (5) गुरमेल सिंह उर्फ गेला के रूप में की गई । तलाशी के दौरान मुठभेड़ के स्थान से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोलाबारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री सुरेश रावत, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृति भत्ता भी दिनांक 10-7-1990 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 194-प्रेज/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री शाम चन्द,
पुलिस उपाधीक्षक,
53वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 12.1.1991 को श्री शाम चन्द, पुलिस उपाधीक्षक, जिस समय डी० आई० जी० ओ० (प्रचालन) की

अनन्तनाग में हुई एक बैठक में भाग लेकर लौट रहे थे तो करीब 18.00 बजे उन्होंने लगभग 23 व्यक्तियों की कानबाई को रोका, अपने कार्मिकों को ब्रीफ किया और खानाबलपुल से नई बस्ती के लिए पैदल चल पड़े। श्री शाम चन्द और उनके कार्मिकों द्वारा इस ओर जाने वाले सभी व्यक्तियों की स्वयं जांच ली गई। जांच के बाद श्री शाम चन्द नई बस्ती की गलियों की ओर चल पड़े जहां उन्होंने दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। श्री शाम चन्द ने अपने कार्मिकों को रुकने और पोजीशन लेने का संकेत दिया। जैसे ही श्री शाम चन्द ने पूछताछ आरम्भ की तो उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और श्री शाम चन्द को निशाना बनाया, परन्तु ज्यों ही वह गोली चलाने वाला था, तो श्री शाम चन्द उस व्यक्ति पर झपट पड़े और उसके द्वारा गोली चलाई जाने से पहले ही उस पर काबू पा लिया, और इस प्रकार अपनी और अपने उन कार्मिकों की जान बचाली जिन्होंने दूसरे व्यक्ति को दबोच लिया था। दोनों व्यक्तियों की पहचान मंसूर इस्लाम उर्फ दारजी, जे० के० एल० एफ० का प्रमुख एरिया कमांडर, जिसके ऊपर एक लाख रुपये का इनाम था, तथा इरफान सज्जाद, पत्रकार जोकि जे०के०एल०एफ० के लिए कार्य करता था, के रूपमें की गई तथाउनके पास से 9 मि० मी० की एक पिस्तौल बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में श्री शाम चन्द, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12.1.1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 195-प्रेज/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जी० एम० नायर,
लांस नायक,
6 बटालियन,
के० रि० पु० बल

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

24 सितम्बर, 1992, को थाना प्रभारी, मजीठा, से सूचना प्राप्त हुई कि गांव भैनी लुथरां में आतंकवादी एक बैठक कर रहे हैं। इस सूचना के प्राप्त होने पर, श्री जी० एम० नायर, लांस नायक सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक उस गांव की ओर चल पड़े और गांव के चारों ओर डाले गए घेरे को और मजबूत करने के लिए तैनात हो गए। गांव वालों से अपने घरों को छोड़ कर बाहर आ जाने के लिए कहा गया और पंजाब पुलिस और के० रि० पु० बल के कार्मिकों वाले पुलिस दल ने घर-घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब पुलिस दल स्वर्ण सिंह नामक व्यक्ति के घर की तलाशी ले रहे थे तो घर के एक कमरे में छिपे आतंकवादियों ने तलाशी दल पर भारी गोली-बारी की जिससे पंजाब पुलिस का एक कार्मिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बाद में घावों के कारण मृत्यु हो गई। इसी दौरान, पुलिस दल के अन्य सदस्यों ने मोर्चा संभाल लिया और जवाबी गोली-बारी की। दोनों ओर से कुछ देर तक हुई गोली-बारी का कोई वांछित परिणाम नहीं निकला। अतः केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कुछ सदस्यों ने घर की छत पर चढ़ने और छत में छेद करने का फैसला किया। श्री जी० एम० नायर छत में छेद करने के लिए वहां (छत) पर चढ़ गए जबकि अन्य पुलिस कार्मिकों ने आतंकवादियों के साथ गोली-बारी जारी रख कर उनका ध्यान बटाए रखा। अन्य साथियों के साथ श्री नायर ने बेलचे, कुदाल, और सिब्बल से छत में छेद किए और अपनी जान को जोखिम में डाल कर श्री नायर रेंगते हुए उस छेद के निकट गए और आतंकवादियों द्वारा उस छिद्र को निशाना बना कर की जा रही गोली-बारी के बीच उन्होंने कमरे के अन्दर 36 एच० ई० हथगोले फेंके। कुछ हथगोले अन्दर फेंके जाने के बाद कमरे के अन्दर से हो रही गोली-बारी बन्द हो गई। कमरे की तलाशी लेने के बाद आतंकवादियों के चार शव बरामद किए गए, जिनकी पहचान गुरजीत सिंह, अशोक बिल्ला, हरमीत सिंह लड्डी और रंजीत सिंह राणा के रूप में की गई, जिनके पास से एक एस० एल० आर० राईफल, एक ए० के०-47 राईफल, एक .303 राईफल और एक .455 रिवाल्वर बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री एम० जी० नायर, लांस नायक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24-9-1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 196-प्रेज/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री हकीम सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
14वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री मोहन लाल,
कांस्टेबल,
14वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री मोहिन्दर पाल सिंह,
कांस्टेबल,
14वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

अपहृत युवक गुरबिन्दर सिंह उर्फ राजा सहित मातेवाल गांव के आस पास कुछ आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में 15-9-92 को लगभग 1400 बजे श्री हकीम सिंह को सूचना मिली । सूचना मिलते ही हकीम सिंह ने कांस्टेबल मोहन लाल और मोहिन्द्र पाल सिंह सहित, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बी/14 बटालियन की एक टुकड़ी के साथ तत्काल घेरा डाला और गांव की तलाशी शुरू कर दी । घटनास्थल पर पहुंचने पर श्री हकीम सिंह ने जिस घर में आतंकवादी छिपे हुए थे उसके एक पुरुष सदस्य श्री लाखा सिंह को बुलाया, जो पुलिस को देखते ही घबरा गया । उस मकान के अन्दर छिपे आतंकवादियों ने अपने स्वचालित हथियारों से हकीम सिंह पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं । श्री हकीम सिंह ने विचलित हुए बिना गोलियों का जवाब दिया तथा अपने आदमियों को आतंकवादियों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया । कांस्टेबल मोहन लाल ने जब यह देखा कि एक आतंकवादी श्री हकीम सिंह पर गोली चला रहा है तो, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना आतंकवादी पर गोली चलाई और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । इसी बीच दूसरा आतंकवादी जो चार दिवारी फोड़ कर बच निकलने की कोशिश कर रहा था और घेरा तोड़ने के लिए अंधाधुंध गोलियां चला रहा था, मोहिन्द्र पाल सिंह की गोलियों से गम्भीर रूप से जख्मी हो गया । वह आतंकवादी यद्यपि जख्मी हो गया था लेकिन उसने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाना जारी रखा । श्री हकीम सिंह होशियारी से वहां से पीछे हटे, और चार दिवारी के बाहर मोर्चा सम्भाला तथा एक हथगोला फैंका, जिससे जख्मी आतंकवादी मारा गया । कुमुक पहुंचने पर, श्री हकीम सिंह ने आतंकवादी को आत्म-समर्पण करने के लिए कहा लेकिन आतंकवादियों ने इसके बजाय पुलिस पार्टी पर भारी गोली-बारी की के स्थिति का जायजा लेने के बाद श्री हकीम सिंह ने घर के अन्दर हथगोला फैंकने का निर्णय लिया । वे छत पर चढ़े, मकान की कच्ची छत पर एक छेद किया और आतंकवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी के बीच उसमें से कुछ हथगोले फैंके जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी बन्द हो गयी । यह मुठभेड़ जो 1800 बजे शुरू हुई थी 0030 बजे तक चली और इसमें पांचों आतंकवादियों का सफाया हो गया । इनमें से दो की बाद में श्याम सिंह और लखविन्दर सिंह के रूप में शिनाख्त की गई । मृत आतंकवादियों से मैगजीन सहित, एक एस० एल० आर०, भारी मात्रा में जीवित/खाली कारतूसों सहित 4 ए० के०-47 राईफलें बरामद हुई ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री हकीम सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक, मोहन लाल कांस्टेबल और मोहिन्द्र पाल सिंह कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15.9.1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 197-प्रेज/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गोकुल सिंह, (मरणोपरांत)
हैड कांस्टेबल,
छठी बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

आतंकवादियों के एक गिरोह को गिरफ्तार करने के लिए दिनांक 29 सितम्बर, 1992 को थाना मजीठा के अधीन गांव इनायतपुरा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और पंजाब पुलिस के कार्मिकों द्वारा एक विशेष अभियान आयोजित किया गया । श्री गोकुल सिंह, हैड कांस्टेबल के नेतृत्व वाले केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दल ने गांव का घेरा डाला । आतंकवादियों के बचकर भाग निकलने के संभावित रास्तों पर पुलिस के जवानों को तैनात करने के बाद जब श्री गोकुल सिंह दक्षिण दिशा से गांव में घुसे तो उसी समय श्री सिंह और अन्य पुलिस कार्मिकों पर आतंकवादियों ने सामने की ओर से अचानक भारी गोलीबारी की । अचानक अंधाधुंध चलाई गई गोलियों के परिणामस्वरूप श्री गोकुल सिंह और अन्य पुलिस कार्मिकों को गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जिसमें श्री सिंह बुरी तरह घायल हो गए ।

घायल होने हुए भी श्री सिंह ने भागते हुए आतंकवादियों पर तबाब में गोलियां चलाई और वे आतंकवादियों को भागने मे रोकने के लिए स्वयं को निपुणतापूर्वक बेहतर पोजीशन में लाने का प्रयास कर रहे थे तो तभी पीछे की ओर से उन पर गोलियों की भारी बौछार हुई और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। अपने कार्मिकों का मार्गदर्शन करने के लिए किए गए उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप दो आतंकवादी मारे गए, जिनके पास से 4 मैगजीनों सहित दो ए० के०-47 राईफलें तथा बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री गोकुल सिंह, हैड कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29 सितम्बर, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 198-प्रेज/94—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक मरणोपरांत प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री यू० के० सिंघा, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
19वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

शोभाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 11 दिसम्बर, 1992 को इस आशय की विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई कि गांव सुल्ताशेरा में उग्रवादी छिपे हुए हैं। श्री यू० के० सिंघा, कांस्टेबल, सहित के० रि० पु० बल की 6 टुकड़ियां तत्काल गांव का घेरा डालने के लिए वहां गई और उन्होंने प्रत्येक घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। कुछ घरों की तलाशी लेने के बाद, कांस्टेबल सिंघा सहित पुलिस दल, पंजाब सशस्त्र पुलिस की तीसरी कमांडो के कांस्टेबल जसवीर सिंह के घर की ओर बढ़े। अन्य पुलिस कार्मिकों सहित श्री सिंघा ने घर के दो कमरों की बिना किसी विरोध के तलाशी ली। श्री सिंघा को, जिन्होंने पहले भी विद्रोह-विरोधी तलाशी अभियान के दौरान सतर्कता और सूझबूझ का परिचय दिया था, तीसरे कमरे में आतंकवादियों की उपस्थिति का संदेह हुआ और उन्होंने कमरे के एक ओर मोर्चा सम्भाला और पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल जसवीर सिंह ने कमरे मे प्रवेश किया। कमरे में छिपे ए० उग्रवादी ने अपनी ए०के०-47 राईफल से अचानक गोली चलाई जिससे श्री जसवीर सिंह गम्भीर रूप से घायल हो गए। इस बीच श्री सिंघा ने एक उग्रवादी को कुछ दूर छिपे देखा तथा शेष दो को गन्ने के खेतों में भागते हुए देखा कांस्टेबल सिंघा ने उसी समय अपनी राईफल से उग्रवादी पर गोलियां चलाई, परन्तु खूंखार उग्रवादी द्वारा श्री सिंघा पर ए०के०-47 राईफल से भारी गोलीबारी की गई जिसके परिणामस्वरूप कांस्टेबल सिंघा के चेहरे और छाती में गोलियां लगने से घाव हो गए। अपने रिसते हुए घावों के बावजूद, कांस्टेबल सिंघा ने आखिरी सांस तक गोलीबारी करके उग्रवादी को उलझाए रखा। उग्रवादी भी घायल हो गया था और बाद में मारा गया। मारा गया उग्रवादी, जसबीर सिंह उर्फ बिट्टू, के० सी० एफ० जफरवाल ग्रुप का एक स्वयंभूलैं०जनरल, के रूप में पहचाना गया जो कि 186 हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। मारे गए उग्रवादी से एक ए०के०-47 राईफल और तीन मैगजीनें बरामद हुई। अन्य दो उग्रवादी बचकर भागने में सफल हो गए।

इस मुठभेड़ में श्री यू० के० सिंघा, कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 दिसम्बर, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 अगस्त 1994

सं० 6/1/5/एफ० सी० एस० एण्ड पी०डी० 94—श्री नागमणि, सदस्य, राज्य सभा को 25 अगस्त, 1994 से खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण सम्बन्धी स्थायी समिति (1994-95) का सदस्य नामनिर्देशित किया गया है।

टी० आर० शर्मा,
उप सचिव

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 1994

संकल्प

सं० फा० 4(3) 93-हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के कार्यकाल की समाप्ति पर, भारत सरकार एतद्द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी

सलाहकार समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करती है :—

1. सदस्य

इस समिति के निम्नलिखित सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य होंगे :—

1. जल संसाधन तथा संसदीय कार्य मंत्री — अध्यक्ष

2. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। — सदस्य

3. रसायन और उर्वरक मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय तथा इलैक्ट्रानिक्स विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री — सदस्य

4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री — सदस्य

5. रक्षा मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। — सदस्य

6. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। — सदस्य

गैर-सरकारी सदस्य :

7. (क) संसद सदस्य

7. श्री बीरबल, सदस्य, लोक सभा। — सदस्य

8. श्रीमती गिरजा देवी, सदस्य, लोक सभा। — सदस्य

9. श्रीमती चन्द्रिका जैन, सदस्य, राज्य सभा। — सदस्य

10. श्री आर० के० मालवीय, सदस्य, राज्य सभा। — सदस्य

11. श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर, सदस्य, लोक सभा। (सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति) — सदस्य

12. श्री जी० स्वामीनाथन, सदस्य, राज्य सभा। (सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति) — सदस्य

(ख) अन्य गैर-सरकारी सदस्य

13. प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद, नई दिल्ली। (प्रतिनिधि—श्री महादेव सुब्रमणियन, 1177/1123 सातवां क्रास, गिरिनगर, फेज-II, बेंगलूर-560 085)। — सदस्य

14. श्री लल्लन प्रसाद व्यास, महासचिव, विश्व साहित्य संस्कृति संस्थान, सी-13, प्रैस एन्कलेव, नई दिल्ली। (अखिल भारतीय हिन्दी स्वयं-सेवी संस्था के प्रतिनिधित्व के रूप में) — सदस्य

15. डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद, हिन्दी विभाग, आन्ध्र विश्वविद्यालय, वालटेयर, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश-530 003। (पी-7, स्टाफ क्वार्टर्स, नार्थ कैम्पस, आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम-530 003) — सदस्य

16. कुमारी कमला कुमारी, भूतपूर्व सांसद, 35, शरतबाबू लेन, रांची (बिहार)। — सदस्य

17. आचार्य राधा गोविन्द थोङाम, लोकमंगल उद्बोधिनी समिति, इम्फाल 56/2, उरिपोक वाचस्पति लेकाई, इम्फाल-795001। (मणिपुर)। — सदस्य

18. पद्मश्री डा० लक्ष्मी नारायण दुबे, यू०जी०सी० प्रोफेसर इमेरिटस (हिन्दी) डाक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर-470003 (मध्य प्रदेश)। — सदस्य

19. श्री पी० माधवन पिल्लै, हिन्दी प्रोफेसर, प्रसिद्ध मलयालम-हिन्दी लेखक, चगनचेरी (केरल)। — सदस्य

20. श्री विश्वनाथ उपाध्याय, भूतपूर्व एम० एल० ए०, अध्यक्ष, असम आई० एन० टी० यू० सी० प्रसिद्ध हिन्दी सेवी, शिवसागर (असम)। — सदस्य

21. श्री विकास भाई सावंत, सदस्य
मु० पो० सावंतवाडी,
जिला—सिंधुदुर्ग,
(महाराष्ट्र) ।

अधिकारीगण :

22 सचिव, सदस्य
संसदीय कार्य मंत्रालय ।

23 सचिव, सदस्य
राजभाषा विभाग तथा
भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार ।

24. संयुक्त सचिव/निदेशक, सदस्य
राजभाषा विभाग ।

25. संयुक्त सचिव, सदस्य—सचिव
संसदीय कार्य मंत्रालय ।

26. उप सचिव (समिति), सदस्य
संसदीय कार्य मंत्रालय ।

27. उप सचिव (प्रशासन), सदस्य
संसदीय कार्य मंत्रालय ।

28. उप सचिव, (विधायी) सदस्य
संसदीय कार्य मंत्रालय ।

2. कार्यक्षेत्र

इस समिति का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय में सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के बारे में मंत्रालय को सलाह देना होगा ।

3. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए ही होगा, बशर्ते कि :—

(क) कोई भी सदस्य, जो संसद सदस्य है, संसद का सदस्य न रहने पर इस समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा ।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उन पदों पर हैं, जिनके कारण वे समिति के सदस्य हैं ।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किये गये सदस्य का कार्यकाल भी शेष अवधि के लिए होगा ।

4. सामान्य

समिति का प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठक अन्य स्थान पर भी कर सकती है ।

5. यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते

गैर सरकारी सदस्यों को समिति की, और उसकी उप-समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकार द्वारा निश्चित दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मंत्रिमंडल कार्य विभाग का वेतन तथा लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

देव राज तिवारी,
संयुक्त सचिव,

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अगस्त, 1994

संकल्प

सं० 12/4/94—डी० पी० आर०/ई० जी० जी० एस०/सी० आई० टी० डब्ल्यू०—दिनांक 1 मार्च, 1993 को पहली अधिसूचना सं० सी० एल० ई०/9/2/93 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार उक्त अधिसूचना में यह संशोधन करती है :

श्री पी० के० संकारिया सदस्य सचिव
विकास अधिकारी,
ल० वि० महा० नि०, उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

के स्थान पर

श्री बी० बी० शर्मा, सदस्य सचिव
सहायक विकास अधिकारी,
औद्योगिक विकास विभाग,
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

पढ़ें

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी सदस्यों को भेजी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

महेन्द्र सिंह,
उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 1994

संकल्प

सं० 6(4)/91-डी० पी० आर०/ई०जी० जी० एस० :— औद्योगिक गैस विकास नामिका के पुनर्गठन से सम्बन्धित भारत सरकार के तारीख 21 अप्रैल, 1993 के संकल्प सं० इंड० गैस/9(2)/93 में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन करती है :—

क्र० सं०

22. श्री एम० पी० सिंह, सदस्य
औद्योगिक सलाहकार,
रसायन तथा पैट्रो रसायन विभाग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

23. श्री बी० बी० शर्मा, सदस्य सचिव
सहायक विकास अधिकारी,
औद्योगिक विकास विभाग,
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

प्रोमिला भारद्वाज,
निदेशक

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 1994

संकल्प

सं० हिंदी समिति/91/38/1:—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 5 फरवरी, 1993 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, संसद सदस्य (लोकसभा) को श्री नाथू राम मिर्धा, संसद सदस्य (लोक सभा) के स्थान पर हिन्दी सलाहकार समिति में संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है ।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय के सम्बन्ध में अन्य शर्तें वही होंगी जो 5 फरवरी, 1993 के उपर्युक्त संकल्प में उल्लिखित हैं ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

मसीहुज्जमां
सचिव, रेलवे बोर्ड एवं
भारत सरकार के पदेन अपर सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 1994

संकल्प

सं० ई०-11016/24/93 :—रा० भा० नी०—श्रम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन विषयक इस मंत्रालय के दिनांक 10 दिसम्बर, 1993 के समसंख्यक संकल्प में "गैर-सरकारी सदस्य" शीर्षक के अन्तर्गत क्रमांक 17 और 19 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी :—

17. श्रीमती कमला सिन्हा, संसदीय कार्य मंत्रालय
संसद सदस्य, राज्य सभा द्वारा नामित

19. डा० श्रीमती चन्द्रकला पांडेय, संसदीय राजभाषा समिति
संसद सदस्य, राज्य सभा द्वारा नामित

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत के सभी मंत्रालयों तथा विभागों एवं मंत्रालय के सभी कार्यालयों जिनमें स्वायत्त तथा अर्द्धस्वायत्त निकाय भी शामिल हैं, को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

शशी जैन,
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 8th September 1994

No. 147(1)-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Andhra Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Gorre Mallaiah,
Reserve Sub-Inspector of Police,
Armed Reserve,
Karimnagar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 26-9-1992, information was received that armed Naxalites of PWG were taking shelter in Achampath, P. S. Veenavanka, District Karimnagar. Shri G. Mallaiah, Reserve Sub-Inspector immediately collected the police personnel and rushed towards the place of hiding. The police personnel were divided into different parties. As Shri Mallaiah alongwith others approached the house, the extremists opened fire on the police personnel with automatic weapons. Shri Mallaiah and others returned the fire in self defence. Due to this some of the extremists received bullet injuries, which proved fatal. Meanwhile the naxalites lobbed two hand grenades. While one grenade exploded just a few metres from Shri Mallaiah and party, the other fell close to them but fortunately did not explod. Even this did not deter the police party and they continued to engage the Naxalites. On this the naxalites sneaked out of the house while firing and took cover in the nearby bushes, boulders, maize fields. From there the naxalites continued firing on the police. The naxalites kept on changing their position while firing on the police personnel. Shri Mallaiah also changed his position and kept on engaging the naxalites. The exchange of fire continued for about 3½ *hours. Shri Mallaiah fired* 246 *rounds from* his AK-47 Rifles during the encounter.

During search, nine extremists were found dead. During search two AK-47 Rifles, one .303 Rifle, one 8 mm Rifle, three .12 bore DBBL guns, 9 Grenades and a large quantity of ammunition were recovered from the place of encounter. In the encounter two BSF Jawans were also killed.

In this encounter Shri Gorre Mallaiah, Reserve Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage an devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 26th September, 1992.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 148-Pres/94 :—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Bihar Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Mohit Singh, *(Posthumous)*
Constable,
Dist. Bhabhua (Bihar).

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 17/18th September, 1991, Shri A. Indwar, D.S.P. Kaimpoor got information that hardcore criminal, Mahender Chamar and his gang (alongwith kidnapped boy namely Arvind Kumar Tewari) wanted in case No. 88/91 dated 14-9-91 registered in Police Station Chainpur are camping in some house in village Mouja Naeebasti under Police Station, Durgawati, Distt. Bhabhua. On getting this information Shri Indwar organised a large police party of about 75 police personnel, devided it into many groups and cordoned of the village from all sides. Then, he knocked at the door of the house where the kidnappers were hiding and warned them to surrender to the police party. However, the kidnapppers instead of surrendering opened fire on the ponce party and injured one of the policeman, Shri Indwar also ordered his men to return the fire. The kidnappers started running towards the fields. While running they continued to fire upon the police party.

The Dy. S.P. alongwith Inspector Sheo Shankar Rai, SIs. Bachcha Singh and Raj Kumar chased the fleeing criminals. S.I. Pratap Shankar Sinha also joined them. After a chase of 5 to 7 Kms., the Police force led by the Dy. S.P. reached near Village Bahuara, where they stopped a bus to carry them towards Hazra Bridge, to follow the fleeing criminals. On reaching the bridge at about 10.30 A.M., the Dy. S.P. also sent words to Chand, Chainpur and Bhagnua P.Ss. for additional re-inforcements. After 20 minutes the Dy. S.P. saw the criminals approaching towards the bridge. The police force immediately took position and aimed at the approaching criminals, which forced them to change their way of retreat and started running in the south of Kaimoor Hill. By this time, Inspector Uma Nath Pandey, S.I. Ram Kirpal Sharma alongwith their force also reached the spot. Again, there was exchange of fire from both sides. Sub-Inspector Ram Kirpal Sharma, OIC, continued the chase the fleeing criminals and shot at a criminal who fell down. Finding themselves in the dragnet of the Police, the criminals disappeared in the paddy fields. The Police parties continued to move in firing position and found two dead bodies of the criminals. Moving ahead, S.I. Ram Kirpal Sharma alongwith his party came across firing from a bush of bamboos. The fire was returned by the Police. In this exchange of fire, the Police killed Mahendra Chamar, the leader of the gang but lost Constable Mohit Singh who was killed at the spot. Also Havildar Kedar Singh was injured. In the meantime S.Is. Ram Kirpal Sharma, Purushottam Singh, S.I. Murari Prasad alongwith their force were engaged in cross firing with other criminals. The Dy. S.P. also ordered his party to fire on these criminals. The firing from both sides lasted for half an hour after which no sound of firing was heard from the other side. When the Police searched the area, four more criminals were found dead.

In all, the police fired 25 rounds from the service revolvers, 455 rounds from the Rifles and nearly one thousand rounds were fired by the criminals. In this encounter, the Police liquidated 9 criminals while one criminals managed to escape. Constable Mohit Singh also made supreme sacrifice of his life and Hav. Kidar Singh and Constable Ram Singhasan Choudhary were injured. The Police party led by Dy. S.P. also succeded in getting Shri Arvind Tiwary released from the clutches of the kidnappers. Five .315 bore rules, two DBBL guns, one country made gun and other ammunition were seized from the scene of the crime.

In this encounter Shri Mohit Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 17th September, 1991.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 149-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Bihar Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Pramod Kumar Mishra, *(Posthumous)*
Sub-Inspector of Police,
Chatra Distt.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 12th October, 1992 at about 1500 hrs. Sub-Inspector P. K. Mishra, Officer-in-Charge, Kunda Police Station in Distt. Chatra was collecting information about naxalites in the Monda Badar (Haat) near the Police Station. He was accompanied by A.S.I. Raj Kishore Singh and both of them were in plain clothes and without arms.

At the same time, they came to know that some assailants have attacked on some persons in the southern end of the bazar. Shri Mishra, though in plain clothes and without arms rushed to the spot. He found one person (namely Naresh Singh) lying on the ground and the other hitting on his chest and cutting his neck. Another person namely, Sh. Lakhan Singh, was trying to get Naresh Singh, freed from the cruches of the assailant by attacking him with a stick. Another assailant, nearby shot at Shri Lakhan Singh, causing fatal injuries. One other assailant shot in the back of Naresh Singh lying on the ground, injuring him badly and then they started cutting the neck of Naresh Singh & Lakhan Singh. At this point of time, Shri Pramod Kumar Mishra, Sub-Inspector, who was empty handed jumped on one of the armed assailant, trying to cut the neck of a person, overpowered him and snatched his Bhujali. Another assailant standing nearby, shot at Shri Mishra and injured him seriously.

ASI Raj Kishore Singh, who was accompanying SI Mishra, rushed to Police Station for reinforcement and returned to the incident spot, returned the fire and chased the running extremists who hide themselves in the nearby dense forest.

On return, the police party recovered three dead bodies that of Shri Naresh Singh & Shri Lakhan Singh of village Manjhipara and of Shri P. K. Mishra, S.I.

Shri Mishra though unarmed, showed extra-ordinary couarge, devotion & dedication to duty by rushing to the incident spot and over powering armed assailant and sacrificed his precious life in the true traditions of the Police Force.

In this encounter Shri Pramod Kumar Mishra, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 12th October, 1992.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 150-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Haryana Police :—

Name and rank of officers

Shri Sanjay Kundu, IPS,
Asstt. Supdt. of Police,
Dabwali, Distt. Sirsa.

Shri Mohinder Singh,
Asstt. Sub-Inspector,
Kalanwali, Distt. Sirsa.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 21-2-93 at about 12.00 noon an information was received that two heavily armed terrorists are hiding in a mustard field of Surjit Singh @ Sita Singh r/o village Phullo. Immediately on receipt of this information, Shri Kundu, alongwith available force including Shri Mohinder Singh, ASI rushed to the spot, laid a cordon around the mustard field where the terrorists were hiding. The terrorists who were heavily armed with lots of ammunition, opened fire on the police party with two AK-47 assault rifles. The police party under Shri Kundu, including Shri Mohinder Singh returned the fire, but it was of no avail. Shri Kundu alongwith the raiding party entered the mustard field in a bullet proof tractor and went direct towards the place where the terrorists were hiding. The terrorists opened fire towards the tractor. Shri Kundu opened the window and projected his AK-47 rifle out, but sensing danger, the terrorists fired massive burst of AK-47 towards the window. A few splinters hit the right hand of Shri Kundu. One of the terrorist took lying position and fired from the clutch/brake gap under the driver's seat, as a result, one of the bullets hit the right hand of Shri Mohinder Singh. One of the burst from Shri Kundu hit the AK-47 rifle of terrorist Harcharan Singh on the bridge block, jamming his rifle. Further burst from Shri Kundu injured and silenced the terrorists. Shri Kundu and Shri Mohinder Singh who were injured were recovered from the site. On search of the area, two terrorists were found lying dead who were identified as Shyam Singh and Harcharan Singh from whom two AK-47 rifles, one 12 bore DBBL gun, four AK-47 magazines and large quantity of live cartridges were recovered.

In this encounter S/Shri Sanjay Kundu, IPS, Asstt. Supdt. of Police and Mohinder Singh, Asstt. Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 21st February, 1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 151-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Haryana Police :—

Name and rank of officers

Shri Muhammad Akil,
Asstt. Supdt. of Police,
Kurukshetra.

Shri Subhash Yadav,
Dy. Supdt. of Police,
Kurukshetra.

Shri Dale Singh, (*Posthumous*)
Constable,
Kurukshetra.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 15-3-93 Shri Muhammad Akil, ASP received a secret information that three dreaded terrorists Hardip Singh, Sajjan Singh and another were staying at 'Dera' of one Shri Mohinder Singh of village Pipli Majra under Jhansa P. S. Immediately Shri Akil rushed to Jhansa P. S. where Shri Subhash Yadav, Dy. SP was present and they chalked out a plan and rushed to raid the said 'Dera' but before the police could arrive the terrorists ran away into the nearby fields. The forces under Shri Akil, Shri Yadav and Inspector CIA Kurukshetra were briefed and deployed to gheroa the terrorists. While Shri Akil and Shri Yadav were searching the fields with the help of a dog squad, information was received that the terrorists were seen in the fields near village Mandi. Sensing that the terrorists may enter the villages Dharamgarh and Surajgarh. Shri Akil, ASP and Shri Yadav, DSP reached village Dharamgarh in a bullet proof gypsy, while the force under Inspector, CIA Kurukshetra including Constable Dale Singh kept chasing the terrorists in the fields. Constable Dale Singh without caring for his life went ahead and opened fire on the terrorists, injuring one of them, but as he was moving ahead to

at the injured terrorists, the other terroris opened fire with his assault rifle on Constable Dale Singh, killing h m on the spot. On seeing the gypsy of ASP, terrorists opened fire on the gypsy, but Shri Akil without caring for his life crawled abroad the bullet proof gypsy and opened fire at the terrorists, while Shri Yadav without caring for his life, came down from the gypsy and fired at the terrorists killing one of them on the spot. The remaining two terrorists continued firing and ran towards village Surajgarh. Shri Akil and Shri Yadav took position along a wall and started firing, but seeing no effect, the two officers alongwith others climbed up the roof of a house. Shri Akil after directing the police party, came down, boarded his gypsy and gheraoed the terrorists from front side, while Shri Yadav opened fire on the terrorists from roof top k lling the second terrorist. Shri Akil entered the field in his gypsy in search of the third terrorist. The injured terrorist came out from a tubewell kotha and opened fire on the Police party headed by Shri Akil. Shri Akil without caring for his life fired on the terrorist killing him on the spot. The three terrorists were identified as Hardip Singh @ Kala-Haryanvi, Sajjam Singh both Lt. Generals of B.S.T.F. and Gurmit Singh. Two AK-56 rifle, one AK-47 rifle, one .38 bore revolver, huge quantity of ammunition, one bomb, one hand-grenade and cynide capsule were recovered from the dead.

In this encounter S/Shri Muhammad Akil, Asstt. Supdt. of Police, Subhash Yadav, Deputy Supdt. of Police and Dale Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th March, 1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 152-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Jammu & Kashmir Police :—

Name & Rank of the officer

Shri Chain Singh, (*Posthumous*)
Constable,
Distt. Jammu.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 25-11-1992 Shri Ct. Chain Singh was on duty at J&K Bank Subzi Mandi, Narwal when some armed militants reached there in Maruti Van with the intention of looting the bank. SG Constable Chain Singh who was armed with .303 rifle rushed towards one of the militants having AK-47 rifle and caught hold of the magazines of the rifle. He grappled with the militants as a result of which the loaded magazine of AK-47 rifle fell down and the militant started running away from the spot. In the meantime another militant fired with his mouser pistol at SG Constable Chain Singh, killing him on the spot. In this incident Shri Natha Singh, Bank Guard was also injured seriously. As a result of bravery and presence of mind exhibited by SG Constable Chain Singh, the militants fled and Rs. 4.92 lacs available in the bank were saved from being looted by the militants.

In this encounter Shri Chain Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 25th November, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 153-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Galantry to the under-mentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of officers

Shri Ganga Singh,
Head Constable,
30th Bn, SAF, Jagdalpur.

Shri Eladi Potti,
Constable,
30th Bn, SAF, Jagdalpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 20th May 1991, a police party of 9 members besides the driver and the cleaner of the vehicle were patrolling in the Bade-donger sector under Shri Elphor Toppo, Station Officer. While patrolling, the police party reached the polling centre Banchapai. Where the polling party was held up alongwith ballot boxes as their vehicle had not turned up. The polling party consisting of a members was also given lift alognwith the ballot boxes by the police party and they started for Bade-donger As soon as the vehicle carrying the police and the Polling parties reached about 4 KM away from the village, a roadmine planted by the Naxalities exploded and the vehicle torned into pieces causing death of 8 persons on the spot and injuring the others. When the naxalities open heavy fire on the injured person to kill them also. In this adverse situation, Head Constable Ganga Singh and Constable Eladi Potti exhibited rare courage, dedication and devotion to duty by reacting to the situation in a very gallant way. Both of them took positions and returned the fire. By this return fire, the naxalities taken aback as they had not anticipated this and the counterfire also silenced them for a while. Taking advantage of the situation, Head Constable Ganga Singh and Constable Eladi Potti removed their injured colleagues to safer place. Under a heavy fire from the naxalities, both these brave personnel not only helped the injured persons in moving them to safer place but also collected the weapons of the police personnel killed in the explosion to that naxalities may not lay hand on them. Both of them kept engaged the naxalities for about two hours foiling all their attempts. Seeing the determined resistence from these policemen, the naxalities ultimately withdrew from the spot and ran towards the forests. Then Shri Ganga Singh and Shri Eladi continued to remain on watch and helped the injured in every possible manner. They also persuaded the person who were not seriously injured to go to Bade-donger to inform the post and also to bring relief. Till relief could reach there two brave police personnel stayed and helped the injured and also guaredd all that was remaining, displaying extreme sense of devotion to duty.

In this encounter S/Shri Ganga Singh, Head Constable and Eladi Potti, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 20th May, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 154-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Maharashtra Police :—

Name and rank of officers

Shri A. K. Erande, (*Posthumous*)
Sub-Inspector of Police,
Greater Bombay Police Force,

Shri G. A. Gawade,
Head Constable,
Greater Bombay Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 11-5-92, (Late) Shri Ashok Kisan Ernade, Sub-Inspector of Police and Shri Govind Atmaram Gawade, Head Constable were on Mayor's Meeting Bandobast Duty at Village Road, Bhandup (W), Bombay, when Shri Mohan Jadhav, Sub-Inspector, Traffic Control Branch informed Shri Erande of a firing incident at Usha Nagar and that the assailants were fleeing in a Fiat Motor Car No. GJ-15A-9385 towards village Road, Bhandup (W). The assailants had killed one Hirasing at Usha Nagar. At this Shri Erande alongwith Shri Gawade Swung into action and succeeded in intercepting the said motor car and compelled the driver to stop the vehicle. The assailants/terrorists opened fire on Shri Erande & Shri Gawade injuring them seriously in neck and stomach respectively. Though injured yet both of them rushed towards the car and Shri Erande snatched an AK-56 rifle from one of the terrorists. He was able helped by Shri Gawade, who jumped upon the terrorist and kicked him effectively. Shri Erande fired six rounds from his service revolver and injured one of the terrorists who later on succumed to his injuries. He was identified as Jagtar Singh Amarjeetsingh Sandhu. Shri Erande, who had received serious bullet injury in his neck, then collapsed and succumbed to his injuries in a hospital. Shri Gawade who had also sustained bullet injury in his stomach, rushed to the local hospital and could be saved only after a major operation at Hinduja Hospital, Bombay. Following arms & ammunition were also recovered from the site.

(i) One AK-56 rifle with a loader magazine containing 23 rounds;

(ii) another loaded magazine of AK-56 rifle containing 29 rounds;

(iii) 32 rounds kept in a bag (84 live rounds);

(iv) one .38 revolver (Webbly) with 6 empty rounds;

(v) 12 live rounds of .38 revolver.

In this encounter S/Shri A. K. Erande, Sub-Inspector of Police and G. A. Gawade, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11th May, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 155-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and rank of officer

Shri B. S. Sonaje, (*Posthumous*)
Naik, P. S. Vakola,
Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 4-3-92 at about 10.00 hours, Addl. Commissioner of Police, North Region, Bombay received information that Nanja and his associates would be visiting Amar Nagar hutments to extort money from a businessman. The money was to be delivered near Amar Palace Hotel. It was learnt that the businessman was under pressure and would not co-operate with the police. Immediately staff was mobilised and despatched to Amar Nagar under the supervision of one ACP (including constable B. S. Sonaje). The Police parties covered all possible escape routes. At about 1620 hours, Inspector V. P. Kadam and others saw terrorist Sukha coming to Amar Palace Hotel. SI George and others started chasing him in a car. Sukha took a left turn and entered Khindipada hutments. SI George overtook him from his left side and SI Laxman Dube jumped out of the car and challenged Sukha to surrender. In the meantime, two other police personnel surrounded him. Sukha ignored the warning and fired a burst from his 9 mm pistol, which hit SI Dube and SI Bhanupratap Barge on their chest but they escaped unhurt as they were wearing bullet-proof vests. Both the Sub-Inspectors immediately fired back and brought him down. While this exchange of fire was going on, another terrorist came out from the adjoining hutments and fired indiscriminately from his 9 mm pistol and whiped out a Chinese made bomb and hurled it towards Inspector Kadam and SI George. Bullets fired by the terrorist hit Inspector Kadam and SI George on their chests but could not penetrate as they were also wearing bullet-proof vests. Inspite of this, Inspector Kadam and SI George retaliated and fired back at the terrorist and brought him down. who was later identified as Nanja.

On seeing their leader gunned own, three other terrorists who were hiding in the nearby hutments, opened fire at the police personnel with AK-56 rifles. The police personnel returned the fire. The terrorists then withdrew and two of them took shelter in a hut on top of the hillock. The third escaped in other direction, who was chased by the police personnel. Constable Sonaje alongwith other members of the party, moving towards the hut inspite of heavy fire from AK-56 rifles and medium machine-gun, could locate a way of getting into the hut where the terrorists were hiding. He moved towards the hut and also gave covering fire to the other police personnel, who were following him. Suddenly, both the terrorists came out firing indiscriminately with their AK-56 rifles in an attempt to break the police codron. However, Constable Sonaje got closer to them and fired at them with his pistol. One of the bullets fired by him hit one terrorist in his leg but in the retaliatory fire, Constable Sonaje was grievously wounded and collapsed. He later died on the way to hospital. The remaining two terrorists were killed by other police personnel. In the encounter in all five terrorists were killed. During search two AK-56 rifles, one machine-gun, two chinese made bombs, two loaded magazines, one cartridge belt and hundreds of lives rounds were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri B. S. Sonaje, Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 4th March 1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 156-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Maharashtra Police :—

Name and rank of officers

Shri R. L. Dhanawade,
Sub-Inspector of Police,
Greater Bombay Police Force.

Shri D. M. Agrawal,
Sub-Inspector of Police,
Greater Bombay Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 20-12-91 at 4.35 A. M., information was received that notorious gangster and absconder—Prakash Misal @ Shendi was proceeding towards Mahim from Santacruz in a white Fiat car. On this S/Shri R. L. Dhanawade and D. M. Agrawal,

Sub-Inspectors immediately left with the police party, They parked their vehicle near Mahim Church. One Constable was posted at the junction to alert the police party and to stop the suspected car. At about 5.30 A. M., the Constable, after seeing the white Fiat car signalled the police party. He then signalled the car to stop but the car speedily proceeded towards Shiv Sena Bhawan. Shri Dhanawade chased it. On seeing the police, the criminal changed his direction and went signalled the car to stop but the car speedily proceeded to the police party managed to reach near the criminal's car and warned him to surrender. The criminal fired two rounds from his revolver which hit the left side door of the police vehicle where SI Agrawal was sitting but he luckly escaped unhurt. In the meanwhile, another criminal, who was sitting at the rear seat threw some hard object towards the police, which damaged the rear glass of the vehicle. On realising the danger, S/Shri Dhanawade and Agrawal took out their service revolvers. When the criminal's car reached near Prabhadevi Mandir, the associate of the criminals fired one more round at the police. Shri Dhanawade fired one round and SI Agrawal fired two rounds from their service revolvers. This shattered rear glass of the car but the criminal kept on moving. When the criminal's car reached near Tata Press, he took a left turn in a narrow by-lane. At this time, the police tried to overtake the car but he rammed his front right portion to the left side of the police vehicle. Due to the dash, the criminal's car went partly on the footpath and stopped. The criminals came out of the car and started indiscriminate firing on the police party. S/Shri Dhanawade and Agrawal immediately got down from the vehicle and took cover behind a car about 10-15 feet away. S/Shri Dhanawade and Agrawal fired towards the criminals and injured both of them. But both the criminals again entered their car and tried to escape. They could not do so and collapsed in the car due to bullet injuries. Seeing no movement in the car, the police party cautiously went near it and moved them to K. E. M. Hospital where both were declared dead before admission.

In this encounter S/Shri R. L. Dhanawade, Sub-Inspector of Police and D. M. Agrawal, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with hem the special allowance admissible under-rule 5, with effeffct from 20th December, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 157-Pres/94.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and rank of the officer

Shri Rohit Choudhary,
Senior Supdt. of Police,
Batala.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 28-6-1993, Shri Rohit Choudhary, SSP, Batala received information that listed hard-core extremists Shamsher Singh alias Shera and Amarjit Singh alias Billa with one associate were present in the tube-well of one Shri Bakshish Singh P.S. Sri Hargobindpur. Shri Choudhary alongwith personal security staff immediately rushed to the suspected hide-out. He also called for re-inforcements from the nearby Police Stations on wireless. On reaching there, Shri Choudhary briefed the force and cordoned the Village. Shri Choudhary alongwith Shri Dilwar Singh, and one Deputy Supdt. of Police of CRPF, advanced towards the tube-well. As they reached near the tubewell, the extremists started heavy volume of fire on the party of Shri Choudhary. The police personnel immediately took positions and retaliated the fire. Shri Choudhary took LMG from his gunman and responded with heavy volume of fire on the extremists. The Deputy Supdt. of Police, CRPF was injured by the firing of extremists. On seeing this Shri Choudhary in a daring manner, without caring for his personal safety, advanced towards the injured Deputy Supdt. of Police and tactfully managed to reach near him, inspite of heavy firing by the extremists. Under the covering fire from police personnel, Shri Choudhary managed to bring out the injured officer to a safer place and thus saved his life.

Thereaftear, Shri Choudhary again joined his party and fired at the hiden extremists in a very effective manner. The extremists desparately tried to break the police cordon but their efforts were foiled. After sometime, the extremists again tried to break the police cordon and stormed in different directiones by opening heavy volume of fire. Shri Choudhary chased one extremist, who was trying to escape in one direction and was firing with a GPMG. The extremists fired at Shri Choudhary to make him target of his bullets but he narrowly escaped. Then Shri Choudhary fired on the extermist with his LMG and killed him, who was identified as Shamsher Singh alias Shera (a listed hard-core extremist and self-styled Lt. Genl. of KLF).

Shri Dilwar Singh chased another extremist, who tried to kill him with heavy firing from his AK-47 Rifle but the officer narrowly escaped. Shri Dilwar Singh did not lose his nerves and without caring for his personal safety, kept on chasing the extremist and ultimately succeeded in killing the extremists, who was later identified as Amarjit Singh alias Billa (a listed hard-core extremist and self-styled Dy. Chief of KLF).

In the meantime, the third extremist made a vain attempt to escape by firing at the police parties. SHO P. S. Sadar Batala and Sub-Inspector of P. S. Ghuman chased the fleeing extremist in a bullet-proof tractor and killed the extremist. This extremist could not be identified. During search one GPMG, 2 AK-47 Rifles with 4 magazines and one service revolver were recovered from the dead extremists.

In this encounter Shri Rohit Choudhary, Senior Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 28th June 1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 158-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and rank of the officer

Shri Jasminder Singh, (*Posthumous*)
Sub-Inspector of Police.
SHO P.S. Nehinawala,
Bathinda.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 23-4-1993,, information was received that extremists killed one Special Police Officer and one Home Guard, who were on Bank duty at Village Kotha Guru Ka, P. S. Dyalpura. On receipt of this information various police parties from adjoining police stations/Headquarters rushed towards village Kotha Guru Ka and started search operations.

In the meanwhile message was received that near village Poohla some extremists tried to blow up the car of Deputy Commissioner, Bathinda with the help of remote control Bomb, while he was going towards village Kotha Guru Ka to visit the place of occurrence. After this incident, all the police parties were fanned out in different directions for search of the extremists.

At about 3-45 PM Shri Amrik Singh, Deputy Supdt. of Police, Sub-Division Bathinda had an encounter with the extre-

mists near village Dhilwan, he informed about this to other police parties. Extremists after hurling 3 hand-grenades on the party of Shri Amrik Singh managed to escape.

On receipt of this message, SI Jasminder Singh, SHO P. S. Nehianwala and his police party reached near village Dhilwan. They saw the fleeing extremists. They chased and challenged them to surrender. On this the extremists fired at Sub-Inspector Jasminder Singh and party. The police personnel took defensive positions and engaged the extremists. Sub-Inspector Jasminder inspite of heavy firing managed to reach near the extremists. In a bid to capture the extremists, he pounced upon them but unfortunately, one bullet hit him in the chest and he was seriously injured and later succumbed to his injuries.

Shri Amrik Singh kept on chasing the extremists, when he reached the spot the extremists after snatching a tractor fled towards village Gidder. Shi Amrik Singh and party kept on chasing the extremists while the police party was approaching the lane where the extemists had entered, a hand-grenade was hurled on the police party by the extremists but they luckily escaped unhurt. Shri Amrik Singh fired on the extremists. The extremists again snatched a tractor and rushed towards village Nathpura. Inspite of constant fire and bomb attacks, Shri Amrik Singh and party without caring for their personal safety, kept on chasing the extremists and ultimately they were able to close on the extremists. In the meanwhile other police parties joined the chase and the extremists took position in the fields. The area was cordoned off and a fierce encounter took place. Heavy exchange of fire continued for half and hour. Thereafter firing from the extremists side stopped. During search, two bullet riddled dead bodies of the extremists were recovered. One of the dead extremists was later identified as Pargat Singh, who was listed hardcore extremist and self styled Lt. Genl. of KLF. However, the other extremist could not be identified. During search 1 AK-47 Rifle, One .315 bore Rifle and large number of cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Jasminder Singh, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 23th April, 1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 159-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officers of the Punjab Police :—

Name and rank of officers

Shri Jaspal Singh,
Sub-Inspector of Police,
SHO, P.S. Sirhind.

Shri Bir Atma Ram,
Asstt. Sub-Inspector of Police,
P.S. Sirhind.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 1-7-1991 one Shri Pawan Kumar Bansal, an Industrialist from Gobindgarh was kidnapped by 3 terrorists. The terrorists demanded huge amount as ransom for his release from his parents. Senior Supdt. of Police, Patiala received specific information that Shri Pawan Kumar Bansal was kept in an Orchard in Village Allian opposite Village Bahadargarh, P.S. Bassi Pathana.

On 2-7-1991, the force was mobilised and police parties were formed under the overall command and supervision of SSP, Patiala and a seige was laid around the Orchard by the Security forces. One of the parties was led by SI Jaspal Singh and ASI Bir Atma Ram alongwith other policemen, who were ordered to enter the place where the terrorists had kept the captive. The action where the about 6.00 P.M. and the terrorists saw the police approaching their hide-out, they started firing with automatic weapons. The police personnel without caring for their personal safety advanced further while firing at the terrorists in the face of bullets fired by the terrorists. In the return fire, one of the terrorists, who was seriously injured, ran for few yards and fell down, but he continued firing from his weapon on the police personnel. The Police party led by SI Jaspal Singh and ASI Bir Atma Ram, advanced further and surrounded the terrorists from a very close distance, inspite of heavy fire from the terrorists. They ultimately succeeded in killing both the terrorists, who were later identified as Sukhdev Singh alias Sukha and Kultar Singh. During search one AK-47 Rifle, one .38 bore revolver and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter. However, the third terrorist managed to escape under the cover of Farmers/Labourers working in the adjoining fields. Thus with the great efforts of S/Shri Jaspal Singh, Bir Atma Ram and others Shri Pawan Kumar Bansal was got released from the clutches of terrorists.

In this encounter S/Shri Jaspal Singh, Sub-Inspector of Police and Bir Atma Ram, Asstt. Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 2nd July, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 160-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Punab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Dharam Singh,
Inspector of Police,
SHO P. S. Dharampura.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On receipt of information about the activities of extremists, a police party headed by Inspector Dharam Singh made a search of villages Gill Kalan, Karrarwala and Jethuke. After search at about 11.45 AM party was going towards village Jeond by road, when the party reached in the jurisdiction of village Jeond, Inspector Dharam Singh noticed two men riding on a scooter in a suspicious manner. He signalled them to stop, but the pillion rider started firing on the police party with his AK-47 rifle and went towards the Dhani of one Ganda Singh on the scooter while firing on Police party. The police party chased them and also returned the fire in self defence. The suspected persons left their scooter near Dhani Ganda Singh and started running towards the fields. Inspector Dharam Singh again challenged them to surrender but the extremists kept on running while firing on the police personnel. Shri Dharam Singh and party gave them a hot chase under constant firing by the extremists without caring for their personal safety. This compelled the extremists to take shelter behind the Pacca Khal. Then the extremists started firing on the police personnel. In the meantime the police personnel took defensive positions and returned the fire in self defence. Under this heavy exchange of fire, Shri Dharam Singh very tactically cordoned the area and challenged the extremists to surrender and gave directions to tighten the cordon. He himself crawled towards the extremists, under constant fire and ultimately reached near the extremists. He then resorted aimed firing on the extremists and one of the extremists was

shot dead by him. After waiting for some-time, the area was searched, a bullet ridden dead body of the extremists was found, who was later identified as Ranjit Singh a listed hard-core extremist of KCF (Panjwar). During searhc one AK-47 rifle, 2 Magazines, 31 live cartridges of AK-47, 30 empties of AK-47 and one Scooter Bajaj Chetak were recovered from the place of encounter. However, the other extremist managed to escape.

In this encounter Shri Dharam Singh, Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 3rd June, 1992.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 161-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Mohkam Singh,
Supdt. of Police, Detective,
Bathinda.

Shri Mukand Singh,
Inspector of Police, P. S. Maur,
Bathinda.

Shri Iqbal Singh,
Constable, Bathinda.

(Posthumous)

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 21-9-92, Shri Mohkam Singh, SP (Detective), Bathinda on reliable information about the presence of dreaded extremists in the area of Maur, organised a thorough search of the area to apprehend the extremists. About 10 AM when Shri Mohkam Singh alongwith a large police party including Inspector Mukand Singh and Constable Iqbal Singh reached near the cotton fields of one Dhanna Singh Nambardar, the hiding extremists opened fire on the police party. Under the directions of Shri Mohkam Singh, the police party, took position and returned the fire. The extremists hid themselves behind a natural trench in the cotton field and continued firing on the police personnel. Shri Mohkam Singh, SP, then directed his men to advance by crawling the break the trenches of the exrtemists. Shri Mohkam Singh. SP was in the fore-front and was closely followed by constable Iqbal Singh and under the volley of fire advanced towards the trench crawling. Constable Iqbal Singh sustained serious bullet injuries in the process and succumbed to his injuries on the spot. Shri Mohkam Singh, SP had a narrow escape. However, he did not loose heart, continued crawling and reached near the trench. Inspector Mukand Singh had pounced upon one of the etremists at a grave risk of his life and the quick and aimed firing by Shri Mohkam Singh. SP killed the extremist at the spot and also saved the life of Inspector Mukand Singh, who might had been the victim of the extremists. The killed terrorist identified as Kulvinder Singh Kubey a notorious extremist of the district. As a pair of Jutti (Shor) and Chadra (dhoti) was found near the encounter, Shri Mohkam Singh pressed the sniffer dogs in service to find out the presence of another extremists and followed the sniffer dogs in the bullet proof gypsy. At this, hiding extremists again fired on police party. Shri Mohkam Singh SP, fired on the extremist killing him on the spot who was later on identified as Dr. Darshan Singh. In this encounter constable Iqbal Singh made a supreme sacrifice fighting bravely with extremists and S/Shri Mohkam Singh, SP and Mukand Singh, Inspector, showed exemptry courage, presence of mind in overcoming the extremists and killing them, in their hidings and capturing large number of arms and ammunition.

In this encounter S/Shri Mohkam Singh, Supdt., of Police, Mukand Singh, Inspector of Police and Iqbal Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 21st September, 1992.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 162-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Inderjit Singh,
Constable,
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 4th October, 1991, Shri Paramdeep Singh, Dy. S.P., Bhikhiwind received information about the presence of some extremists including hardcore listed extremist Karaj Singh Samra at the grave of Baba Rode Shah near Village Chung, PS Bhikhiwind. Shri Paramdeep Singh immediately contacted SHO. Bhikhiwind and rushed to the spot with force and surrounded the area of village Chung. The extremists opened fire on the police party. The police party returned the fire in self defence. Due to the effective firing by police party, the extremists ra ntowards a farm house of one Sardool Singh and entered therein. They were chased and the farm house was surrounded by the Police. Heavy firing on the etremist hidden in the farm house was ineffective due to the cover available to them. Reinforcement was called from PS Khem Karan and from 70 Bn. CRPF. As the sun had set in, a tight cordon was laid around the farm house so that the extremists may not be able to flee taking advantage of the dark.

On 5-10-91 at about 6 a.m., Shri Paramdeep Singh and his party advanced towards the farmhouse in a B.P. Tractor from the northern side while Shri Gurdial Singh advanced alongwith his party in another BP Tractor from western side. There was a heavy exchange of fire. However, S/Sh. Paramdeep Singh and Gurdial Singh succeeded in locating the position of the etremists and reached near to their positions, fired brusts from their AK-47 rifles and killed two extremists. As the firing from extremists side was still continuing and the firing from BP Tractors was no more useful, Constable Inderieet Singh of Punjab Police and Head Constable Ran Singh of CRPF were sent on the roof of the farmhouse. They threw grenade through the hole and neutralized two more extremists. The two of the killed extremists were later on identified as Karal Singh Samra r/o Village Samra and Amarjit Singh r/o Village Dhun, hardcore listed extremists. In addition to this following farms and ammunition were also recovered from there :

(i) GPMG	1
(ii) Drun Magazine of GPMG	2
(iii) AK-47 Rifle	1
(iv) AK-74 Rifle	1
(v) DBBL Gun	2
(vi) Walkie Talkie Set	1
(vii) Carts of AK-47	185

In this encounter Shri Inderpit Singh, Constable, displayed conspicuous galantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i), of the rules governing the award of Police Medal and consequently

carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 5th October, 1991.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 163-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Rupinder Singh, (Posthumous)
Deputy Supdt. of Police,
Batala.

Shri Kashmir Singh (Posthumous)
Asstt. Sub-Inspector of Police,
Batala.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 27-1-92, after receipt of specific information about the presence of hardcore terrorist and self styled Deputy Chief of Khalistan Commando Force (Wassan Singh Zaffarwal Group), Sukhwinder Singh and associates in village Karnama, P.S. Qadian, Shri Rupinder Singh, Dy. S.P., immediately informed Shri J. P. Singh, SP/Ops, Batala and organised police party for search and combing operation to nab the terrorists. After cordoning the village, Dy. S.P. Rupinder Singh started house to house search and while going to search the roof of one Charanjit Singh's house, the terrorists hiding in the neighbour's house started heavy firing on him. Shri Rupinder Singh, Dy. S.P. received very serious bullet injuries. Though greviously injured, he did not loose heart and fired back on the terrorists with AK-47 rifle and successfully injured one of the three terrorists. The terrorists ran towards the nearby fields, firing indiscriminately and using rockets on the police party. The fleeing terrorists were gallantly chased by ASI Kashmir Singh and ASI Ajit Singh, irrespective of the fact that both of the them were injured. The accurate firing by Shri Kashmir Singh, ASI, resulted in killing the injured terrorist, who was later on identified as Sukhwinder Singh a listed hardcore terrorist wanted in as many as hundred killings. From the killed terrorist one GPM gun with drum magazine containing 25 live carts, one rocket launchers, one rocket, three rocket charges etc. were recovered. In the above operation 7 police personnel including Shri Rupinder Singh, Dy. S.P. and Shri Kashmir Singh, ASI made supreme sacrifice. All others have been duly compensated by the State Government.

In this encounter S/Shri Rupinder Singh, Deputy Supdt. of Police and Kashmir Singh, Asstt. Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 27th January, 1992.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 164-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police:—

Name and Rank of the officer

Shri Prem Dass,
Sub-Inspector of Police,
SHO, PS City Gurdaspur,

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 7-5-1993, Sub Inspector Prem Dass, SHO, P.S. City Gurdaspur alongwith police party laid a naka near bridge on the drain on Kahnuwan Road, Bye-Pass Gurdaspur. At about 10-30 P.M., he observed one Maruti Car coming at high speed. He signalled with search light to stop the car but the occupants of the car fired on the naka-party. One bullet passed very close to Sub-Inspector Prem Dass and hit the bonnet of Gypsy. Sub-Inspector Prem Dass and other police personnel, immediately took positions and returned the fire in self defence. In the meantime, two person came out of the car and while firing, took shelter in a nearby tubewell. Sub-Inspector Prem Dass immediately informed the Police Control Room and P.S. City Gurdaspur about the incident. He alongwith other persons chased the terrorists and encircled the tubewell.

In the meantime SSP, Gurdaspur, Dy. S.P., 34 Bn., CRPF and Dy. S.P., Commando alongwith their staff reached the spot. After assessing the position, SSP, Gurdaspur, ordered the police parties to cordon the area from all sides. After the complete cordoning, SSP Gurdaspur challenged the terrorists to surrender but the terrorists started indiscriminate firing on the police parties. The exchange of firing continued from both sides for about three hours but the police parties could not succeed in capturing or killing the terrorists. Then SSP, Gurdaspur decided to send an advance party under the command of Sub-Inspector Prem Dass near the tubewell. When Sub-Inspector Prem Dass alongwith other police personnel reached near the tubewell, the terrorists fired a volley of shots on this party. Sub-Inspector Prem Dass and party immediately took position and returned the fire in self defence. As a result of heavy firing by the police party, one of the terrorists came out of the tubewell and started running towards an orchard while firing on the police personnel. The party of Dy. S.P. Commando had already cordoned the area form that side.

Intermittent firing continued between Sub-Inspector Prem Dass party and terrorists for about 20 minutes. Thereafter Sub-Inspector Prem Dass alongwith one constable decided to dordon the tubewell from the back-side, whereas the remaining praty was directed to give covering fire. When Sub-Inspector Prem Dass reached near the tubewell, the terrorist fired from inside with Assautl Rifle. One bullet passed near the head of Sub-Inspector Prem Dass, he escaped unhurt. They took keenling position and fired the terrorist with their SLRs, one bullet hit the terrorist and he fell down on the ground. The other terrorist was later killed in an encounter with another police party. The dead terrorists were later identified as Joginder Singh alias Harbans Singh (Chief of Babbar Khalsa International Organisation, Delhi Unit) and Maqbool Ahmed of District Rampur, Uttar Pradesh. During search two AK-47 Assault Rifles, 6 Magazines of AK-47, about 200l live/empty cartridges of AK-47 and one Maruti car was recovered from the police of encounter.

In this encounter Shri Prem Dass, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 7th May 1993.

G. B. PRADHAN.
Director

No. 165-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police:—

Name and Rank of the officer

Shri Dilawar Singh,

Deputy Supdt. of Police,
Sri Hargobindpur,

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 28-6-1993, Shri Rohit Choudhary, SSP, Batala received information that listed hard-core extremists Shamsher Singh alias Shera and Amarjit Singh alias Billa with one associate were present in the tube-well of one Shri Bakshish Singh P. S. Sri Hargobindpur. Shri Choudhary alongwith personal security staff immediately rushed to the suspected hide-out He also called for re-inforcements from the nearby Police Stations on wireless. On reaching there, Shri Choudhary briefed the force and cordoned the village. Shri Choudhary alongwith Shri Dilawar Singh, and one Deputy Supdt. of Police of CRPF, advanced towards the tube-well. As they reached near the tubewell, the extremists started heavy volume of fire on the party of Shri Choudhary. The police personnel immediately took positions and retaliated the fire. Shri Choudhary took LMG from his gunman and responded with heavy volume of fire on the extremists. The Deputy Supdt. of Police, CRPF was injured by the firing of extremists. On Seeing this, Shri Choudhary in a daring manner, without caring for his personal safety, advanced towards the injured Deputy Supdt. of Police and tactfully managed to reach near him, inspite of heavy firing by the extremists. Under the covering fire from police personnel, Shri Choudhary managed to bring out the injured officer to a safer place and thus saved his life.

Thereafter, Shri Choudhary again joined his party and fired at the hiden extremists in a very effective manner. The extremists desparately tried to break the police cordon but their efforts were foiled. After some time, the extremists again tried to break the police cordon and stormed in different directions by opening heavy volume of fire. Shri Choudhary chased one extremist, who was trying to escape in one direction and was firing with a GPMG. The extremist fired at Shri Choudhary to make him target of his bullets but he narrowly escaped. Then Shri Choudhary fired on the extremist with his LMG and killed him, who was identified as Shamsher Singh alias Shera (a listed hard-core extremist and self-styled Lt. Genl. of KLF).

Shri Dilawar Singh chased another extremist, who tried to kill him with heavy firing from his AK-47 Rifle but the officer narrowly escaped. Shri Dilawar Singh did not lose his nerves and without caring for his personal safety, kept on chasing the extremist and ultimately succeeded in Killing the extremist, who was later identified as Amarjit Singh alias Billa (a listed hard-core extremist and self styled Dy. Chief of KLF).

In the meantime, the third extremist made a vain attempt to escape by firing at the police parties. SHO P. S. Sadar Batala and Sub-Inspector of P.S. Ghuman chased the fleeing extremist in a bullet-proof tractor and killed the extremist. This extremist could not be identified. During search one GPMG, 2 AK-47 Rifles with 4 Magazines and one service revolver were recovered from the dead extremists.

In this encounter Shri Dilawar Singh, Deputy Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for galantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 28th June 1993.

G. B. PRADHAN.
Director

No. 166-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police:—

Name and rank of the officer

Shri Baldev Singh Sekhon,
Dy. Supdt. of Police,
Ferozepur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Shri Baldev Singh, Dy. S.P., Ferozepur, received information on 23-5-93 that some terrorists are hiding in village Jhok Hari Har, PS Sadar, Ferozepur. He immediately chalked out a plan in consultation with SHOs Sadar Ferozepur and of Mamdot and directed them to, keep force stand by for rushing to a place to be indicated later on. On receipt of final confirmation at about 1 A.M. on 24-5-93, the police parties despatched to a non-functioning factory in the area. The police party divided into four parties and deployed on all sides of the factory under the charge of S.I. Darshan Singh (on the eastern side), S.I. Major Singh (on western side) Inspector Avtar Singh (on the southern side) and Dy. S.P. Baldev Singh (on the northern side) of the factory. After deploying the force, Shri Baldev Singh took position on the roof of a tubewell near the main gate alongwith one constable armed with ALR and LMG respectively. Then the Dy. S.P. in a loud voice directed the extremists to come out and surrender. But the extremists opened fire. The police parties returned the fire in self defence. One of the terrorist who came out, firing upon the police parties, was shot dead by Shri Baldev Singh. Another extremist was killed by S.I. Major Singh, who tried to run towards Western side where S.I. Major Singh was deployed Shri Baldev Singh was facing heavy fire from the extremists and escaped miraculously. The Dy. S.P. returned the fire and killed another terrorist on the spot. Two AK-47 Rifles one revolver, .32 bore, one SBBL Gun 2 Stick Bomb and 155 Ctgs. of various bores, arms were recovered from the killed terorrists. In all three terrorists were killed, two of them by Shri Baldev Singh,

In this encounter Shri Baldev Singh Sekhon, Deputy Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 24th May, 1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 167-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Avtar Singh,
Inspector of Police,
SHO P. S. Dharamkot,
District Ferozepur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 31-10-1992, Inspector Avtar Singh, SHO P.S. Dharamkot received information about the presence of terrorists in the abandoned farm-house of one Ujagar Singh. He also learnt that the terrorists had gathered for an Inter-District meeting of self-styled Lt. Generals and Area Commanders to be presided over by Gurdas Singh Mausoorwal, Deputy Chief of KCF (Jaffarwal Group). The information then shared and discussed with SSP, Ferozepur. The police parties immediately rushed towards the place of hide-out. At about 5.30 AM (1-11-1992) the entire farm-house was cordoned. Three parties covered the left, right and back of the farm-house and Inspector Avtar Singh and party took position on the front. Then Inspector Avtar Singh challenged the terrorists to surrender and told them that the entire farm-house was cordoned, but the extremists started heavy volume of fire on the police parties. The police parties returned the fire in self defence. After about 15 minutes, Inspector Avtar Singh alongwith one Constable climbed on the roof of the bath-room, constructed near the boundary wall and took position by the side of a water tank. He noticed one extremist firing from a GPMG while hiding behind a tree. Inspector Avtar Singh fired a burst from his ALR on the extremist and killed him on the spot. Meanwhile another extremist came running while firing from the kitchen side towards the main gate. On seeing this, Inspector Avtar Singh fired on the extremist and and killed him.

In the meanwhile, one ASI and two Constables entered the farm house through a small gate from south side and fired on the extremist, who was firing from the Varrandah and killed him. Thereafter, two terrorists came running from Varrandah while firing and took positions along the outer-wall, they were killed by Constables Devinder Singh, Santokh Singh and Lakhwinder Kumar. The dead terrorists were later identified as (1) Gurdas Singh Mansoorwal; (2) Wassan Singh Bhaini; (3) Angraj Singh; (4) Raghbir Singh alias Bhira; and (5) Gurdev Singh Rounta. During search one GPMG with 5 drums and 37 live cartridges, 6 AK-47 Rifles with 18 mazagines, 675 cartridges, 5 Hand-Grenades, 20 Packets of explosive, 2 Packets of explosive wire and 10 Fuse were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Avtar Singh, Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1st November, 1992.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 168-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Satinder Singh,
Deputy Supdt., of Police, Detective,
Jalandhar.

Shri Gurnam Singh,
Constable,
Jalandhar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 26-11-1992, SSP Jalandhar received information that dreaded terrorists of BTFK outfit were taking shelter in the house of one Manohar Singh Fauji of Village Daroli Kalan, P. S. Adampur. SSP, Jalandhar directed SP, Detective to raid the house. The force was divided into three sections with a Commando Squad to give covering fire to the police parties. Shri Satinder Singh, Deputy Supdt. of Police (Detective) and Inspector Raghbir Singh were entrusted with the command and control of the police parties deployed on the right and left flanks. After surrounding the village from all sides, at about 10.30 PM, the terrorists were challenged to surrender but the terrorists started indiscriminate firing on the police parties. The police personnel immediately returned the fire in self defence. The firing continued throughout the night.

In the early morning on 27-11-1992, the terrorists were again challenged to surrender but they accelerated the firing towards the police parties headed by Shri Satinder Singh and Inspector Raghbir Singh, who faced the challenge courageously. In the meanwhile, the terrorists tried to escape but their attempt was thwarted. One of the extremist was injured in his bid to escape and he re-entered the house. In the meantime the second terrorist tried to escape, Shri Satinder Singh fired at the terrorist and injured him, he also re-entered the house and started firing on the police parties.

Thereafter, Shri Satinder Singh, Inspector Raghbir Singh and Constable Gurnam Singh made a bold advance and managed to climb the roof-tops of the houses of Manohar Singh Fauji and Baldev Singh. They managed to dug holes in the roofs and lobbed hand-grenades into the houses. In the exchange of fire Constable Gurnam Singh sustained serious injury on his eye and fell down. In the meantime, the terrorists set the house on fire and within seconds the police personnel on roof-tops caught in rising flames. Shri Satinder Singh lifted the injured Constable Gurnam Singh on his back and managed to climb down, while firing on the terrorists with his revolver. Inspector Raghbir Singh jumped on the roof of low-level thatched house. The injured Constable Raghbir Singh was immediately removed to Hospital.

Thereafter the Fire Brigade extinguished the fire and a search was carried out of the house by S/Shri Satinder Singh and Raghbir Singh, two dead bodies of terrorists were recovered, who were later identified as Hazura Singh and Onkar Singh Lali alongwith two AK-47 Rifles with 4 Magazines, one AJR with one magazine, one .455 bore revolver and large quantity of ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Satinder Singh, Deputy Supdt. of Police and Gurnam Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 26th November 1992.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 169-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Tripura Police :—

Name and rank of officer

Shri Man Mohan Kisku,
Rifleman, 1st Bn. T.S.R.,
West Tripura.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Information was received in the late night of 8th May, 1992 that a armed gang of 10—12 ATTF extremists was camping in an isolated hut in the deep jungle adjacent to the Village Tuisama. Immediately, Shri Biswas, SDPO and Shri J. M. Das, o/C Kanchanpur, organised a search party, consisting of 20 other police personnel and one home guard, who were well armed.

In the early hours of 9-5-92, the search party reached near the target and cordoned the area. Thereafter S/Shri Biswas Das and Kisku personally led the advance towards the hut in the front rank while they were moving towards the hut, the extremists got scent of police and opened fire on them. The police also promptly returned the fire. Despite firing Shri Kisku charged towards the hut and in the process sustained grievous gun shot injury due to firing by the extremists. Inspite of being injured Shri Kisku continued firing and after firing stopped he participated in the search of the area. During this brief encounter the police gunned down three extremists while remaining gangsterers escaped taking cover of thick forest.

During search of the area, the police recovered seven country made SBML guns, one SBML Pistol, one HE 36 live grenade, one helmet two daggers and other things relating to ATTF. The police party also rescued a kidnapped woman and her baby, from the clutches of the extremisis.

In this encounter Shri Man Mohan Kisku, Rifleman, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th May, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 170-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officers

Shri Ram Magan Pandey,
Sub-Inspector of Police,
Civil Police,
Distt. Budaun.

Shri Satya Pal Singh Malik,
Sub-Inspector of Police,
Civil Police,
Distt. Budaun.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 15-1-91 an information was received that the notorious armed gang of Jaiveera consisting of 7-8 members was present in the sugar cane field near the North side of village Hazratganj and they were waiting for a ransom money of Rs. 1 lakh for the release of one Dharmendra, a 15 year old boy who was kidnapped on 15/16-12-90. On receipt of this information, a police party led by S/Shri Ram Magan Pandey, S. I. and Satya Pal Singh Malik, S. I. rushed to the spot by police jeep and Private Motor Cycles to apprehend the culprits and have the victim released. On reaching the spot, the party after assessing the geographical conditions of the spot divided the force into two parts. While the first party under a Sub-Inspector was placed in the north side of the sugar cane field, the second party consisting of S/Shri Ram Magan Pandey, S. I. and Satya Pal Singh Malik, S. I. and other Constables was placed on the west side of the field. At about 11.00 AM the police party proceeded towards the spot when they over-heard that if the money was not brought Dharmendra would be killed. The police on hearing this, challenged the miscreants to surrender and hand over the kidnappee, but instead the micreants opened fire on the police party. The police party restrained firing, while S. I.s Ram Magan Pandey and Satya Pal Singh Malik took position and proceeded towards the culprits in the face of showering bullets to apprehend the culprits in a gallant manner completely risking their lives. In the process Shri Pandey received bullet injury in his abdomen, but undeterred Shri Pandey and Shri Malik reached near the miscreants and opened fire. In the exchange of fire three micreants namely (1) Jaiveer Singh, (2) Saunan and (3) Har Babu were shot dead while the other four members of the gang managed to escape. The kidnapee Dharmendra was got released from the clutches of the miscreants and three short guns alongwith a large number of live/fired cartridges were recovered from the dead miscreants.

In this encounter S/Shri Ram Magan Pandey, Sub-Inspector of Police and Satya Pal Singh Malik, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carrywith them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th January, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 171-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of officer

Shri Sudhir Kumar Tyagi,
Sub-Inspector of Police,
Dehradun.

Shri Gajendra Singh,
Constable,
Dehradun.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 15-9-90 at about 11.00 AM, an information was received by Shri Rajendra Singh, Dy. S. P. that six sikh extremists armed with automatic weapons entered the State Bank of Patiala, Haridwar Road, Dehradun to commit dacoity. The Bank guard opened fire and injured one of the extremists, while the other criminals opened indiscriminate fire seriously injured 11 persons 4 of whom succumbed to their injuries On sounding of the alarm, the criminals made their escape in a Maruti Van No. UMU-8008. Immediately on receipt of this information, Shri Rajendra Singh Dy. S. P. alongwith Shri Brahm Pal Singh, Inspector Shri Sudhir Kumar Tyagi, Sub-Inspector, Veerpal Singh, Sub-Inspector, Jagvir Singh Atri, S. I. and Constable Gajendra Singh rushed to chase these criminals. After covering some distance they found the escape vehicle lying abandoned near Kuwan-wla-Temple facing the jungle. Shri Rajendra Singh, divided the available force into two parties, the first headed by himself, including Shri Brahm Pal Singh, Inspector, Sudhir Tyagi, S. I. Veerpal Singh, S. I. and Constable Gajendra Singh, while the second party led to by Shri Jagvir Singh Atri, Sub-Inspector.

At about 12.30 p.m. Shri Rajendra Singh and his party noticed some criminals hiding in the bushes. They challenged the criminals to surrender. One of the criminals shouted a loud to his associates and directed them to open fire on the police party. Immediately the criminals opened heavy fire on the police party. The firing by the criminals seriously injured Shri S. K. Tyagi, S. I and Shri Gajendra Singh, Constable. In the meantime Shri Rajendra Singh, Dy. S.P Inspector Brahm Pal Singh and S. I. Veerpal Singh, took up position and opened heavy fire on the criminals as assault the criminals started fleeing. Shri Jagvir Singh Atri, who was cordoning the area succeeded in apprehending one of the fleeing criminal who identified himself as Gurdip Singh of Amritsar, a member of KLF. The interrogation of Gurdip Singh later led to the arrest of the gang leader Ravindra Singh, @ Bhola, a self-styled Lt. Genl. of KLF.

In this encounter S/Shri Sudhir Kumar Tyagi, Sup-Inspector of Police and Gajendra Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th September 1990.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 172-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officers

Shri Shailendra Sagar,
Sr. Supdt. of Police,

Shri Shiv Prasad Sharma,
Jhansi.
Inspector of Police,
Jhansi.

Shri O. P. S. Gahlot,
Sub-Inspector of Police,
Jhansi.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Shri Vijai Sethi, a property dealer was kidnapped by some criminals who demanded a ransom of Rs. 50 lacs, which was ultimately settled at Rs. 3 lacs which was to be delivered by Smt. Sethi at Hotel Madhuban, Mathura. This arrangement was communicated to the police who laid a

trap under the leadership of SSP Jhansi, Shri Shailendra Sagar. On 6-8-91 Smt. Sethi reached Hotel Maduban at about 1100 hours and at about 1600 hours two persons reached the hotel, inquired about Smt. Sethi, went to her room and collected the brief case containing the ransom amount and left in a car. Shri Shailendra Sagar alongwith Shri Shiv Prasad Sharma and Shri O. P. Gahlot, Sub-Inspector who had checked in the hotel the previous day, followed the car of the criminals. The criminals entered Gokul Restaurant and Bar where the brief case was passed on to a group of persons sitting on the lawns of the Restaurant. The police party on reaching there recognised Vijay Sethi the kidnapee and identified the notorious criminals Brij Mohan Sharma among them. Shri Sagar then deployed the available force to encircle the gang from three sides and challenged them to surrender. Immediately Brij Mohan opened fire on Shri Sagar and he alongwith his associates started running towards the National Highway. Undeterred by the firing S/Shri Sagar Sharma and Gahlot showed great presence of mind, chased the dacoits at great risk to their own lives and in the ensuing firing which continued for about 2 hours, 4 criminals including Brij Mohan Sharma were killed. The brief case containing Rupees two lacs and the weapons carried by them were recovered from the site of the encounter.

In this encounter S/Shri Shailendra Sagar, Senior Supdt. of Police, Shiv Prasad Sharma, Inspector and O. P. S. Gahlot, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 6th August, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 173-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Ravindra Kumar Singh,
Sub-Inspector of Police,
S. O. PS Nigohi,
Distt. Shahjahanpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

The Terai Region under PS Nigohi of Distt. Shahjahanpur was a sanctuary for terrorists and the gang of Savendra Singh & Pappu of KCF (Panjwara Group) was very active in the area. On 6-4-93, an informer informed Shri R. K. Singh, S. O. Nigohi that 5-6 terrorists armed with deadly weapons were extorting money from local Sikhs at Jhala of Jogender Singh. Immediately on receipt of this information Shri Singh collected sizeable force and left to apprehend the extremists. On reaching village Ghanshanpur, where the terrorists were last seen, Shri Singh divided the force into two groups one led by S. I. Mohd. Babar, was directed to proceed towards the Jhala and cover the Southern and Eastern sides while the other group led by Shri Singh advanced through a dried-up Nala towards the Jhala of Jogender Singh. The informer pointed out to the S. O. the presence of two armed extremists, at a distance of 100 steps and located just near the pumping set on the Southern side of the Jhala. Shri Singh devised a strategy to surround the extremists and to force them to surrender. Accordingly Shri Singh directed two Constables to advance towards the North while one S. I. was directed to lay a cordon towards the Western side of the Jhala. Shri Singh himself led the assault from the front. Shri Singh advanced by crawling through the Rabi crops when his presence was suddenly discovered by the extremists who opened fire upon him, but undeterred Shri Singh proceeded to advance under imminent danger, managed to arrive in close proximity and fired upon the terrorists with his SLR severely injuring one of them who later succumbed to injuries. Meanwhile the other extremists opened fire on the police party from within the Jhala of Joginder Singh. Shri R. K. Singh and his party taking advantage of cover of Rabi crob returned the fire. In the course of the encounter one terrorist ran towards the Southern side where he was accosted by Shri Diwakar, S. I. who chased him into the Jhala of Jogender Singh. Seeing this Shri Singh tightened the cordon around the Jhala and challenged the extremist to surrender, who paid no heed to the warnings and continued to fire from a window Shri R. K. Singh decided to crawl towards the room from where the firing was coming, but the movements of Shri Singh were noticed by the extremists who started firing upon him. Shri Singh had a providential escape and returned the fire with vigour which resulted in serious injuries to one of the extremists. Thereafter the police party led by Shri Singh entered the Jhala where they met with a furious burst of fire from the extremists. The Police party took cover and fired a burst with their automatic weapons killing two terrorists on the spot. The three killed terrorists were identified as Sarvender Singh @ Pappu, Pappu, Satnam Singh @ Satta and Gurmit Singh @ Mitta from whose possession one SBBL gun with 28 live cartridges, one .303 bore rifle with magazine and 42 live cartridges, one .315 bore rifle with magazine and 9 live cartridges were recovered.

In this encounter Shri Ravindra Kumar Singh, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 6th April 1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 174-Pres/94.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and rank of the officer

Shri Mehma Singh,
Inspector, 107 Bn,
Boarder Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

A joint CAT operation under the command of Shri M.S. Chauhan, Deputy Commandant organised by BSF on 9-11-92 in Soura (Awanta Bhawan) on getting some information. While the party was on move from Ilahibagh to Bagat-e-Soura at about 1100 hrs., The CAT identified one militant entering a house and some of the BSF personnel chased him to apprehend. However, the militant managed to enter the house. When the BSF party tried to get the inmates out of the house the militants who were hidden in the house in good number, and also in adjoining buildings opened heavy fire on them including hand grenades and UMGs fire which resulted in causing injuries to some BSF personnel and damaging their vehicles. Shri M. S. Chauhan Showing quick presence of mind, picked up one of the grenade lobbed by the militants on BSF troops, which was about to explode and threw it back at the militants, saving many precious lives of his own men. The grenade thrown back on the militants exploded and broke the militants resistence. The officer Incharge operation flashed a message for reinforcement. Sub. Mehma Singh who was incharge of Commando Platoon immediately rushed to the spot alongwith his men and volunteered to penetrate into the premises to force the militants to surrender. He alongwith his men entered the house in utter disregard to heavy volume of fire aimed at them by the militants and grave risk to life and succeeded in killing one terrorist compelling the other militants to come out of the house. The house was stormed further by Sh. M. S. Chauhan Deputy Commandent. Inspector Mehma Singh and other members of the party. The battle lasted for about 5 hours and resulted in killing 7 hardcore militants including Chief of HUM and recovery of four AK-56 rifles, 16 Magazines and 13 rounds of Ammunition.

In this encounter Shri Mehma Singh, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 9th November 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 175-Pres/94.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and rank of the officer

Shri S. C. Mishra, (Posthumous)
Inspector,
SHQ BSF, Bandipur,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On receipt of information on the intervening night of 15/16th September, 1993 about the presence of about 10 top ranking hardcore militants of HM outfit in three hideouts in village Bazipura on Srinagar- Bandipur road, a BSF raid party tasked to flush out the militants on 16th September, 1993. The party was devided into 3 groups first headed by Commandant 173 Bn BSF. Second headed by JAD(G) Bandipur and the third headed by Sub-(G) S. C. Mishra. While each party was assigned the task to raid the three hideouts independently, the party headed by Sub-(G) S. C. Mishra was to raid the main hideout of the militants.

When the raid party led by Shri S. C. Mishra reached near their target, it was heavily fired upon by the militants from inside the house. After assessing the situation and tactufllly positioning his party, Shri Mishra, unmindful of his personal safety, crawled forward towards the open door of the hideout and brought heavy volume of fire from his AK-56 rifle and succeeded in killing two militants at the spot. He himself received severe bullet injury in his abdominal but without caring for the agonising pain continued to effectively return the fire and killed one more militant before succumbing to his injuries. Finding Shri Mishra dead, the remaining militants tried to escape through the open door and two of them became the target of party already positioned there. In the meantime, other raid parties also reached there and succeeded in killing three more militants. The BSF raid party succeeded in liquidating 8 hardcore terrorists, three of which were killed by Shri S. C. Mishra, Inspector, who ultimately also laid his life for the nation in the true traditions of the force. Following arms & ammunition were also recovered.

1. AK 56 rifles	7
2. AK 56 Magazine	13
3. Pistol	1
4. Live rounds of AK56 rifles	191
5. Pistol Magazine	1
6. Live rounds of Pistol	6
7. Hand grenade	1
8. White bombs	1
9. Portophone (VHF)	1

In this encounter Shri S. C. Mishra, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissibe under rule 5, with effect from 15th September, 1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 176-Pres/94.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and rank of the officer

Shri S. P. Azad, (Posthumous)
Assistant Commandant, 69 Bn,
Border Security Force.

Shri Harmesh Lal,
Constable, 76 Bn.
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 18-10-1992, information was received that some hardcore militants had taken shelter in a house in the area of Tangpora, Srinagar. A Commando Platoon led by Shri S. P. Azad and Shri A. K. Ekka were detailed to apprehend the militants. Shri A. K. Ekka alongwith party took the task of encircling the house and Shri S. P. Azad alongwith party was detailed to enter the house and apprehend the militants. After cordoning, Shri Azad challenged the militants to surrender but the militants threw two hand grenades from the first floor of the building following by heavy volume of fire. Inspite of heavy firing Shri Azad and Constable Harmesh Lal managed to reach the first floor of the house. They could not locate the militants on the first floor as they were hiding in false cavity specially made for hiding. Unmindful of their personal safety, Shri Azad and Constable Harmesh Lal advanced towards the hiding place from where the firing was coming. Suddenly a burst of fire came and hit the jaws, hand and chest of Shri Azad. In the process Constable Harmesh Lal was also injured in his left leg. Inspite of grievous injuries Shri Azad crawled forward and fired on the militants and killed one of them. In the meantime, Constable Harmesh Lal also advanced and pounced on a militant and killed him on the spot.

2. The other militants came out and engaged the party of Shri A. K. Ekka. Shri Ekka moved with lightening speed and returned the fire and killed one of the insurgents on the spot. The fourth militant was killed by the party of Shri Ekka. S/Shri S. P. Azad and Harmesh Lal were rushed to Base Hospital, Srinagar, but Shri Azad later succumbed to his multiple injuries in the operation theatre.

3. The killed militants were later identified as (1) Rivaz Ahmed alias Hyder Ali, (2) Rashed Dar alias Fayas; (3) Ab Qayoom Dar alias Syed; and (4) Ab Rahman Dar alias Moulvi. During search 2 AK-56 Rifles with 3 Magazines, 1 Stick Grenade and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri S. P. Azad, Assistant Commandant and Harmesh Lal, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5 with effect from 18th October, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 177-Pres/94:—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of officer

Shri G. S. Bhomia,
Commandant, 8 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 26-121-1992, a special operation was planned by Shri G.S. Bhomia, Commandant, 8 Battalion, BSF to flush out

militants from the areas of Rishinagar. The troops were led by S/Shri Hemant Kumar and Aziz Khan, Assistant Commandants under the over-all command of Shri G. S. Bhomia. They moved on foot to cover a distance of 10 KMs in deep snow. On reaching there, cordon of the village was completed before dawn. At dawn the militants from the village resorted to firing on BSF troops. Shri Bhomia personally led a Commando Platoon to the houses from where some of the militants were firing. Shri Bhomia apprehended one Manzoor Ahmed, who was later identified as a Pak trained militant. On his information 2 AK Rifles were recovered from a Mosque.

Shri Aziz Khan was initially given the task to cover the North-Western side. Subsequently he was given the task to clear the militants from a Mosque. He immediately moved to the area with his men, unmindful of his personal safety and succeeded in apprehending 3 militants alongwith 3 AK-56 Rifles.

In the meantime Shri Hemant Kumar conducted search of houses in the face of militants fire and was instrumental in apprehending a Pak trained militant. On getting the information from the arrested militant, Shri Hemant Kumar stormed a Mosque and recovered 4 AK-56 Rifles and one grenade. He also searched another hide-out in village Chak Rishinagar and recovered one Rocket Launcher with two rockets. As more and more militants were apprehended, the firing from inside the village died down. The encounter lasted for about six hours. In the encounter in all 10 militants were apprehended alongwith one Rocket Launcher and 2 rockets and one booster, 7 AK-56 Rifles alongwith 10 Magazines and 187 rounds, one Revolver and one Hand Grenade were recovered from the militants.

In this encounter Shri G. S. Bhomia, Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 26th February, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 178-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of the officers

Shri Bishamber Dayal Sharma,
Sub-Inspector of Police, 19 Bn,
Border Security Force.

Shri Kapil Deo Dixit,
Constable, 19 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 20-9-1992 Sub-Inspector B. D. Sharma, Post Commander of Narbal Post learnt that a culvert on the road Srinagar-Niu was blown up by the militants. He informed the Battalion Headquarter and took out a patrol party of eight BSF personnel (including Constable Kapil Deo Dixit) to verify the information. At about 1630 hours, when the party was approaching towards the road through cross country route from Marbal, he saw an ambassador car (Taxi). When the vehicle was at a distance of about 100 yards, Shri Sharma observed shine of a metal tube from the window of the Vehicle. He suspected it to be a barrel of a gun. He assessed the situation and came to the conclusion that militants could be travelling in that vehicle. He ordered his men to take up position and Shri Sharma alongwith Constable Dixit rushed towards the road and signalled the taxi to stop. The taxi driver stopped the vehicle but kept the engine in motion. When Shri Sharma approached the taxi, one militant sitting inside the vehicle pointed his AK-47 rifle at him, Shri Sharma immediately pointed his rifle at the head of the taxi driver and with the other hand caught hold of militant's rifle. In the meantime Shri Dixit took position and covered Shri Sharma. When the scuffl was going on, two armed militants sneaked out of the rear door on the opposite side and rolled away from the taxi and started firing on Shri Sharma. At this, Constable Dixit returned the fire to give cover to Shri Sharma. Meanwhile Shri Sharma succeeded in snatching the rifle from the militant sitting inside the taxi. The militant then jumped out of the taxi and made a bid to escape. However Shri Sharma fired at the fleeing militant and succeeded in killing him. Subsequently S/Shri Sharma and Dixit killed two other militants. The dead militant were later identified as (i) Mohd. Saffi Khande @ Sheikh Mujamil, (ii) Abdul Ahad and (iii) Abdul Rashid. During search 1 AK-47 Rifle, 4 AK-56 rifles, 3 hand-grenades and large quantity of ammunition were recovered from the place of encounter.

In the meanwhile other party personnel overpowered four militants.

In this encounter S/Shri Bishamber Dayal Sharma, Sub-Inspector of Police and Kapil Deo Dixit, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 20th September 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 179-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the officer

Shri Jagjeet Singh Bhalla,
Second-in-Command, 102 Bn,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 24-9-1992 Shri J. S. Bhalla was assigned a special task of apprehending six Pakistan trained militants, who were armed with sophisticated weapons, from a hide-out near village Naran, District Rajouri. Shri Bhalla immediately took up the challenging task and meticulously planned the operation. Shri Bhalla with his party reached the area on the intervening night of 24/25-9-92. In order to maintain maximum surprise, Shri Bhatla decided to carry out a lightening raid on the militants. Shri Bhalla led his assault group from the front and stormed into the house where the militants were holed up. In order to deny any reaction time to the heavily armed militants, Shri Bhalla flung himself upon one of the militants, who had picked up his AK-47 rifle to fire. Shri Bhalla deflected the barrel of the weapon upwards. In the process the militants hit Shri Bhalla on the head with the butt of his rifle and tried to incapacitate the officer. This did not deter Shri Bhalla and he, unmindful of his injury and severe pain, displayed indomitable fighting spirit and stamina. He smashed his 9mm pistol on the militant's head repeatedly and succeeded in seizing his rifle. In the meanwhile, another militant pulled out hand-grenade and tried to activate it with his mouth. Shri Bhalla struck his pistol on the hand on the militant and knocked down the grenade. In this way Shri Bhalla overpowered both the militants. The remaining four militants were over-powered by other BSF personnel. The arrested Militants were identified as (i) Mohd. Ishad @ Sheriar Khan, (ii) Abdul Hamid @ Zaffar, (iii) Manzoor Ahmed @ Umar Mukhtiyar, (iv) Mohd. Maqbool @ Mohd. Abbas, (v) Barquat Hussain @ Parvej and (vi) Munshi Kataria @ Kabir. During search 5 AK-56 rifles, one AK-47 rifle, two revolvers, one 3.8 bore pistol, 18 HE-32 Hand-grenades 18 rifle grenades, large number of cartridges and Indian/Pak currency were recovered from the militants.

In this encounter Shri Jagjeet Singh Bhalla, Second-in-Command, displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 24th September, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 180-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and rank of the officers

Shri P. S. Ghuman,
Sub-Inspector of Police,
142, Bn., BSF,

Shri Suprian Sorang,
Constable,
142, Bn., BSF,

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On receipt of information about the movement of some militants in the areas of Nillura and Litter, a special patrol party under one Sub-Inspector was sent to probe the movement of militants on 1-9-1991 at about 1200 hours. When the leading platoon of SI P. S. Ghuman crossed village Nillura it came under fire by the militants from the paddy fields and high ground. The BSF party immediately took position and returned the fire in self defence and kept advancing in paddy fields towards the militant's position.

The party of SI Ghuman was totally pinned down due to heavy firing by the militants and in the process Constable Suprian Sorang received bullet injuries. Seeing this SI Ghuman immediately moved ahead and opened fire and killed one of the militants. In the meanwhile, Constable Suprian Sorang in spite of bullet injury on his right leg, moved forward and succesfully killed one militant alongwith SI Ghuman. Thereafter SI Ghuman, seeing the strength of militants, flashed a message for re-inforcement. He also informed his Commandant S. K. Seth that the militants has encicled BSF column from all sides and it was difficult to evacuate the injured Constable to a safer place. Shri Seth immediately rushed with a company strength alongwith MMG Detachment and Medical Officer for the place of incident. While the party was enroute towards Nillura, it was ambushed by the militants near village Lasipora. Shri Seth immediately rushed with one platoon, opened controlled fired and forced the militants to withdraw. Shri Seth, thereafter led the troops and reached village Nillura. On reaching there, Shri Seth with commando platoon and MMG detachment opened fire on the militants. While he was moving ahead in slushy paddy fields, militants opened fire on Shri Seth but luckily he escaped unhurt. Shri Seth immediately retaliated with his AK-47 rifles and killed one militant on the spot and seized his rifle. Shri Seth evacuated the injured Constable Suprian Sorang in midst of militants fire to Military hospital, Srinagar. Shri Suprian Sorang was operated due to gunshot wounds on right lower leg alongwith compound fracture of both bones and his right lower leg amputated. In the meantime, during heavy exchange of fire, three more militants were killed and their dead bodies were seen carried away by other militants towards the next hillock. In this encounter, in all, eleven militants were killed (including dreaded militant Abdul Rashid Bakshi—The District Commander of H.M. of Pulwama District). During search large quantity of arms and ammunition and valuable documents about activities of militants were recovered and 39 suspected persons were rounded up.

In this encounter S/Shri P. S. Ghuman, Sub-Inspector of Police and Suprian Sorang, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1st September 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 181-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the officer

Shri Ranvir Singh (Posthumous)
Deputy Commandant,
137 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 13-5-1992 at about 10.30 AM, information was received that some extremists were committing robbery in Punjab National Bank in Village Kanganwal. On getting the information, Shri Ranvir Singh, Deputy Commandant of 137 Battalion, BSF alongwith eleven personnel immediately rushed to the spot. On reaching there, he came to know that the extremists had escaped by sealing the rear wall of the Bank building.

Shri Singh alongwith his party chased the fleeing extremists. On getting information from the villagers about the escape route of extremists, the BSF party encircled village Batha, P. S. Ahmedgarh, Distt. Sangrur. Shri Singh alongwith party blocked the main escape route. After some time, Shri Singh noticed two persons coming on scooter. He signalled them to stop. On seeing the BSF personnel both the extremists abandoned their scooter and entered in a nearby house. Shri Ranvir Singh chased the extremists and noticed that one of them was hiding in a room full of husk. Without wasting time, Shri Ranvir Singh climbed on the roof of that room and fired from his personal weapon and threw five hand-grenades through the gap of the room. The extremists returned the fire, one extremist was killed by Shri Ranvir Singh. Not finding any clue about the second extremist, the wheat husk in the room was set on fire. Thereafter, a search of the area was made with the help of fire tender. One bullet-ridden dead body and an other charred body of extremist was recoverded. During further search one AK-47 Rifle, one .32 bore revolver, one Chinese made hand-grenade and live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Ranvir Singh, Deputy Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13th May, 1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 182-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the officer

Shri Ashwani Kumar, (Posthumous)
Constable, 172 Bn,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 30-3-1993 at about 11.45 hours, a message was received by Commandant of 172 Bn., BSF that some militants had fired on a patrol party of BSF in Mingli area. A Commando party consisting of 36 officers/man (including Constable Ashwani Kumar) immediately rushed towards Mingli in three vehicles. When the party reached near Mohalla Chhankhan, 3-4 suspects were seen running towards lanes. The Officer incharge of the Commando party ordered the escort party to chase and apprehend the suspects. Constable Ashwani Kumar and others, immediately jumped from the vehicle and chased the militants. During the chase, the BSF party came under heavy fire from militants. The party retaliated fire in self defence. Constable Ashwani Kumar,

who was pursuing ahead of others, spotted one militant who was firing on the BSF party behind a cover. Shri Kumar engaged the militant but he was at a disadvantageous position. Without caring for his personnel safety, he dashed towards favourable position and fired rapidly from his SLR and killed the militant. Instantaneously Shri Kumar was hit in the head by a bullet fired by the militants and succumbed to injuries on the spot. He thus laid down his life in best traditions of the force. In the exchange of fire another militant was killed. The dead militants were later identified as Shoukat Ahmed (a self styled Battalion Commander of Hizb-ul-Mujahidin) and Badar Bhai an Afghan national (explosive expert instructor of Hizb-ul-Muzahidin Group). During search one AK-47 Rifles, one AK-56 Rifle, 5 Magazines and one stick Grenade were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Ashwani Kumar, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, wih eect from 30th March, 1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 183-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the officer

Shri M. S. Chauhan,
Deputy Commandant, 82 Bn,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

A joint CAT operation under the command of Shri M. S. Chauhan, Deputy Commandant organised by BSF on 9-11-92 in Soura (Awanta Bhawan) on getting some information. While the party was on move from Illahibagh to Bagat-e-Sours at about 1100 hrs., the Cat identified one militants entering a house and some of the BSF personnel chased him to apprehend. However, the militant managed to enter the house. When the BSF party tried to get the inmates out of the house, the militants who were hidden in the house in good number, and also in adjoining buildings opened heavy fire on them including hand grenades and UMGs fire which resulted in causing injuries to some BSF personnel and damaging their vehicles. Shri M. S. Chauhan showing quick presence of mind, picked up one of the grenade lobbed by the militants on BSF troops, which was about to explode and threw it back at the militants, saving many precious lives of his own man. The grenade thrown back on the militants exploded and broke the militants resistence. The officer Incharge operation flashed a message for reinforcement. Sub Mehma Singh who was incharge of Commando Platoon immediately rushed to the spot alongwith his men and volunteered to penetrated into the premises to force the militants to surrender. He alongwith his men entered the house in utter disregard to heavy volume of fire aimed at them by the militants and grave risk to life and succeeded in killing one terrorist compelling the other militants to come out of the house. The house was stonned further by Shri M. S. Chauhan Deputy Commandant, Inspector Mehma Singh and other members of the party. The battle lasted for about 5 hours and resulted in killing 7, hardcore militants including Chief of HUM and recovery of Four AK-56 rifles, 16 Magazine and 13 rounds of Ammunition.

In this encounter Shri M. S. Chauhan, Deputy Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carriers with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 9th November, 1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 184-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of officer

Shri Murlidharan Nair, (Posthumous)
Constable, 172 Bn.,
Border Security Force,

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On receipt of information that some militants were hidden at Baba Rishi Shrine under PS & Distt. Baramulla. A Special operation was conducted by BSF on 1-7-93 under the supervision of Commandant 172 Bn. Constable Murlidharan Nair was a member of the operation party, who volunteered for this despite being indisposed. While the cordon party was laying cordon of barrack no. 11 of the Baba Rishi Shrine, some militants positioned on a nearby hill on the northern side of the shrine opened fire on the security force. The inner cordon party was immediately asked to close in around barrack no. 11. Constable Murlidharan Nair observed some suspicious movements in room No. 1 of the barrack, and after taking position moved stealthily towards the window of room No. 1. However. he was hit with bullets fired by Militants hiding in the adjoining room Though Constable Murlidharan Nair sustained fatal bullet injuries, (and later on succumbed to this injuries) yet without caring for his own life, boldly moved ahead with determination and returned the fire killing one militant in that room. This dare devil action of Constable Nair caused confusion in the militants who stopped firing for a while. The troops re-organised themselves and carried out further action and succeeded in flushing out the militants. When the firing stopped, three more dead bodies were recovered, and five of the injured militants died on way to civil Hospital raising the number of killed militants to nine. Besides, the following arms and ammunition were recovered from the site :—

(a) AK-47/56 Rifles	—02
(b) Magazines of AK-47/56	—05
(c) Magazine of 9mm Pistol	—01
(d) Live rounds 9mm	—05
(e) Stick Grenade without Cap	—01
(f) Electric detonator	—05

In this encounter Shri Murlidharan Nair, Constable, displayed, conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1st July, 1993.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 185-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of officer

Shri Fabian Tigga,
Second-in-Command,
17 Bn., BSF.

Shri Jaswant Singh,
Head Constable (RO),
17 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 4-7-1993 at about 0900 hours a search and cordon operation was launched in village Sagipura, P. S. Sopore, Distt. Baramulla. S/Shri Tigga, Jaswant Singh and others went on top of the house towards a store-room, which was stacked with dry grass. When they searched near the store, Shri Jaswant Singh spotted one militant, hiding in the grass and alerted Shri Tigga. Suddenly Shri Tigga was fired upon by the militants, before he could take position. He returned the fire with his AK-47 Rifle and killed one militant.

In the meantime another militant fired a long burst on Shri Tigga hitting him on the Bullet Proo jacket and in the lower abdominal region injuring him seriously. Shri Jaswant Singh engaged the militant and shot him dead. In the exchange of fire Shri Jaswant Singh also received bullet injuries on the scapular region. S/Shri Jaswant Singh and Fabian Tigga were evacuated and rushed to Military Hospital, Srinagar.

The other BSF personnel continued the operation and succeeded in apprehending two militants viz Gulam Nabi Bhatt and Bashir Ahmed, both belonging to JKLF outfit. The dead militants were identified as Wahid Ahmad Mir alias Jahangir (self-styled area commander of JKLF) and Nazir Ahmed Dar of Distt. Baramulla. During search 3 AK-56 Rifles, 12 Magazines of AK-56 314 rounds of ammunition and one set of IED with cordex were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Fabin Tigga, Second-in-Command and Jaswant Singh, Head Constable, displayed conspcuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made or gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 4th Juily, 1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 186-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of officer

Shri Aziz Khan,
Asstt. Comdt. 8 Bn, Border Security Force.

Shri Hemant Kumar,
Asstt. Comdt. 8 Bn, Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 26-2-1992, a special operation was planned by Shri G. S. Bhomia, Commandant, 8 Battalion, BSF to flush out militants from the areas of Rishinagar. The troops were led by S/Shri Hemant Kumar and Aziz Khan, Assistant Commandants under the over-all command of Shri G. S. Bhomia. They moved on foot to cover a distance of 10 KMs in deep snow. On reaching there, cordon of the village was completed before down. At dawn the militants from the village resorted to firing on BSF troops. Shri Bhomia personally led a Commando Platoon to the houses from where some of the militants were firing. Shri Bhomia apprehended one Manzoor Ahmed, who was later identified as a Pak trained militant. On his information 2 AK Rifles were recovered from a Mosque.

Shri Aziz Khan was initially given the task to cover the North-Western side. Subsequently he was given the task to clear the militants from a Mosque. He immediately, moved to the area with his men, unmindful of his personal safety and succeeded in apprehending 3 militants alongwith 3 AK 56 Rifles.

In the meantime Shri Hemant Kumar conducted search of houses in the face of militants fire and was instrumental in apprehending a Pak trained militant. On getting the information from the arrested militant, Shri Hemant Kumar stormed a Mosque and recovered 4 AK-56 Rifles and one grenade. He also searched another hide-out in village Chak Rishinagar and recovered one Rocket Launcher with two rockets. As more and more militants were apprehended, the firing from inside the village died down. The encounter lasted for about six hours. In the encounter in all 10 militants were apprehended alongwith one Rocket Launcher and 2 rockets and one booster, 7 AK-56 Rifles alongwith 10 Magazines and 187 rounds, one Revolver and one Hand Grenade were recovered from the militants.

In this encounter S/Shri Aziz Khan, Assistant Commandant and Hemant Kumar, Assistant Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with eect from 26th February, 1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 187-Pers/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of th Border Security Force :—

Name and Rank of the officer

Shri Surender Pal Singh,
Constable,
183 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 28-1-1993 on Platoon of 183 Battalion of BSF left for patrolling in the militant infested areas of Kashtigarh about 18 kms from Doda Town. The patrol party comprised of one Sub-Inspector and 16 other ranks (including Constable Surender Pal Singh), After carrying out patrolling in the general area, the party headed towards Kashtigarh. Suddenly they came under heavy fire of militants from a hill top. About 5-6 militatnts were firing from automatic weapons. The BSF party immediately took position and fired back on the militants. While the exchange of fire was in progress, Constable Surender Pal Singh, at great risk to his life dashed and took a position behind a boulder braving the bullets. Undeterred, he maintained his cool, made yet another calculated move with his LMC to our flank the militants. The militants hurled a grenade at hmi, he picked up the grenade with lightening speed, which was at the point of exploding, with the intention to throw it back at the militants. In the process he grenade exploded and left hand of Shri Surender Pal Sigh was blown off, the splinters also hit on his face and right eye. Inspite of serious injuries, he kept on firing on the militants. The exchage of fire continued for about 25 minutes. Later on he was evacuated to Hospital. His lifet hand was amputated. His right eve was also damaged seriously.

In this encounter Shri Surender Pal Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rules 5, with effect from 28th January, 1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 188-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Border Security Force :—

Name and rank of the officer.

Shri A. K. Ekka,
Deputy Commandant, 195 Bn,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 18-10-1992, information was received that some hard-core militants had taken shelter in a house in the area of the militants. Shri A. K. Ekka alongwith party took the task S. P. Azad and Shri A. K. Ekka were detailed to apprehend the militants. Shri A. K. alongwith party took the task of encircling the house and Shri S. P. Azad alongwith party was detailed to enter the house and apprehend the militants. After cordoning, Shri Azad challenged the militants to surrender but the militatnts threw two hand grenades from the first floor of the building followed by heavy volume of fire. Inspite of heavy firing Shri Azad and Constable Harmesh Lal managed to reach the first floor of the house. They could not locate the militants on the first floor as they were hiding in fase cavity specially made for hiding. Unmindful of their personal safety, Shri Azad and Constable Harmesh Lal advanced towards the hiding place. from where the firig was coming. Suddenly a burst of fire came and hit the jaws, hand and chest of Shri Azad. In the process Constable Harmesh Lal was also injured in his left leg. Inspite of grievous injuries, Shri Azad crawed forward and fired on the militatnts and killed one of them. In the meantime, Constable Harmesh Lal also advanced and pounced on a militant and killed him on the spot.

2. The other militatnts came out and engaged the party of Shri A. K. Ekka. Shri Ekka moved with lightening speed and returned the fire and killed one of the insurgents on the spot. he fourth militant was killed by the party of Shri Ekka. S/Shri S. P. Azad and Harmesh Lal were rushed to Base Hospital, Srinagar, but Shri Azad later succumbed to his multiple injuries in the operation theatre.

3. The killed militants were later identified as (1) Riyaz Ahmed alias Hyder Ali; (2) Ab Rashed Dar alias Fayas; (3) Ab Qayoom Dar alias Syed; and (4) Ab Rahman Dar alias Moulvi. During search 2 AK-56 Rifles with 3 Magzines, 1 Stick Grenades and large number of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri A. K. Ekka, Deputy Commandant, displayed conspicuous galantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 18th October 1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 189-Pres/94.—The Persident is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Central Industrial Security Force :—

Name and Rank of officer

Shri Mahadevappa Sajjan,
Constable, CISF Unit CCWO,
Dhanbad (Bihar).

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the night of 26-27 February, 93 around 2 A.M. Constable Mahadevappa Sajjan, noticed 15-20 criminals armed with deadly weapons, trespassing to attack the house of Shri B. S. Upadhyay, Addl. Chief Engineer, Bhojudiah. To foil their attack, Constable M. Sajjan, challenged the gangsters single handed. However, he was soon overpowered by the gangster. He was tied up with ropes, severaly assulted and was compered to the Addl. Chief Engineer, to come out of his house call on some pretext. Constable M. Sajjan was untied by the criminals only when he agreed to their demand. At his call, Mrs. Upadhyay, woke up and opened the window of the bedroom. At this juncture, when his tormentors were awaiting opening of the main door by the official, the constable freed himself from their hold and ran towards the enterence gate of the bunglow, raising hue and cry. To prevent him entering in the house, the miscreants lobbed a country made bomb, which hit him causing serious injuries to him. Inspite of this serious injuries, the constable ran towards the CISF camp to alert his supervisors. The dacoits ran away when re-enforcement reached from the camp. Constable M. Sajjan was shifted to Civil Hospital and later on to the Central Hospital for specialised treatment.

In this encounter, at the grave risk of his personal safety, Constable M. Sajjan fought bravely with the armed miscreants and saved the life and property of the colliery official and his family members. The local police has so far arrested seven criminals in the case.

In this encounter Shri Mahadevappa Sajjan, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with is the special allowance admissible under rule 5, with effect from 26th February, 1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 190-Pers/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officers of the Central Industrial Security Force :—

Name and Rank of officers

Shri Durga Bahadur, (Posthumous)
Head Constable,
CISF Unit, ONGC, Jorhat.

Shri P. Arvindakshan, (Posthumous)
Lance Naik,
CISF Unit, ONGC, Jorhat.

Shri P. Sree Ramulu, (Posthumous)
Constable,
CISF Unit, ONGC, Jorhat.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 1st March, 1993 Head Constable Durga Bahadur alongwith L/NK P. Arvindakshan and Constable P. Sree Ramulu, were detailed at drill site location at Golapani.

At around 1640 hrs, the CISF personnel saw the movement of 5/6 Naga terrorists, equipped with AK-47 and hand grenades. On being sighted the Naga hostiles took cover and started firing at the Police Party. The police party lead by H. C. Durga Bahadur returned the fire and a fierce encounter ensued. One Naga hostile who attempted to throw a hand grenade towards oil Installations. was brought to the ground before he could destroy the oil complex. The killed extremist was later identified as Ho Keto Sema, a member of the dreaded outlawed National Socialist Council of Nagaland. Th Naga Hostiles being large in number and better equipped killed all the three CISF personnel. One of the other hostile was also injured but taken away by other hostile during the ensuing encounter.

In this encounter S/Shri Durga Bahadur, Head Constable, P. Arvindakshan, Lance Naik and P. Sree Ramulu, Constable displayed conspicuous galantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1st March, 1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 191/Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the under-mentioned officer of the Central Resrve Police Force :—

Name and Rank of officer

Shri R. D. Burman,
Constable, 93 Bn,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 3-6-92 two sections of 93 Bn., CRPF including constable R. D. Burman alongwith force from P. S. Rampura under SHO Rampura were detailed for search operation of village Jeond. The force was divided into two parties-one under Head Constable of CRPF and the other under SHO Rampura. The police party on seeing two youths on a scooter, signaled them to stop. Instead the scooterists took a right turn towards a tube well. Shri R. D. Burman alongwith two other constables started chasing the youths. On seeing the police party chasing them they abandoned their scooter, took out their AK-47 rifles and fired at the CRPF personnel. The CRPF personnel retaliated the fire and also alerted SHO Rampura. The SHO moved in the direction of fleeing terrorists, cordoned the area and obstructed their further movement. The terrorists took up position and fired at the police party. The terorists were also fired upon effectively. As a result of this one terrorist left his firing position and tried to escape taking cover of narby mud-wall in the field. Constable Burman noticed the escaping terrorist and chased him at once. The fleeing terorist took suitable cover behind a tree and fired at Constable Burman who had a miraculous escape.

Constable Burman moved ahead taking cover of mud-partition wal in the field, reached very close to the terrorist position and fired intensively from his SLR, altimately killed him on the spot. The killed terrorist was later identified as Ranjit Singh of KCF - a listed terrorist from whose possession one AK-47 rifle, two magazinies alongwith live/empty cartridges were recovered. The other terrorist managed his escape taking cover of the fields.

In this encounter Shri R. D. Burman, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 3rd June, 1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 192-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of officer

Shri B. V. Reddy, (POSTHUMOUS)
Constable, 115 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 18-11-92 an information was received that some terrorists, after committing a murder, were hiding near a village in Muktsar sub-Division of Faridkot Distt. On this information a joint operation of Punjab Police, CRPF and Army was launched to apprehend the terrorists. The terrorists were hiding under thick growth of cotton fields and the Punjab police personnel were already engaging the terrorists. The cotton fields were very thick. The police party entered the fields with the help of bullet proof tractor and Gypsy. The terrorists directed their fire on the bullet proof gypsy and immobilised it . Seeing the gravity of the situation, the senior officers jointed together and chalked out a common police. The cordon was divided into 4 parties each headed by contingent of Army, Commandant 84 Bn., CRPF, SP (D) with a Coy. of 127 Bn., CRPF and DCO, 115 Bn., CRPF respectively.

The cordon parties were directed to gradually narrow down on the terrorists, reduce the vest expense of the field and slowly go near the terrorists and neutralise them. Constable B. V. Reddy, who was leading a section advanced further in an extended formation and had taken position on the slope of an irrigation channel. On respect of an order he left his cover and crossed the channel towards the cotton fields and joined two ASIs of Punjab Police and started advancing towards the thick growth. In the face of continued firing, he kept on changing his position taking available cover and moved ahead.

Due to very thick undergrowth, it was impossible to see long distance in lying position and the advancing was very slow but steady. As constable B. V. Reddy along with two ASIs were advancing by the side of one Nala which was passing trough the cotton field, the camouflauged terrorist and one move terrorist hiding near him opened fire. Shri Reddy saw the firing coming from the hidden terrorist and fired back at him, killing him on the spot, from whose possession one a Assault rifle and 5 live rounds were recovered. In the exchange of fire Constable Reddy was also fatally injured, but undeterred the Constable advanced towards the dead terrorists but could not move further due to injures and fell down. Later on he succumbed to his injuries in the Hospital. The other terrorist was shot dead by the other ASIs. In this encounter in all 10 terrorists were killed whose bodies were recovered on search of the area along with huge quantities of arms and ammunition.

Constable Reddy made a supreme sacrifice while gallantry fighting the terrorists in the maintenance of highest condition of the service.

In this encounter Shri B. V. Reddy, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 18th November, 1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 193-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the officer

Shri Suresh Kumar Rawat,
Constable,
72 Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 10-7-1990 at about 7.40 P.M., a dreaded terrorist Ravail Singh @ Fauji alongwith one of his associates kidnapped a rice sheller owner of P.S. Julkan, District Patiala at gun point for ransom of Rs. 10 lacs.

On 11-7-1990 Shri S.K. Sharma, Senior Supdt. of Police Patiala launched an all out offensive in the areas to which it was anticipated that the terrorists might have gone alongwith their captive. At about 4.30 P.M., a police party

while searchin for the terrorist gang was fired upon with automatic weapons by the terrorists who had taken shelter in a farm house near village Shekhupura with their captive Santosh Kumar. On receiving this information Shri S. K. Sharma alongwith Sh. V. K. Kapil, SP (Ops), Patiala and other police personnel (including ASI Kuldeep Kumar) and one coy. of 72 Bn., CRPF including Constable Suresh Kumar Rawat reached the farm house where the terrorists were hiding. On seeing the police party, the terrorists started heavy firing on them. Initially the firing was very heavy and it was difficult to get close to the direction in which terrorists had taken well entrenched positions in broken ground behind wild grass along the link road. Till about 6.30 P.M. firing continued without any results. Thereafter, it was decided to launch a final assault by getting closer to the location of the terrorists. Shri S. K. Sharma alongwith S/Shri V. K. Kapil, Kuldeep Kumar and S. K. Rawat and other police personnel without caring for their personal safety crawled and reached near the terrorists. Shri Sharma took up position with the light machine gun group and opened heavy fire on the terrorists in order to pin down their heads. The terrorists retalieted with same vigour. Shri Sharma alongwith ASI Kuldeep Kumar advanced from the right side and fired on the terrorists, while Shri V.K. Kapil alongwith Constable S. K. Rawat fired from the left side with LMG. Finding themselves encountered from all sides, the leader of the terrorists group first fired and killed Santosh Kumar, the kidnapped person. Then, he advanced under the cover of fire by his associates and fired a burst on Shri Sharma. Shri Sharma and his escort personnel returned the fire. In the exchange of fire one ASI and Constable S. K. Rawat of CRPF were injured. Shri Sharma returned the fire with his revolver and killed the extremist. The other injured terrorists were demoralised with the death of their gang leader. When the gang-leader was firing on Sh. Sharma, Shri V. K. Kapil without caring for his personal safety fired with his service revolver and killed one of the terrorists on the spot. ASI Kuldeep Kumar and Constable Rawat though grieviously injured, did not relent from their position and kept on firing on the terrorists. The remaining terrorists started running for their lives, while firing and were killed by concentrated heavy firing by police personnel from different directions. The encounter lasted for nearly 5 hours, resulting in the liquidation of all the five terrorists, who were later identified as (1) Ravail Singh @ Fauji, (2) Kundan Singh @ Kundu, (3) Avtar Singh @ Ghoga, (4) Nirmal Singh @ Nimma and (5) Gurmail Singh @ Gella. During search large quantity of arms and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Suresh Kumar Rawat, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 10th July, 1990.

G. B. PRADHAN
Director

No. 194-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medel for Gallantry to the under-mentioned officer of the Central Reserve Polive Force :—

Name and Rank Rank of the officer

Shri Sham Chand,
Dy. Supdt. of Police,
53 Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 12-1-91 Shri Sham Chand, Dy. SP while returning after attending a meeting of LIGO (Ops) Anantnag, stopped a convoy of about 23 personnel at about 1800 hours briefed his men and moved towards Nai Basti on feet from Khanabal Bridge. All incoming persons were personally checked by Shri Sham Chand and his men. After checking, Shri Sham Chand truned into by lanes of Nai Basti where he saw two suspicious looking persons. Shri Sham Chand signalled his men to stop and take position. As soon as Shri Sham Chand started interrogating, one of them took out his pistol, aimed at Shri Sham Chand and as he was about to fire, Shri Sham Chand, leaped on the person armed with pistol and overpowered him before he could open fire, thus saving his own life as well as that of his men, who managed to over-power the other person. The two persons were indentified as Mansoor Islam @Darji, Chief Area Commander JKLF who carried a reward of Rs. 1 lakh and the other was Irfan Sajjad, a journalist, working for JKLF and recovered one 9MM pistol from their possession.

In this encounter Shri Sham Chand, Dy. Supdt. Police, displayed counspicious gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently rules governing the award of Police Medal and consequently 5, with effect from 12th January, 1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 195-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank Rank of the officer

Shri G. M. Nair,
Lance Naik,
6th Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 24th September, 1992 an information was received from SHO Majitha that terroists were holding a meating in village Bhaini Ludhran. On receipt of this information, CRPF personnel including Shri G.M. Nair, L/NK alongwith others were rushed to the village and deployed to strengthen the cordon laid around village. After laying of cordon the villagers were asked to leave their houses, while the police party consisting of Punjab Police and CRPF carried out house to house search and as the police party was searcihng the house of one Swarn Singh, the terroists hiding inside the room opened heavy fire on search party causing serious injuries to one of the Punjab Police personnel with later on scummbed to his injuries. In the meantime, the other members of the Police party took position and returned the fire. The exchange which continued for some time did not produce the desired result. Hence some members of the CRPF party decided to climb on the roof of the house and dig holes. Shri G. M. Nair, climbed on the roof to dig holes, while the other police personnel diverted the attention of the terrorists by engaging them in exchange of fire. Shri Nair alongwith others dug holes on the roof with shovel, spade, crow-bars and at great risk to his life, Shri Nair crawled close to the holees dug on the roof and lobbed 36 H.. grenades inside the room in the face of firing of the terrorists directed at the hole dug on the roof. After lobbing of a few grenades, the firing from inside the room stopped. On search of the room four dead bodies of terrorists were recovered who were identified as Gurjit Singh. Ashok Billa, Hammet Singh Laddi and Ranjit Singh Rana from whose possession one SLR Rifle, one AK 47 rifle, one .303 rifle and one .455 revolver were recovered.

In this encounter Shri G. M. Nair, Lance Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 24th September 1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 196-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the officer

Shri Hakim Singh,
Sub-Inspector of Police, 14 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Shri Mohan Lal,
Constable. 14 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Shri Mohinder Pal Singh,
Constable, 14 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 15-9-92 at about 1400 hours Shri Hakim Singh received information about movement of some terrorists around village Mattewal alongwith a kidnapped youth Gurbinder Singh alias Raja. Immediately on receipt of the information, Shri Hakim Singh alongwith a section of B/14 Bn. CRPF including Constables Mohan Lal and Mohinder Pal Singh laid cordon and started search of the village. On reaching the spot Shri Hakim Singh called one of the male member of the hiding house, Shri Lakha Singh who on seeing the police became nervous. The terrorists hiding inside the house opened fire on Shri Hakim Singh with automatic weapons. Shri Hakim Singh without loosing his nerves retaliated the fire and ordered his men to open fire on the terroirsts. Constable Mohan Lal seeing one of the terrorist firing at Shri Hakim Singh without caring for his safety opened fire on the terrorist killing him on the spot. In the meantime another terrorist who was attempting to escape by jumping over the boundry wall, firing indiscriminately to break the cordon, was fired at by constable Mohinder Pal Singh, causing serious injuries. The terrorist, though injured kept on firing at the police party. Shri Hakim Singh tactfully withdrew himself, took position on outer side of the boundry wall and lobbed a grenade killing the injured terrorist. On arrival of reinforcements, Shri Hakim Singh warned the terroris's to surender, but instead the terrorists opened heavy fire on the police party. After assessing the situation Shri Hakim Singh decided to lop grenades inside the house. He climbed on the roof top, dug holes on the kaccha roof of the house and lobbed a few grenades in the face of heavy firing from the terrorists. As a result, the firing from the terrorists side stopped. The encounter which started at 1800 hours lasted upto 0030 hours and resulted in liquidation of five terrorists of whom two were identified as Shyam Singh and Lakhwinder Singh. One SLR with magazine, four AK-47 rifles alongwith large quantity of live/empty cartridges were recovered from the dead terrorists.

In this encounter S/Shri Hakim Singh, Sub-Inspector of Police, Mohan Lal, Constable and Mohinder Pal Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the grant of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rules 5, with effect from 15th September, 1992.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 197-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Central Reserve Police Force: :—

Name and Rank of the officer

(POSTHUMOUS)

Shri Gokul Singh,
Head Constable,
6 Bn. CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 29-9-92 a special operation was planned by CRPF and Punjab Police in village Enayatpura under P.S. Mapitha to apprehend a gang of terrorists. The CRPF party led by Shri Gokul Singh, Head Constable laid cordon of the village. Shri Gokul Singh after positioning his troops to plug likely routes of escape of terrorists, entered the village from south side, when suddenly the terrorists opened heavy fire on Shri Singh and other police personnel from the front side. As a result of the sudden and indiscriminate firing Shri Gokul Singh who was in the front alongwith other personnel feced the terrorists bullets and was seriously injured. Shri Singh, though injured fired back at the fleeing terrorist and while trying to position himself in a tactically sound position to abort the escape of the terrorists a heavy burst of fire pierced him from the back and he succumbed to his injuries on the spot. His eorts in guilding his personnel resulted in killing of two terrorists from whose possession two AK47 rifles with 4 magazines and a large quantity of ammunition were recoveredd.

In this encounter Shri Gokul Singh, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 29th September 1992.

G. B. PRADHAN,
Director.

No. 198-Pres/94.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under-mentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the officer

Shri U. K. Singha, (POSTHUMOUS)
Constable, 19 Bn.,
Central Reserve Police Force,

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 11-12-1992 a reliable information was received that militants are hiding in village Sukhashera. Immediately 6 Sections of CRPF including Shri U. K. Singha, Constable was rushed to cordon the village and started house to house search operation. After searching a few house, the party including. Constable Singha approached the house of one Constable Jarman Singh of 3rd Commando PAP. Shri Singha alongwith other police personnel searched two rooms of the house without any resistance. Shri Singha who had shown alertness and tact counter insurgency/search operation in the past, suspecting the presence of terrorist in the third room, took up position on one flank of the room, while a Constable of Punjab Police Shri Jasvir Singh entered a room. Suddenly a militant hidding inside the room opened fire with his AK-47 rifle causing serious injury to Shri Jasvir Singh. In the meantime Shri Singha saw one of the militant hidding by a vista and the remaining two running away into the sugarcane fields. Const. Singha opened fire instantly on the militant with his rifle, but the hard-core militant resorted to heavy firing at Const. Singha with his AK-47 riflde, as a result of which Const. Singha received bullet injuries on his face and chest. Despite his injuries and oozing blood, Const. Singha kept on engaging the militant by firing till he breathed his last. The militant was also wounded and subsequently killed. The killed militant was identified as Jasvir Singh alias Bittu Lt. Genl. of KCF Jaffarwal Group who was responsible for as many as 186 killings. One AK-47 assault rifle and three magazines were recovered from the dead, while two other militants managed to escape.

In this encounter Shri U. K. Singha, Constable, displayed conspicucous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11th December, 1992.

G. B. PRADHAN.
Director.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001,the 30th August 1994

No. 6/1/5/FCS&PD/94.—Shri Nagmani, Member, Rajya Sabha has been nominated to serve as Member of the Standing Committee on Food, Civil Supplies and Public Distribution (1994-95) w.e.f. August 25, 1994.

T. R. SHARMA,
Dy. Secy.

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 25th August 1994

RESOLUTION

No.F. 4(3) 93-Hindi.—On expiry of tenure of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India hereby reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs :—

1. Composition

The following will be the Official and Non-Official Members of the Committee :—

CHAIRMAN

1. Ministry of Water Resources and Parliamentary Affairs.

MEMBERS

2. Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs.

3. Ministry of State in the Ministry of Chemicals and Fertilizers and Minister of State in the Ministry of Parliamentry Affairs and Minister of State in the Department of Electronics and Department of Ocean Development.

4. Minister of State in the Ministry of Human Resource Development (Deptt. of Youth Affairs & Sports) and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs.

5. Minister of State in the Ministry of Defence and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs.

6. Minister of State in the Ministry of Rural Development (Deptt. of Rural Development) and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs.

NON-OFFICIAL MEMBERS

(a) Members of Parliament

7. Shri Birbal,
Member Lok Sabha.

8. Smt. Girija Devi,
Member, Lok Sabha

9. Smt. Chandrika Jain,
Member, Rajya Sabha.

10. Shri R. K. Malviya,
Member, Rajya Sabha.

11. Smt. Kersharbai Sonajirao Kshirasagar,
Member, Lok Sabha
(Member, Parliamentary Committee on Official Language).

12. Shri G. Swaminathan,
Member, Rajya Sabha,
(Member, Parliamentary Committee on Official Language).

(b) OTHER NON-OFFICIAL MEMBERS

13. President,
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad,
New Delhi.
(Representative Shri Mahadev Subramanyam),
1177/1123 7th Cross,
Giri Nagar, Phase-II,
Bangalore-560 085.

14. Shri Lallan Prasad Vyas,
Secretary General,
Vishwa Sahitya Sanskriti Sansthan,
C-13, Press Enclave, Saket,
New Delhi-110 017.

(Representative of All India Voluntary, Hindi Organisation).

15. Dr. Y. Laxmi Prasad,
Hindi Department,
Andhra University,
Waltaire, Vishakhapattanam-530 003,
(Andhra Pradesh).
(P-7, Staff Quarters, North Campus,
Andhra University, Vishakhapattnam,
Vishakhapattnam-530 003).

16. Kumari Kamla Kumari,
Ex-Member of Parliament,
35, Sharatbabulane,
Ranchi (Bihar).

17. Acharaya Radha Gobind Thodam,
Lokmangal Udbodhini Samiti, Imphal,
56/2, Uripok Bachaspati Leikai,
Imphal-795 001,
(Manipur).

18. Padamshree Dr. Laxmi Narain Dubey,
UGC Professor Emeritus (Hindi),
Dr. Hari Singh Gaur University,
Sagar-470 003,
(Madhya Pradesh).

19. Shri P. Madhavan Pillai,
Hindi Professor,
Famous Malayalam-Hindi Writer
Changanasherri, (Kerala).

20. Shri Vishwanath Upadhayaya,
Ex-M.L.A.,
President, Assam I.N.T.U.C.,
Parsidh Hindi Sewi, Silchar,
(Assam).

21. Shri Vikas Bhaisawant,
village & P.O. Sawantwadi,
Distt. Singhdurg,
Maharashtra.

OFFICIALS

Members

22. Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs.

23. Secretary, Department of Official Language and Hindi Advisor to the Government of India.

24. Joint Secretary/Director,
Department of Official Language.

Member Secretary

25. Joint Secretary,
Ministry of Parliamentary Affairs.

Members

26. Deputy Secretary (C),
Ministry of Parliamentary Affairs.

27. Deputy Secretary (A),
Ministry of Parliamentary Affairs.

28. Deputy Secretary (Leg.),
Ministry of Parliamentary Affairs.

2. **Functions**

The Function of the Samiti will be to advise the Ministry on matters relating to the progressive use of Hindi in official use in the Ministry of Parliamentary Affairs and implementation of policy laid down by the Ministry of Home Affairs (Deptt. of Official Language) from time to time.

3. **Tenure of Office**

Tenure of Office of the Samiti will be for a period of three years from the date of its composition, provided that:

(a) Any Member who is Member of Parilament as soon as he ceases to be a Member of Parliament, will also cease to be a Member of this Samiti.

(b) Ex-Officio Members of the Samiti will continue to be Member till they held the post, by virtue of which they are Members of the Samiti.

(c) If any vacancy is caused on the Samiti due to resignation or death etc. of any Member, the Member appointed in his place, will be Member of the Samiti for residual term.

4. **General**

Head Office of the Samiti will be in New Delhi but Samiti can hold its meeting at any other place also.

5. TA and other allowances :

The Non-Official Members shall be paid TA & DA, for attending the meetings of the Samiti and its Sub-Committees, at the rates fixed by the Government.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all State Government and Union Territories Administrations, All Ministries and Departments of the Government of India, President's Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok/Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India; and Pay and Accounts Officer, Cabinet Affairs, New Delhi.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

DEORAJ TIWARI,
Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the August 1994

RESOLUTION

No. 12(4)/94-DPR/EGGS/CI-TW.—In partial modification of earlier Notification No. CLE/9(2)/93 dated 1-3-93, Government of India has decided to amend the above notification to the extent as under :—

Member Secretary

For

Shri P. K. Sunkaria,
Development Officer, DGTD,
Ministry of Industry,
Udyog Bhawan, New Delhi.

Member Secretary

Read

Shri B. B. Sharma,
Asstt. Development Officer,
Department of Industrial Development,
Udyog Bhawan,
New Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to all members. Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

MOHINDER SINGH,
Deputy Secretary.

New Delhi, the 4th August 1994

RESOLUTION

No. 6(4)/91-DPR/EGGS.—In partial modification of Government of India Resolution No. Ind. Gas/9(2)/93 dated 21-4-93 reconstituting the Development Panel for Industrial Gases, the following substitutions are hereby made :—

S. No.

Member

22. Mr. M. P. Singh,
Industrial Adviser,
Department of Chemicals & Petrochemicals,
Shastri Bhavan, New Delhi.

Member Secretary

23. Mr. B. B. Sharma,
Assistant Development Officer,
Department of Industrial Development,
Udyog Bhavan,
New Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PROMILA BHARADWAJ,
Director.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 24th August 1994

No. Hindi/Samiti/91/38/1—In continuation of the Ministry of Railways (Railway Board)'s Resolution of even number dated 5-2-93, Dr. Lakshmi Narayan Pandey, Member of Parliament (Lok Sabha) is nominated as a representative of Committee of Parliament on Official Language in place of Sh. Nathu Ram Mirdha, M. P. (Lok Sabha), in Railway Hindi Salahkar Samiti.

The terms and conditions concerning Dr. Lakshmi Narayan Pandey will be the same as mentioned in the above Resolution dated 5-2-93.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and all Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MASIHUZZAMAN
Secretary, Railway Board &
Ex-officio Addl. Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 16th August 1994

RESOLUTION

No. E-11016/24/93-R. B. N.—In this Ministry's Resolution of even No. dated 10-12-93 regarding reconstitution of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Labour, under the heading 'Non-Official Members', the following entries shall be inserted against S. No. 17 and 19 :—

17. Smt. Kamla Sinha, M. P., Rajya Sabha—Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs.

19. Dr. (Smt.) Chandrakala Pandey, M. P., Rajya Sabha—Nominated by the Committee of Parliament on Official Language.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Govts. and Union Territory Administration, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Min. of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Deptts., of the Govt. of India and all offices of the Ministry of Labour including Autonomous and Semi-autonomous Bodies.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SHASHI JAIN
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1994
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1994